PERFECT 7
FORTNIGHTLY CURRENT AFFAIRS

सितम्बर 2022 / Issue-1

यूपीएससी और राज्य आधारित पीसीएस परीक्षाओं के लिए उपयोगी

- नागा अलगाववाद से जुड़ी चुनौतियां और समाधान की राह
- फिनटेक कंपनियों का विनियमन: समय की मांग
- दक्षिण एशिया की सुरक्षा एवं विकास के लिए जरूरी है; भारत-नेपाल संबंधों की मजबूती
- चिकित्सा पद्धति पर मुफ्तखोरी का प्रभाव: एक नैतिक परिप्रेक्ष्य
- भारत में नार्को आतंकवाद की बढ़ती चुनौती: समस्या और समाधान
- ताइवान-चीन विवाद से वैश्विक राजनीतिक ध्रुवीकरण: आयाम और भारतीय पक्ष
- नीति आयोग की 'हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन रिपोर्ट'

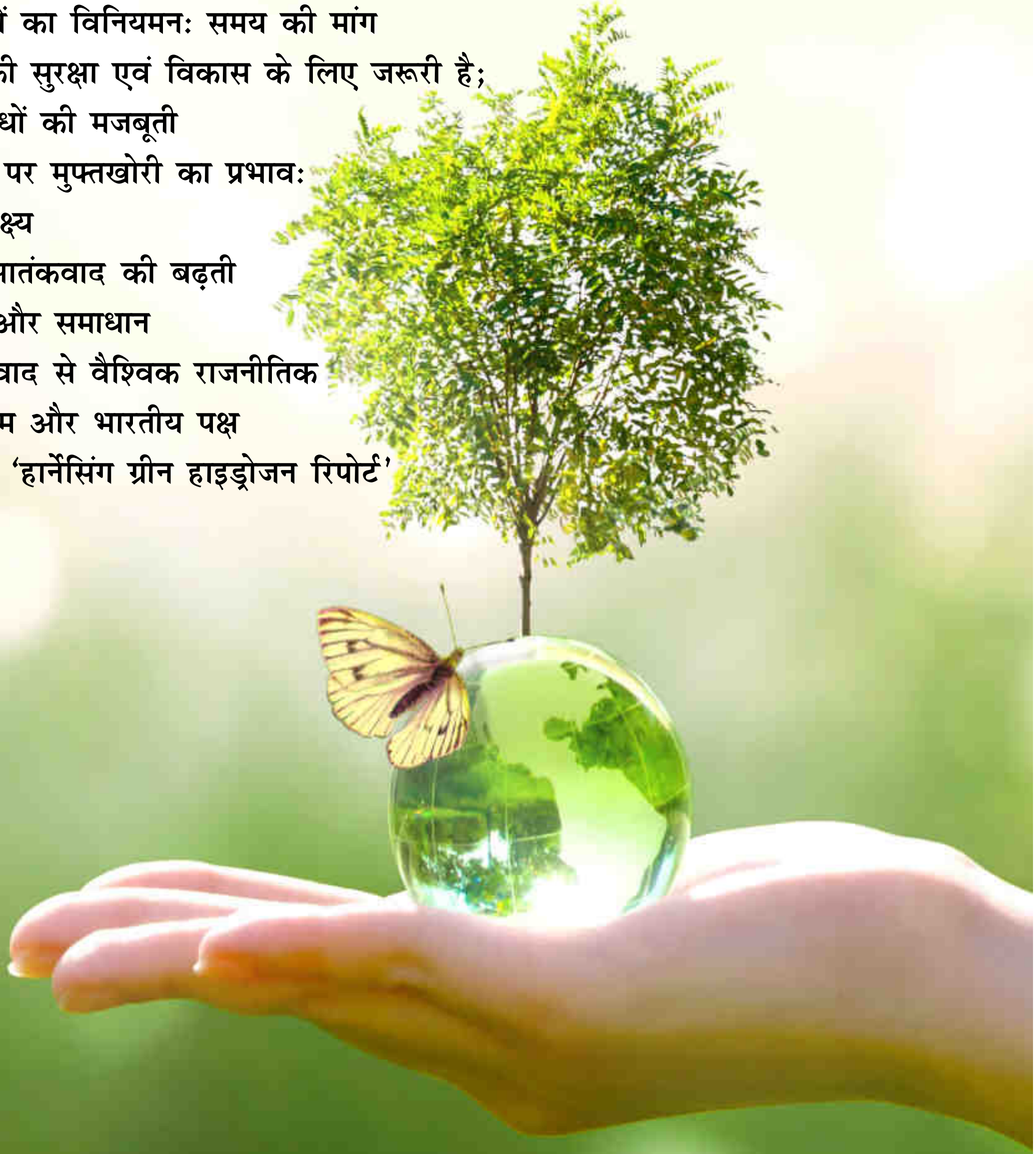

मुख्य परीक्षा विशेष

नैतिकता, अखंडता और अभिक्षमता

[दर्शन और सामाजिक मनोविज्ञान]

नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और शासन में नैतिकता

dhyeyaias.com

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

Offline & Online

COMPREHENSIVE ALL INDIA IAS PRELIMS TEST SERIES 2023

Period :
September 2022 to May 2023

TOTAL TEST : 27

(15 Sectional with Current Affairs + 5 GS Full Test + 4 CSAT + 1 Full Current Affairs + 1 Government Schemes & Policies + 1 Economic Survey & Budget 2023)

Starting From **25th SEPT.**

40% discount for those who are opting for both IAS & PCS test series (40% will be of combined fee of IAS and PCS Test Series).

Note : *Dhyeya Students will be eligible for one fee discount offer only. If he/she takes advantage of being Dhyeya Student, he/she will not be eligible for taking the benefit of 40% discount offer and vice versa.*

Visit Website

Fee Structure:
Offline : Rs. 11,000/-
Online : Rs. 7,000/-

For Dhyeya Students -
Offline Fee - 8,800/-
Online Fee - 5,600/-

Scholarship Test
Only for Offline Students
25th September, 2022

Scholarship Criteria

Rank-1-5 : 100% Discount | Rank-6-10 : 75% Discount
Rank-11-15 : 50% Discount | Rank-16-20 : 25% Discount

Registration Fee For Scholarship Test - Rs. 50/-

FACE TO FACE CENTRES

Delhi (Mukherjee Nagar) Ph: 9289580074 / 75 | Delhi (Laxmi Nagar) Ph: 9205212500 / 9205962002 | Greater Noida Ph: 9205336037 / 38 | Prayagraj Ph: 0532-2260189/8853467068 | Lucknow (Aliganj) Ph: 0522-4025825/9506256789 | Lucknow (Gomti Nagar) Ph: 7234000501/ 7234000502 | Lucknow (Alambagh) Ph: 7518373333/7518573333 | Kanpur Ph: 7887003962/7897003962 | Gorakhpur Ph: 0551-2200385/7080847474

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

Director's Message

Mr. Vinay Kumar Singh

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

Yours very truly,

Vinay Kumar Singh
CEO and Founder

Mr Q H Khan

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहां छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Yours very truly,

Q H Khan
Managing Director

प्रस्तावना

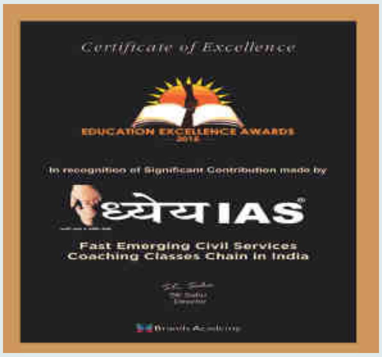

समसामयिक मुद्दे अथवा करेंट अफेयर्स संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अति महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों पर प्रासंगिक सूचनाओं से जुड़ाव होना अभ्यर्थियों के लिए काफी जरूरी समझा गया है और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए परफेक्ट 7 मैगजीन को विद्यार्थी जगत के समक्ष माह में दो बार रखा जा रहा है। आईएएस और पीसीएस की तैयारी तभी पूर्ण मानी जाती है जब प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू स्तर की गतिशील प्रकृति के तथ्यों और विश्लेषणों को आप सभी तक समावेशी रूप में रखा जाये। परफेक्ट 7 मैगजीन इसी विजन और दृष्टिकोण को ध्यान में रखती है और विद्यार्थियों की कंटेंट के स्तर पर बहुआयामी जरूरतों को समझती है। इसीलिए इस मैगजीन को करेंट अफेयर्स के साथ-साथ सामान्य अध्ययन के महत्त्वपूर्ण खंडों से जुड़े अति प्रासंगिक कंटेंट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। एक तरफ जहां करेंट अफेयर्स के स्तर पर सबसे पहले मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 7 ज्वलंत विषयों पर समसामयिक लेखों को, पेपर 4 के लिए एथिक्स की केस स्टडीज को, स्वतंत्रता आंदोलन और अन्य क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तित्वों के जीवन और भूमिकाओं पर, सामान्य अध्ययन के विविध खंडों के सर्वाधिक उपयोगी विषयों पर मुख्य परीक्षा के स्तर की कवरेज दिया जा रहा है, वहीं प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर एक माह के 14 सबसे महत्त्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के मुद्दों को कवर किया जा रहा है जिसमें सर्वाधिक जोर पर्यावरण पारिस्थितिकी, कला और संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था के मुद्दे शामिल हैं। शब्दावली और अन्य आयामों का एक छोटा खंड भी परफेक्ट 7 मैगजीन का पार्ट होगा।

विद्यार्थियों की संकल्पना के स्तर पर समझ को बढ़ाने के लिए ब्रेन-बूस्टर्स को 7 ग्राफिक्स के जरिये, विषय को संक्षेप और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके अलावा सिविल सर्विसेज की परीक्षा में प्रमुखता से पूछे जाने वाले ग्लोबल इनिशिएटिव्स, वैश्विक संस्थाओं एवं संगठनों की संरचना, कार्यप्रणाली, महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट्स, सूचकांकों पर अपडेटेड जानकारी इस पत्रिका में सम्मिलित है। इस मैगजीन को केवल तथ्यों या केवल एनालिसिस पर जोर देते हुए नहीं बनाया गया है बल्कि इस मैगजीन का विजन यह है कि सिविल सेवा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के उभरते हुए ट्रेंड्स और प्रश्नों की नई प्रकृति को देखते हुए, हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को एक ऐसी समावेशी मैगजीन उपलब्ध कराई जाए जिससे वे सिविल सेवा एग्जाम की नई जरूरतों को समझते हुए, अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें। हमें उम्मीद है कि परफेक्ट 7 अपने नए रूप में आप लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी और इसके साथ ही आप सभी के सुझावों का हमेशा स्वागत रहेगा। धन्यवाद

विनय कुमार सिंह
संस्थापक
ध्येय IAS

PERFECT 7
FORTNIGHTLY CURRENT AFFAIRS

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

PERFECT 7 TEAM

संपादक	:	विवेक ओझा
प्रबंध संपादक	:	विजय सिंह
	:	बाघेन्द्र सिंह
सह-संपादक	:	आशुतोष मिश्र
	:	सौरभ चक्रवर्ती
उप-संपादक	:	अमन कुमार
प्रकाशन प्रबंधन	:	डॉ.एस.एम. खालिद
लेख सहयोग	:	हरि ओम पाण्डेय
	:	सन्तोष सिंह
	:	शिव वरदान
	:	भानू प्रताप
	:	गौरव चौधरी
	:	देवेन्द्र सिंह
	:	लोकेश शुक्ला
	:	प्रिंस
मुख्य समीक्षक	:	ए.के. श्रीवास्तव
आवरण सज्जा	:	अरूण मिश्रा
एवं विकास	:	पुनीष जैन
टंकण	:	सचिन, तरून
कार्यालय सहायक	:	राजू, चन्दन, अरूण

साभार : PIB, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता, दैनिक जागरण, डाउन टू अर्थ, इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीक्ली, योजना, कुरुक्षेत्र, द प्रिंट

विषय सूची

समसामयिकी लेख 1-18

- नागा अलगाववाद से जुड़ी चुनौतियां और समाधान की राह
- फिनटेक कंपनियों का विनियमन: समय की मांग
- दक्षिण एशिया की सुरक्षा एवं विकास के लिए जरूरी है; भारत-नेपाल संबंधों की मजबूती
- चिकित्सा पद्धति पर मुफ्तखोरी का प्रभाव: एक नैतिक परिप्रेक्ष्य
- भारत में नार्को आतंकवाद की बढ़ती चुनौती: समस्या और समाधान
- ताइवान-चीन विवाद से वैश्विक राजनीतिक ध्रुवीकरण: आयाम और भारतीय पक्ष
- नीति आयोग की 'हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन रिपोर्ट'

राष्ट्रीय मुद्दे 19-28
अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे 28-30
पर्यावरण मुद्दे 31-37
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मुद्दे 38-42
आर्थिक मुद्दे 43-47
कला संस्कृति 48-50
राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की महत्त्वपूर्ण खबरें 51-53
समसामयिक घटनाएं एक नजर में 54
ब्रेन-बूस्टर 55-61
मुख्य परीक्षा विशेष 62-78
समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न 79-80
व्यक्ति विशेष 81

DHYEYA EDUCATIONAL SERVICES PVT. LTD.
AN ISO 9001:2008 COMPANY

Face to Face Centres

MUKHERJEE NAGAR	: 9205274741, 9205274742
RAJENDRA NAGAR	: 9205274743
LAXMI NAGAR	: 9205212500, 9205962002
ALLAHABAD	: 0532-2260189, 8853467068
LUCKNOW (ALIGANJ)	: 0522-4025825, 9506256789
LUCKNOW (GOMTINAGAR)	: 7234000501, 7234000502
GREATER NOIDA	: 9205336037, 9205336038
KANPUR	: 7887003962, 7897003962
BHUBANESWAR	: 8599071555
SRINAGAR (J&K)	: 9205962002

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

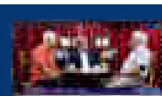

DHYEYA TV
Current affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali
Ex. Editor RSTV) & by Dhyeya Team
Broadcasted on YouTube & Dhyeya TV

नागा अलगाववाद से जुड़ी चुनौतियां और समाधान की राह

हाल ही में नागा अलगाववादी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संगठन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (इजाक मुइवा) ने कहा है कि नागाओं का भारत में विलय नहीं हो सकता लेकिन नागा लोगों और राष्ट्र के बीच अंतर्निर्भर संबंधों की आवश्यकता के कारण नागा, भारतीयों से अलग भी नहीं रह सकते। केंद्र सरकार के साथ नागा फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर के सात साल पूरे होने पर एक बयान में, एनएससीएन (आईएम) के अध्यक्ष क्यू टुक्कू ने कहा कि नागा और भारतीयों का सह-अस्तित्व एक स्वाभाविक आवश्यकता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति या राष्ट्र दूसरों से पूर्ण अलगाव में नहीं रह सकता है। एनएससीएन (आईएम) के अध्यक्ष ने कहा कि नागा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कहता है कि संप्रभुता लोगों में निहित है।

नागा शांति वार्ता का मुद्दा लंबे समय से केंद्र सरकार के लिए संवेदनशील मुद्दा रहा है। समय-समय पर नागा विद्रोही समूह अपनी मांगों के जरिये केंद्र सरकार के सामने चुनौती पेश करते रहे हैं। पिछले साल नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (आईएम) के महासचिव ने मांग की थी कि नागा शांति वार्ता किसी तीसरे देश में आयोजित कराई जाए। चूंकि एनएससीएन (आईएम) ग्रेटर नागालिम को एक पृथक देश के रूप में देखता है, अतः उसने प्रधानमंत्री कार्यालय से अपनी इस मांग का स्पष्ट जवाब मांगा था और साथ ही नागालैंड में नृजातीय समुदायों द्वारा किए जाने वाले विप्लव को दूर करने के लिए नागा शांति वार्ता में भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रत्यक्ष भागीदारी की भी मांग की थी। इन सभी मांगों के पीछे मुख्य व्यक्ति मुइवा हैं जो स्वघोषित नागा सरकार के प्रधानमंत्री हैं और पिछले कुछ दिनों में नागा पृथकतावाद से जुड़े मामलों पर अधिक सक्रिय रहे हैं। उनका मानना है कि उनका समूह नागा समस्या को भारत के आंतरिक कानून व्यवस्था का विषय नहीं बल्कि एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में देखता है। मुईवा ने समय-समय पर भारत सरकार और नागा विद्रोही समूहों के बीच 2015 में हुए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का हवाला देते हुए पृथक नागा संविधान, झंडे, राज्य चिन्ह या प्रतीक और अधिचिन्ह या निशान की मांग की। ऐसे में किसी तीसरे देश में शांति वार्ता की मांग के संबंध में यह याद रखा जाना चाहिए कि भारत सरकार के प्रतिनिधि, विद्रोही नागा नेताओं से विदेशों में मिलते रहे और उन्हें शांति के रास्ते पर लाने के लिए कोशिश करते रहे हैं। यहां तक कि नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री रहते हुए नागा विद्रोहियों से फ्रांस में मिले थे जबकि प्रधानमंत्री रहते हुए एच. डी. देवेगौड़ा की भी विद्रोहियों से मुलाकात स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में हुई थी।

नागा अलगाववाद मुद्दे के आयाम:

- पिछले सात दशकों से नागा अलगाववाद का मुद्दा भारतीय संघ की संप्रभुता और अखंडता पर एक प्रश्न चिन्ह के रूप में उपस्थित रहा है। केंद्र सरकार ने इससे निपटने के लिए कभी सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम के प्रावधानों को आजमाया तो कभी नागा विद्रोही गुटों एनएससीएन (आईएम) और एनएससीएन (खापलांग) को प्रतिबंधित समूह घोषित किया तथा कभी प्रतिबंध की समयावधि को बढ़ाया। देश के संविधान ने अपने तरीके से पांचवीं अनुसूची और अनुच्छेद 371 के जरिए नागालैंड की सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक स्वायत्तता के प्रावधान किए। अनुच्छेद 371 (ए) को संविधान में 13वें संशोधन के बाद 1962 में जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान करता है। इसके मुताबिक भारतीय संसद बिना नागालैंड की विधानसभा की मंजूरी के नागा धर्म से जुड़ी हुई सामाजिक परंपराओं, पारंपरिक नियमों, कानूनों, नागा परंपराओं द्वारा किए जाने वाले न्यायों और नागाओं की भूमि संबंधी मामलों में कानून नहीं बना सकती है। इसी अनुच्छेद के तहत नागालैंड के तुएनसांग जिले को भी विशेष दर्जा मिला है। नागालैंड सरकार में तुएनसांग जिले के लिए एक अलग मंत्री और 35 सदस्यों वाली स्थानीय काउंसिल भी बनाने का प्रावधान है लेकिन इन सबके बावजूद नागा पृथकतावाद की मांग थमी हो, ऐसा नहीं है ।

नागा विद्रोहियों की मांगें:

- 1980 के दशक में नागा अलगाववादी आंदोलन को एक नई ऊर्जा मिली क्योंकि 1980 में नेशनल सोशलिस्ट

काउंसिल ऑफ नागालैंड (आईएम) नामक हिंसक अलगाववादी गुट का गठन किया गया। इसके प्रमुख नेताओं में इजाक और मुइवा शामिल थे। इसने नागा विद्रोहियों की पुरानी मांगों को पुनर्जीवित किया और यह मांगें आज भी बनी हुई हैं। इन मांगों में शामिल हैं- नागा बाहुल्य वाले इलाकों (असम, अरुणाचल, मणिपुर में रहने वाले नागाओं और उनके क्षेत्रों तथा म्यांमार में रहने वाले नागाओं के क्षेत्रों) को मिलाकर ग्रेटर नागालिम का निर्माण करना, पृथक नागा संविधान की मांग, पृथक नागा झंडे की मांग, पृथक नागा मुद्रा को चलाने की मांग और नागालैंड में बाहरी लोगों के प्रवेश पर नियंत्रण आदि।

- नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) का नागा विद्रोही गुट के रूप में 1988 में गठन हुआ। इसके गठन के साथ ही वर्ष 1975 के शिलांग एकॉर्ड को नामंजूर कर दिया गया और इससे उत्तर-पूर्वी भारत में फिर से अशांति को बढ़ावा मिला । इन दोनों गुटों में मुख्य अंतर यह है कि जहां एक तरफ नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (आईएम) चीन के साम्यवादी क्रांतिकारी माओवादी मॉडल पर ग्रेटर नागालिम की स्थापना की मांग पर बल देता है वहीं नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) नृजातीयता पर आधारित ग्रेटर नागालिम का गठन, नागा बाहुल्य वाले इलाकों को जोड़कर, विदेशी गठजोड़ पर बल देने की बात करता है। उल्लेखनीय है कि नागालैंड की विधानसभा ने अब तक पांच बार ग्रेटर नागालिम के प्रस्ताव का समर्थन किया है।

नागा विद्रोहियों और भारत सरकार के मध्य शांति वार्ता:

- नागा विद्रोहियों और भारत सरकार के बीच शांति वार्ता की नींव दोनों पक्षों के मध्य सैन्य विराम समझौते 1997 में देखी जा सकती है जब दोनों पक्षों ने युद्ध विराम हेतु हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत नागा विद्रोहियों ने हिंसक गतिविधियों का मार्ग छोड़ने पर सहमति व्यक्त की थी लेकिन यह समझौता लंबे समय तक नहीं चल सका और पृथकतावादी मांगे फिर से उभरने लगीं। इसी क्रम में अगस्त, 2015 में केंद्र सरकार ने भारतीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (आईएम) के साथ नागा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया। इससे दोनों पक्षों के मध्य शांति वार्ता बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। वार्ता के मुख्य बिंदुओं में शामिल था-सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम के तहत अर्धसैनिक बलों की नागालैंड में तैनाती का मुद्दा, पृथक नागा संविधान की मांग का मुद्दा, पृथक झंडे की मांग का मुद्दा और सीमा पार प्रव्रजन से नागालैंड की जनांकिकी संरचना में आने वाले बदलाव पर चर्चा।
- भारत सरकार ने यह तय किया था कि 31 अक्टूबर, 2019 तक नागा शांति वार्ता से कुछ ठोस परिणाम प्राप्त किए जाएं जिससे एक स्थाई समाधान निकल सके। इसके बाद केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि नागालैंड के पृथक झंडे और संविधान की मांग किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं है और शांति वार्ता को बंदूक के बल पर नहीं चलाया जा सकता। यही कारण है कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (आईएम) फिर से केंद्र सरकार से कोई समझौता करने के प्रति उत्सुक नहीं दिख रहा है। उल्लेखनीय है कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (आईएम) ने पिछले वर्ष इस बात की संभावना पर भी विचार करना शुरू किया कि यदि केंद्र सरकार उसकी मांगों को नहीं मानती तो वह म्यांमार में हिंसक गतिविधियों को चलाने के लिए शिविरों का गठन करेंगे। इसी क्रम में मई 2019 में अरुणाचल प्रदेश के विधायक तिरोंग अबोह और 10 अन्य नेताओं की हत्या में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (आईएम) की कथित संलग्नता होने की बात सामने आई थी। एबोह इस गुट के कट्टर विरोधी थे और भारत सरकार तथा इस गुट के साथ शांति वार्ता के समर्थक थे।
- एनएससीएन (आईएम) ने भारत सरकार के नागा शांति वार्ताकार और राज्यपाल एन रवि पर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को गलत तरीके से पेश करने का आरोप भी लगाया था और स्पष्ट किया कि नागा संप्रभुता से समझौता नहीं किया जा सकता और इसे जाहिर करने के लिए इस समूह ने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मूल प्रति भी जनता के समक्ष सार्वजनिक की थी। एनएससीएन (आईएम) गुट और भारत सरकार के बीच फिर से मतभेद तब बढ़ा जब नागा गुट के सदस्य वी होराम ने बयान जारी कर राज्यपाल एन रवि द्वारा भारत सरकार को लिखे गए पत्र पर न सिर्फ अपनी नाराजगी जताई बल्कि समझौते का हवाला देते हुए कहा कि उसमें स्पष्ट था कि ''नागा भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं होंगे बल्कि सहवर्ती होंगे।'' नागा विद्रोही समूहों को राज्यपाल के पत्र में हुए कुछ बातों का जिक्र अनुचित लगा। इस गुट का कहना था कि एन रवि ने केंद्र सरकार को लिखे पत्र में कहा है कि नागालैंड में आधे दर्जन हथियारबंद गिरोह ऐसे हैं जो प्रदेश में अपनी समानांतर सरकार चला रहे हैं। पत्र में राज्यपाल द्वारा ये भी कहा गया कि ये गिरोह राज्य की वैधता को भी चुनौती दे रहे हैं। गुट का तर्क है कि वो 70 सालों से नागालैंड के

लोगों के अधिकार के लिए लड़ रहा है। ऐसे में इस तरह का अध्यादेश निकाल कर सरकारी कर्मचारियों से कहना कि वो बताएं किस गुट से उनकी रिश्तेदारी है, बहुत आपत्तिजनक है? उनका तर्क है कि जनजातीय समुदाय में सबकी रिश्तेदारी एक दूसरे से निकल आती है। राज्यपाल के पत्र के बाद नागालैंड के मुख्य सचिव ने सरकारी कर्मचारियों को निर्देश जारी कर कहा कि सभी बताएं कि 'उनका या उनके परिवार का किस विद्रोही गुट के साथ संबंध है'?

- पिछले तीन वर्षों में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (आईएम) ने म्यांमार में रहने वाले विद्रोहियों और उत्तर-पूर्वी भारत में रहने वाले विद्रोहियों के साथ मिलकर भारत सरकार और उत्तर-पूर्वी राज्यों की सुरक्षा के समक्ष बड़ी चुनौती उत्पन्न की है। इस गुट ने म्यांमार के टागा क्षेत्र में भारत विरोधी अभियानों को चलाने का काम किया है। वहीं नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) ने म्यांमार के अराकान साल्वेशन आर्मी के विद्रोहियों और काचिन पृथकतावादियों के साथ मिलकर म्यांमार में भारत की ऊर्जा परियोजनाओं और विकास परियोजनाओं को निशाना बनाने का प्रयास किया है। ये विद्रोही कलादान मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट और अन्य संयंत्रों को नष्ट करने की रणनीति बनाते पाए गए हैं। इन सबसे निपटने के लिए म्यांमार और भारत की संयुक्त सेना ने फरवरी-मार्च 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक-3 जिसे ऑपरेशन सनराइज भी नाम दिया गया, के माध्यम से नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) नागा विद्रोही समूहों और अराकान साल्वेशन आर्मी के टागा स्थित आतंकी शिविरों को नष्ट कर दिया था। वर्तमान में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) ने अपने कैडरों को टागा में कैम्प खोलने और म्यांमार की सेना के खिलाफ जवाबी कार्यवाही के आदेश भी दिए हैं। उन्होंने म्यांमार के कोकी क्षेत्र में भी कैम्प खोलने का निर्णय लिया है। इन सब कामों को नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) कई उत्तर-पूर्वी विद्रोही संगठनों के लिंक के साथ अंजाम दे रहा है जिसमें उल्फा (आई) एनडीएफबी और केएलओ भी शामिल हैं।

नागा समस्या का समाधान कैसे हो?

- भारत विनाशी राज्यों के अविनाशी संघ के रूप में जाना जाता है। भारत और उसके संविधान ने राज्यों की नृजातीय पहचान, स्वायत्तता और संप्रभुता का सम्मान किया है। लेकिन नृजातीयता राष्ट्रीयता को चुनौती देने लगे यह भी जायज नहीं है। जम्मू-कश्मीर हो या नागालैंड दोनों भारतीय संघ के अभिन्न अंग हैं। ऐसे में साझी संप्रभुता , पृथक संविधान और झंडे की मांग स्वीकार्य नहीं हो सकती। केंद्र सरकार नागालैंड में समावेशी विकास की योजनाओं, अवसंरचनात्मक विकास, सांस्कृतिक स्वायत्तता को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे नागा समूहों की पहचान कर सकती है जो अपेक्षाकृत उदार हों और भारतीय संघ के भीतर मिलने वाली स्वायत्तता को सहर्ष स्वीकार करें एवं उसके समूचे नागालैंड में प्रसार के लिए भूमिका भी निभाएं। नागा गुटों के साथ वर्ष 2015 में जो समझौता हुआ उसमें वर्ष 2017 में एक नया मोड़ तब आया जब सरकार ने इसमें नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स यानी एनएनपीजी गुटों को भी एक पक्ष के रूप में शामिल कर लिया था। भारत सरकार ने जिस तरह से असम में बोडो एकॉर्ड तथा त्रिपुरा और मिजोरम के बीच के ब्रू (Bru) जनजाति के विवाद के समाधान के लिए विविध पक्षों को विश्वास में लिया। उसी प्रकार नागालैंड के मामले में भी सरकार को यथासंभव गैर-आक्रामक हुए, बिना समस्या समाधान वाले बिंदुओं की तलाश करनी चाहिए। इसमें नागा समस्या का समाधान केवल केंद्र सरकार के गुड विल से ही नहीं हो सकता। इसके लिए नागा विद्रोही समूहों को शांति और विकास का मार्ग चुनना होगा क्योंकि भारत सरकार असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश के इलाकों को विघटित कर, उनका पुनर्निर्धारण कर पृथक नागालैंड देश के लिए किसी भी कीमत पर नहीं सोच सकती और इसलिए पृथक संविधान और झंडे की बात नहीं मानी जा सकती है। ऐसे में नागा विद्रोहियों के पास भारतीय संघ के तहत सीमित स्वायत्तता लेने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता।

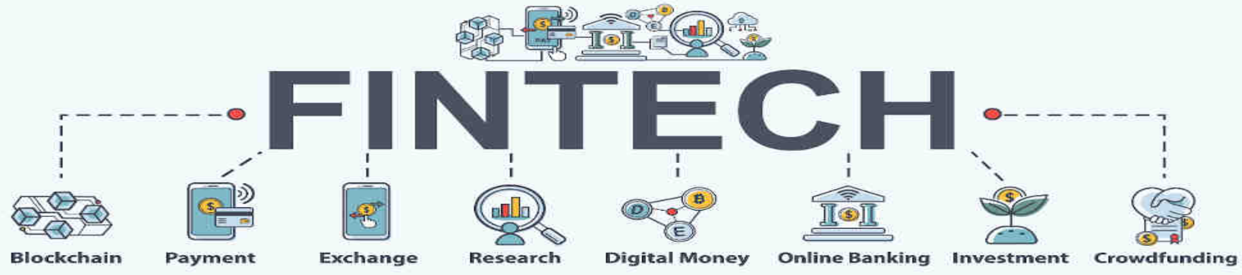

फिनटेक कंपनियों का विनियमनः समय की मांग

सन्दर्भः

हाल ही में आरबीआई द्वारा फिनटेक कंपनियों को विनियमित करने की दिशा में प्रयास किये गए हैं। आरबीआई ने इस सन्दर्भ में 'बाय नाउ, पे लेटर' (अभी खरीदो बाद में भुगतान करो) को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है।

परिचयः

फिनटेक शब्द मूल रूप से दो शब्दों फिन (फाइनेंस) तथा टेक (टेक्नोलॉजी) से मिलकर बना है जिसका अर्थ वित्तीय मामलों में तकनीक के अधिक प्रयोग से है। यह पारंपरिक वित्तीय सेवाओं, कंपनियों तथा व्यापार में वित्तीय पहलुओं के प्रबंधन में आधुनिक तकनीक का क्रियान्वयन है। हाल के वर्षों में इन फिनटेक कंपनियों ने बहुत ही तीव्रता के साथ विकास किया है। महामारी के दौरान इन कंपनियों ने खुदरा कर्जदारों को वित्तीय संकट से निपटने में बड़ी भूमिका निभाई है। परंतु समस्या यह है कि इनमें से कई कंपनियां नियामक दायरे से परे काम कर रही हैं तथा उच्च दर पर ऋण प्रदान कर रही हैं। इसके साथ ही ये ऋण वसूलने के लिए अनैतिक रणनीतियों का प्रयोग करती हैं। इस पृष्ठभूमि में फिनटेक कंपनियों के विनियमन की अत्यंत आवश्यकता थी। इस सन्दर्भ में आरबीआई का यह कदम स्वागत योग्य है।

भारत का फिनटेक बाजारः

उल्लेखनीय है कि भारत वैश्विक फिनटेक महाशक्ति बनकर उभरा है जहाँ फिनटेक स्वीकारने की दर विश्व में सर्वाधिक है। वर्ष 2020 में ही भारत ने एशिया के शीर्ष फिनटेक बाजार के रूप में चीन को पीछे छोड़ दिया है। वर्तमान में भारत का फिनटेक बाजार 50 बिलियन डॉलर के स्तर पर है। सरकार के अनुसार, भारतीय फिनटेक क्षेत्रक के वर्ष 2025 तक, 150 बिलियन डॉलर पहुँचने की उम्मीद है।

फिनटेक भारतीय वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र (Financial Eco-system) का एक अनिवार्य हिस्सा है जिसमें स्टार्ट-अप, तकनीकी व्यवसाय और भुगतान, उधार प्रौद्योगिकी, धन प्रौद्योगिकी (वेल्थटेक), व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन, बीमा प्रौद्योगिकी (InsurTech), विनियमन प्रौद्योगिकी (RegTech), क्रिप्टो-करेंसी और अन्य उप-खंड में काम करने वाले मौजूदा वित्तीय संस्थान शामिल हैं। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते फिनटेक मार्केटप्लेस में से एक है जिसमें 6,636 फिनटेक स्टार्ट-अप हैं। इनमें से 24 यूनिकॉर्न (जिनका मूल्य 1 बिलियन डॉलर से अधिक) हैं। इस समय देश में हर पांच स्टार्ट-अप यूनिकॉर्न में से एक फिनटेक से संबंधित हैं।

आरबीआई द्वारा फिनटेक के विनियमन के लिए किये गए प्रयासः

यद्यपि आरबीआई ने कभी फिनटेक के विनियमन का प्रत्यक्ष प्रयास नहीं किया परन्तु इस सन्दर्भ में आरबीआई द्वारा पूर्व में कई कदम उठाये गए थे। जैसे-

- आरबीआई ने वर्ष 2018 में फिनटेक उत्पादों के परीक्षण के लिये 'फिनटेक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स' का प्रावधान किया था जिससे नियंत्रित नियामक वातावरण निर्मित हो सके। इसके साथ ही आरबीआई ने 'पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स लाइसेंस' की शुरुआत की थी जो अप्रत्यक्ष रूप से फिनटेक को विनियमित करता है।
- आरबीआई द्वारा वैकल्पिक क्रेडिट स्कोरिंग प्लेटफॉर्म और क्राउडसोर्सिंग प्लेटफॉर्म को धीरे-धीरे नियामक दायरे में लाये जाने से फिनटेक कंपनियों पर नियंत्रण स्थापित हुआ क्योंकि ये कम्पनियां प्रत्यक्ष ऋण न प्रदान करके पियर-टू -पियर लेंडिंग का कार्य करती हैं।
- हाल ही में आरबीआई ने डिजिटल ऋण के माध्यम से ऋण वितरण के व्यवस्थित विकास का समर्थन करने के लिये एक नियामक ढांचे को निर्मित किया है।

आरबीआई द्वारा अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें (Buy now pay later) के लिए दिशा-निर्देशः

जून, 2022 में आरबीआई ने फिनटेक फर्मों या गैर-बैंकिंग संस्थानों को 'अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें (Buy now pay later)' को समाप्त करने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी। आरबीआई के नए दिशानिर्देशों में कहा गया है कि-

- गैर-बैंकिंग संस्थायें अब प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स जैसे-डिजिटल वॉलेट या स्टोर्ड-वैल्यू कार्ड के क्रेडिट लाइनों का उपयोग करने में सक्षम नहीं होंगे।
- खरीददारों को शॉपिंग के लिए वॉलेट के नकदी का प्रयोग या फिर अपने बैंक के क्रेडिट-कार्ड या डेबिट कार्ड का प्रयोग करना होगा।
- आरबीआई ने कहा कि क्रेडिट लाइनों से प्रीपेड भुगतान साधन (पीपीआई) को प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। यदि अनुमति दी जा रही है तो इसे

तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। यह क्रियाविधि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में निहित प्रावधानों के तहत दंडनीय है।

क्या आप जानते हैं?

अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें (buy now pay later) मॉडल क्या है?

अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें (बीएनपीएल मॉडल) भुगतान का एक ऐसा विकल्प है जहां खरीददार अपनी जेब से भुगतान किए बिना खरीददारी कर सकता है। इस मॉडल में खरीददार एक फर्म के साथ समझौता करता है। यह फर्म खरीददार के द्वारा लिए गए सामान पर भुगतान करती है। एक बार भुगतान हो जाने के बाद, खरीददार को निर्धारित समय में किश्तों के माध्यम से ऋणदाता को राशि चुकानी होगी। प्रारंभ में बीएनपीएल मॉडल के तहत कोई ब्याज नहीं लगाया जाता है। हालांकि, यदि कोई खरीददार समय पर राशि चुकाने में विफल रहता है तो बीएनपीएल फर्म मूल राशि पर ब्याज लगा सकती है।

फिनटेक का विनियमन क्यों आवश्यक है?

- **उधारकर्ताओं के हित के लिए:** फिनटेक कंपनियों द्वारा प्रदत्त ऋण सामान्य ऋण दरों से अधिक होते हैं तथा इन कंपनियों द्वारा ऋण वसूलने की प्रक्रिया भी अनैतिक होती थी। कई बार ऋण वसूलने के लिए ऐसे कदम भी उठाए जाते थे जो उधारकर्ता के गरिमामय जीवन को प्रभावित करते हैं। उदाहरण-उधारकर्ता के ऋण लेने के बारे में उधारकर्ता के सभी कॉन्टेक्ट्स को बताना।
- **प्रतिस्पर्धा की कमी:** फिनटेक कंपनियों का विनियमन नहीं होने से इन कंपनियों को बैंक तथा अन्य एनबीएफसी के मुकाबले व्यापार करने की अधिक छूट थी।
- **डेटा संरक्षण के लिए:** फिनटेक कंपनियों के द्वारा ऋण देने के पूर्व उधारकर्ता से आधार कार्ड, पैन कार्ड, अकाउंट डिटेल तथा कांटेक्ट इत्यादि की जानकारी ली जाती थी। इस डाटा के किसी अन्य संस्थान को बेचने तथा ग्राहक की जानकारी के बिना उसके क्रेडिट स्कोर में फेरबदल की संभावना होती थी। इससे व्यक्ति के निजता का हनन होता था। साथ ही यह कहीं ना कहीं डाटा स्थानीयकरण के उद्देश्य को भी प्रभावित कर रहा था।
- **पारदर्शिता में सुधार:** फिनटेक व्यापार को पारदर्शी बनाने तथा ग्राहक के विश्वास को सुरक्षित करने के लिए भी विनियमन में व्यवस्था की गई है। इसमें यह कहा गया है कि लेनदेन की लागत अब विनियमित इकाई द्वारा वहन की जाएगी तथा किसी भी अन्य ऋण उत्पाद की तरह फिनटेक से प्राप्त ऋण की सभी समावेशी लागत के बारे में ग्राहक को बताना होगा। इस विनियमन से फिनटेक द्वारा अत्यधिक शुल्क वसूलने की गुंजाइश समाप्त हो जाएगी।

फिनटेक के विनियमन हेतु चिंताएं:

- फिनटेक के रेगुलेशन से कई खुदरा उधारकर्ताओं तथा असंगठित क्षेत्र के लोगों का वित्तपोषण स्रोत बंद हो सकता है।
- फिनटेक के द्वारा त्वरित अदायगी तथा तेज प्रगति सुनिश्चित किया जाता है। यह 'क्रेडिट एट योर डोर स्टेप' की भावना से कार्य करता है। फिनटेक को विनियमित करने से ऋण की प्रक्रिया का समय बढ़ सकता है।
- फिनटेक कंपनियों को विनियमित करने के पूर्व क्रिप्टोकरेंसी तथा बिग टेक कंपनियों को विनियमित करना आवश्यक है, तभी डिजिटल ऋण को अच्छे तरीके से नियमित किया जा सकेगा।
- भारत के फिनटेक बाजार में वृद्धि की व्यापक सम्भावना है। यह देश की 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र को विनियमित करने से इसकी वृद्धि रुकने की संभावना है।

आगे की राह:

- आरबीआई को खुदरा उधारकर्ताओं तथा असंगठित क्षेत्र के लोगों के सहज ऋण प्राप्ति के लिए कुछ अन्य व्यवस्थाएं करनी होंगी।
- इसके साथ ही आरबीआई को भारत के वित्तीय समावेशन में फिनटेक की भूमिका को सुनिश्चित करके, इसके लिए एक नवीन नियामक ढांचा स्थापित करना होगा जिसमें पर्याप्त नवाचार तथा लचीलापन हो।
- फिनटेक के विनियमन के साथ ही साथ सरकार को उपभोक्ता संरक्षण तथा डेटा संरक्षण के नियमों को मजबूत करना होगा। इसके लिए सर्वाधिक आवश्यक यह है कि व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक को पारित किया जाए।
- क्रिप्टोकरेंसी तथा बिगटेक कंपनियों को विनियमन के दायरे में लाने की आवश्यकता है। सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील भी है।

निष्कर्ष:

- यह सत्य है कि फिनटेक भारत में बहुत अधिक तेजी से विकसित होने वाला क्षेत्र है। परन्तु कोई भी आर्थिक वृद्धि निजता संरक्षण तथा मानवीय गरिमा के मूल्यों से अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं हो सकती। उधारकर्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु आरबीआई द्वारा फिनटेक कंपनियों के रेगुलेशन हेतु उठाया गया कदम स्वागतयोग्य है। यह भारत के कल्याणकारी प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। यद्यपि फिनटेक कंपनियों के विनियमन में कुछ चुनौतियां भी हैं परन्तु उन सभी चुनौतियों पर सरकार व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है।

दक्षिण एशिया की सुरक्षा एवं विकास के लिए जरूरी है; भारत-नेपाल संबंधों की मजबूती

- भारत और नेपाल के द्विपक्षीय संबंध दक्षिण एशिया में शांति, स्थिरता के लिहाज से बेहद महत्त्वपूर्ण हैं। इसलिए दोनों राष्ट्र विभिन्न मुद्दों पर आपसी सहयोग को बढ़ाने का काम समय-समय पर करते रहे हैं। हाल ही में नेपाल के व्यापारिक-आर्थिक जरूरतों को समझते हुए भारत ने नेपाल को अपने दो बंदरगाहों गुजरात के मुंद्रा और उड़ीसा के धामरा का उपयोग करने की अनुमति दी है। इसका मतलब यह है कि नेपाल अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अब विशाखापत्तनम और हल्दिया बंदरगाह के अलावा इन दो नए बंदरगाहों का भी इस्तेमाल करेगा। इससे स्पष्ट होता है कि भारत, नेपाल की जरूरतों को समझता है और अपने **पड़ोसी प्रथम नीति** के तहत नेपाल को आर्थिक मजबूती देने की सोच रखता है।

भारत और नेपाल में ट्रेड ट्रांजिट एग्रीमेंट में संशोधन की जरूरत:

- भारत और नेपाल के बीच हाल में इस बात पर आपसी सहमति बनी है कि दोनों देशों के बीच व्यापार और पारगमन (Transit) समझौते में संशोधन किया जाए और ऐसा अनुमान है कि यह संशोधन 2023 तक कर लिया जाएगा। इस संशोधन का महत्त्व इसलिए है क्योंकि इसी के तहत भारत, नेपाल के वस्तुओं को अपने बाजार में ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस देता है। नेपाल का 90 प्रतिशत से अधिक विदेशी व्यापार भारत के हल्दिया और विशाखापत्तनम बंदरगाहों के जरिये होता है क्योंकि नेपाल एक स्थलरुद्ध (landlocked) देश है। भारत और नेपाल ने पहली बार सितंबर, 1960 में 'दि ट्रीटी ऑफ ट्रेड एंड ट्रांजिट' को अंतिम रूप दिया था जिसे 1978 में इसे दो भागों में विभाजित किया गया- ट्रेड ट्रीटी और ट्रांजिट ट्रीटी। ये दोनों संधियां स्वत: ही 7 साल में नवीकृत (Renew) हो जाती हैं। इसकी समीक्षा अंतिम बार अक्टूबर, 2016 में की गई थी जिसे 2023 में रिन्यू होना है। वर्ष 2020 में भारत और नेपाल के बीच व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देने वाले सबसे बड़े द्विपक्षीय तंत्र 'इंडिया-नेपाल इंटर गवर्नमेंटल मीटिंग' में यह निर्णय लिया गया था कि द्विपक्षीय पारगमन संधि (Bilateral Transit Treaty) में संशोधन किया जाएगा।
- भारत, नेपाल को किसी भी अन्य तीसरे देश में व्यापार के लिए पारगमन मार्ग (Transit route) प्रदान करता है। नेपाल सीमा पर चिन्हित 22 मार्गों और दो बंदरगाहों के जरिये भारत, नेपाल को ट्रांजिट ट्रेड की सुविधा देता है। नेपाल और बांग्लादेश के साथ सीमा पार व्यापार अवसरंचना को मजबूती देने के उद्देश्य से भारत ने, भारत-नेपाल सीमा प्रबंधन हेतु एकीकृत चेक पोस्ट के गठन पर बल दिया है। इसके तहत रक्सौल-बीरगंज चेकपोस्ट, सुनौली-भैरहवा चेकपोस्ट, बिराटनगर- जोगबानी चेकपोस्ट, नेपालगंज- रुपईडीहा चेकपोस्ट आदि का गठन किया गया है। इसका लाभ यह है कि इससे व्यापारिक सुगमता तथा रीजनल कनेक्टिविटी तो बढ़ेगी ही, साथ ही भारत-नेपाल सीमा पर मानव दुर्व्यापार, हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी आदि जैसे संगठित अपराधों को नियंत्रित किया जा सकेगा ।
- भारत और नेपाल ने रीजनल कनेक्टिविटी सहयोग को द्विपक्षीय आर्थिक व्यापार, पर्यटन, परिवहन के लिए जरूरी मानते हुए, रक्सौल-काठमांडू रेलवे लिंक के विकास पर समझौता किया जो चीन को काउंटरबैलेंस करने के लिए जरूरी समझा गया था।

भारत-नेपाल के बीच रेलवे कनेक्टिविटी की दिशा में प्रयास:

- भारत और नेपाल ने क्षेत्रीय तथा आर्थिक एकीकरण के उद्देश्य से महत्त्वपूर्ण क्रॉस बॉर्डर रेलवे लिंक के विकास पर बल देना शुरू किया है। इसीलिए अप्रैल 2022 में जयनगर-कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेलवे लिंक को दोनों देशों ने लांच किया है। उल्लेखनीय है कि जयनगर (मधुबनी जिला) बिहार में है जबकि कुर्था नेपाल में है। जयनगर-कुर्था 34.90 किमी. लंबा रेलखंड है जो जयनगर-बिजलपुरा-बर्दीबास रेल (68. 72 किमी.) परियोजना का एक हिस्सा है और पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस परियोजना के पहले चरण के तहत, बिहार में जयनगर को नेपाल के कुर्था से रेल लाइन द्वारा जोड़ा गया है जिसका विस्तार बीजलपुरा

तक कर दिया जाएगा। भारत सरकार ने बिजलपुरा खंड के लिए लगभग 550 करोड़ रुपये खर्च किए हैं जो कुर्था से 17 किमी आगे जाता है। बिजलपुरा के बाद बर्दीबास तक नई लाइन के निर्माण हेतु नेपाल सरकार द्वारा भूमि दिया जाएगा।

- जयनगर भारत-नेपाल सीमा से 4 किमी. दूर है। इस मार्ग में नेपाल का प्रसिद्ध तीर्थस्थल जनकपुर पड़ता है जो जयनगर से 29 किमी. दूर स्थित है। यह परियोजना इरकॉन द्वारा चलाई जा रही है। इसके इंजीनियरिंग और बुनियादी ढांचे का काम पूरा हो चुका है। इस मार्ग पर रेल सेवा संचालित करने के लिए कोंकण रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केआरसीएल) द्वारा 1600 एचपी डेमू यात्री रेक के दो सेटों की आपूर्ति की गई है।

भारत और नेपाल के मध्य द्विपक्षीय आर्थिक संबंध:

- भारत, नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। हाल के वर्षों में चीन ने प्रयास किया है कि वह भारत को पीछे छोड़ कर नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन जाये। भारतीय विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत-नेपाल के मध्य वर्तमान में 7 बिलियन डॉलर से अधिक का द्वि पक्षीय व्यापार है जो वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार के रूप में है। भारत की कई कंपनियां जैसे-एलआईसी, एसबीआई, पीएनबी, एशियन पेंट आदि नेपाल में सक्रिय रूप से अपनी आर्थिक गतिविधियों को अंजाम दे रही हैं।
- नेपाल, भारत से पेट्रोलियम और मोटर व्हीकल आयात करता है। भारत वर्ष 1975 से पेट्रोलियम पदार्थ की आपूर्ति नेपाल को कर रहा है। नेपाल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत भारत है और नेपाल के कुल स्वीकृत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में 30 प्रतिशत से अधिक हिस्सा भारतीय कंपनियों का ही है। भारत, नेपाल को मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पाद, मोटर वाहन, कोयला, सीमेंट, रसायन और औषधियों का निर्यात करता है जबकि नेपाल, भारत को मुख्य रुप से पोलियेस्टर यार्न, टेक्सटाइल, जूट के सामान, जिंक शीट, इलायची, कॉपर वायर आदि का निर्यात करता है।

भारत और नेपाल के मध्य दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग:

- दक्षिण एशिया में भारत और नेपाल के मध्य क्षेत्रीय सहयोग को दोनों देशों के विकास तथा सुरक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण माना गया है।
- दक्षिण एशिया की शांति स्थिरता और समृद्धि के लिए नेपाल के साथ मित्रवत संबंध होना भारत के लिए बहुत आवश्यक है। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय एकीकरण और क्षेत्रीय अंतर-संपर्को को बढ़ावा देने के लिए नेपाल को विश्वास में लेना आवश्यक है। इसी क्रम में भूटान-बांग्लादेश-भारत-नेपाल (BBIN) मोटर व्हीकल एग्रीमेंट किए जाने का निर्णय वर्ष 2015 में लिया गया था जो कार्यशील हो चुका है।
- नेपाल सार्क का एक प्रमुख सदस्य है जिसका सचिवालय काठमांडू में स्थित है। सार्क के सदस्य के रूप में नेपाल से दक्षिण एशिया में आतंकवाद और विशेषकर पाक-प्रायोजित आतंकवाद से निपटने में सहयोग की अपेक्षा की जाती है। नेपाल से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह इंडियन मुजाहिद्दीन और अन्य आतंकी संगठनों तथा आईएसआई को अपनी जमीन से भारतीय हितों के खिलाफ कार्यवाही न करने दे। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने अपनी कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेरोरिज्म 2020 और 2021 में नेपाल में विप्लव ग्रुप की सक्रियता और उससे जुड़ी हिंसा का उल्लेख किया है।
- भारत की नेपाल से यह भी अपेक्षा रही है कि वह भारतीय जाली मुद्रा के कारोबार और तस्करी में पाकिस्तान का साथ न दे। नेपाल को उसकी भौगोलिक स्थिति के चलते भारत के हितों के खिलाफ एक कारक के रूप में प्रयोग करने की कोशिश चीन और पाकिस्तान जैसे देशों ने की है। इसी को ध्यान में रखकर भारत ने नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी के टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल का गठन किया है जिससे भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर संगठित अपराधों से निपटा जा सके।
- बिम्सटेक नामक संगठन में भारत और नेपाल सदस्य के रूप में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग करते हैं। वहीं दूसरी तरफ शंघाई सहयोग संगठन में जहां भारत एक पूर्ण सदस्य है, वहीं नेपाल एक संवाद साझेदार के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। भारत और नेपाल दोनों एशियाई विकास बैंक के साउथ एशियन सब-रीजनल इकोनामिक कोऑपरेशन प्रोजेक्ट के हिस्से हैं।
- चीन, भारत और नेपाल के संबंधों के मध्य एक महत्त्वपूर्ण कारक के रूप में उपस्थित रहा है। वहीं भारत और चीन के बीच नेपाल ने एक बफर स्टेट की भूमिका निभाई है। चीन और नेपाल के मध्य कूटनीतिक, राजनयिक संबंध हैं। नेपाल, चीन के वन बेल्ट वन रोड पहल का एक हिस्सा है और इसका समर्थन करता है। इसके साथ ही नेपाल, चीन के नेतृत्व वाले एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का सक्रिय सदस्य है। चीन के प्रस्ताव पर ही हाल ही में नेपाल को शंघाई सहयोग संगठन का पर्यवेक्षक सदस्य बनाया गया है। नेपाल 2016 से पहले इसका डायलॉग पार्टनर था। चीन और नेपाल के मध्य कई महत्त्वपूर्ण समझौते हो चुके हैं। इसमें सबसे प्रमुख

रूप से नेपाल और चीन को जोड़ने वाली एक रेलवे नेटवर्क परियोजना पर सहमति बनी है जो काठमांडू से चीन तक जाएगी। वर्ष 2018 में चीन और नेपाल के मध्य हुए समझौतों के तहत चीन ने नेपाल को अपने चार बंदरगाहों तक पहुंच सुनिश्चित करने का प्रस्ताव दिया था ताकि नेपाल को व्यापार के लिए भारत पर अधिक निर्भर न रहना पड़े।

- भारत और नेपाल के मध्य मोतिहारी-अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन की शुरुआत की जा चुकी है। इस 69 किमी. लंबे पेट्रोलियम पाइपलाइन के जरिए बिहार के मोतिहारी को नेपाल के अमलेखगंज से जोड़ा गया है। यह भारत से जाने वाली पहली ट्रांस-नेशनल पाइपलाइन है और साथ ही यह पहला साउथ एशियन ऑयल पाइपलाइन कॉरिडोर भी है। इससे नेपाल में तेल भंडारण की समस्या से निजात मिलने में आसानी होगी और टैंकर्स के जरिए पेट्रोलियम पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की कठिनाई के दूर होने की संभावना है। वहीं ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से हाल के समय में नेपाल, भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल सोलर एलायन्स का सदस्य बना है।
- नेपाल, तिब्बत के पठार के दक्षिण में स्थित है इसलिए भी इसकी भौगोलिक अवस्थिति महत्त्वपूर्ण हो जाती है। तिब्बत का पठार भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों की सुरक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। तिब्बत के पठार और उसकी सामरिक अवस्थिति को देखते हुए ही चीन और नेपाल के मध्य रेलवे लिंक का निर्माण संभव हो पाएगा जिसका प्रस्ताव भी चीन द्वारा किया गया है। इस आधार पर तिब्बत के पठार का इस्तेमाल करते हुए काठमांडू-कुनमिंग रेलवे लिंक स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है।
- नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुछ भारतीय राज्यों जैसे- उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लगती है। यह भारतीय राज्यों के साथ 1850 किमी. लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इस भौगोलिक कारक ने भारत-नेपाल संबंधों को निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनमें से कुछ राज्यों के साथ नेपाल के भूमि-सीमा विवाद रहे हैं जिससे दोनों देशों में सीमा प्रबंधन के स्तर पर कई वार्ताएं करनी पड़ी हैं। काठमांडू स्थित भारतीय राजदूतावास का कहना है कि मुक्त सीमाओं और उनसे प्रभावित नातेदारी (किनशिप) तथा संस्कृति के जुड़ाव ने दोनों देशों के संबंधों की नींव रखी है। दोनों देशों के नागरिकों की बहुत लंबे समय से एक दूसरे के यहां मुक्त और अबाधित आवाजाही रही है जिससे दोनों देशों में रोटी और बेटी (व्यवसाय और वैवाहिक संबंध) के संबंध बने हैं।

ध्येय IAS
most trusted since 2003

DHYEYA SUPER 50

Registration Fee : ₹100/-

Batch Duration November 2022- April 2023

Comprehensive Guidance Program
For Civil Services & State PCS Exams

For Admission in **Dhyeya Super 50** Batch
Entrance Exam Date

Prelims	Mains	Interview
9th October, 2022	16th October, 2022	27th, 28th, 29th Oct. 2022

Key Features :
- Special focus on UPSC CSE Prelims 2023
- NCERT Based Revision and Weekly Classes
- One-to-One Mentorship of every aspirant
- Weekly Current Affairs Classes / Editorial Discussion
- Regular Test and Performance Evaluation
- Special Focus on Answer Writing and Essay Writing skill

Lucknow (Aliganj) :
A-12 Sector-J Aliganj, Lucknow
Call : 9506256789, 7570009002

चिकित्सा पद्धति पर मुफ्तखोरी का प्रभावः एक नैतिक परिप्रेक्ष्य

सन्दर्भः

हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बेंगलुरू स्थित माइक्रो लैब्स कम्पनी द्वारा निर्मित डोलो-650 (Dolo-650) के विरुद्ध, अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के बदले डॉक्टरों और चिकित्सा पेशेवरों को लगभग 1,000 करोड़ रुपये का 'फ्री गिफ्ट' देने का आरोप लगाया है।

परिचयः

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने डोलो-650 का उत्पादन करने वाली कंपनी पर यह आरोप लगाया कि इस कंपनी ने कोरोना के दौरान डॉक्टरों और चिकित्सा पेशेवरों को लगभग 1,000 करोड़ रुपये का 'फ्री गिफ्ट' दिया है जिससे ये चिकित्सा पेशेवर तथा डाक्टर मरीजों को डोलो-650 प्रेस्क्राइब करें। सीबीडीटी ने यह भी बताया है कि दवा निर्माता कंपनी के विरुद्ध की गई कार्यवाही के उपरान्त, वहां से लगभग 1.20 करोड़ रुपये की अघोषित नकदी और 1.40 करोड़ रुपये के सोने एवं हीरे के आभूषण जब्त किए हैं। वर्तमान समय में यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। डोलो का उदाहरण देते हुए, याचिकाकर्ता (फेडरेशन ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया) ने केंद्र सरकार से दवा उद्योग द्वारा अनैतिक विपणन प्रथाओं को रोकने के लिए कार्यवाही की मांग की है जिसे उचित मानते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस सन्दर्भ में 10 दिन के अंदर केंद्र सरकार को रिपोर्ट देने हेतु निर्देश दिया है।

इस क्रियाविधि से नैतिक मूल्यों पर पड़ने वाले प्रभावः

उत्तरदायित्व तथा जवाबदेहिता का अभावः

- डोलो-650 का उत्पादन करने वाली कंपनी से 'फ्री-गिफ्ट' लेने वाले डॉक्टर्स का उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं है। डाक्टर समाज देश का एक महत्त्व पूर्ण अंग हैं जिससे इनको अपने पद का महत्त्व समझना होगा।
- मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूर्ण ने कहा कि कोविड-19 के दौरान उन्हें भी डोलो-650 दिया गया था जो एक गंभीर मुद्दा है। अतः डॉक्टर्स का उत्तरदायित्व निर्धारित होना चाहिए।

संवेदनहीनताः

- वर्तमान विनियमन कानूनों के अनुसार, यदि कोई दवा 500 एमजी से अधिक है तो फार्मास्युटिकल कंपनियां उसका मूल्य निर्धारित करने हेतु स्वतंत्र होती हैं जबकि 500 एमजी या उससे कम क्षमता की दवाओं का मूल्य सरकार के विनियमन से निर्धारित होता है।
- यह सत्य है कि मुक्त व्यापार नियम के अंतर्गत डोलो का निर्माण करने वाली कंपनी इसका मूल्य निर्धारित करने हेतु स्वतंत्र थी तथा उसने इसकी मार्केटिंग हेतु 1,000 करोड़ रूपये के फ्री-गिफ्ट दिए, परन्तु क्या कोरोना जैसे गंभीर संकट के समय जहां रोज हजारों लोगों की मृत्यु हो रही थी वहां ऐसी लाभोन्मुखता उचित थी?
- ऐसी लाभोन्मुखता, कंपनी, चिकित्सा पेशेवरों तथा डाक्टरों के संवेदनहीनता को प्रदर्शित करती हैं।

परानुभूति का अभावः

- परानुभूति (Empathy) का अर्थ किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर स्वयं को रखकर उसके दुःखों, समस्याओं तथा उसकी स्थिति की अनुभूति करने से है।
- कोरोना के दौरान व्यथित तथा चिंतित जनता की स्थिति को अनुभूति करने में डाक्टर, प्रशासन तथा फार्मा कम्पनियां विफल रहे हैं।
- निजी क्षेत्र में नैतिक मूल्यों का अभाव ही उनके तथा जनता के मध्य दूरी को बढ़ाता है।

मेडिकल एथिक्स के विरुद्धः

- लैंडौ और ओस्मो नामक समाजशस्त्रियों द्वारा चिकित्सा संबंधी नैतिकता में किये गए शोध से यह पता चला कि 45% उत्तरदाताओं ने 'जीवन की रक्षा' को सबसे महत्त्वपूर्ण चिकित्सा सिद्धांत बताया।
- जीवन की रक्षा के उपरान्त चिकित्सा नैतिकता के क्षेत्र में ब्यूचैम्प (Beauchamp) और चाइल्ड्रेस (Childress) द्वारा प्रदत्त चार मानक-स्वायत्तता, गैर-दुर्भावना, लाभ और न्याय, नैतिकता के निर्धारण में महत्त्व पूर्ण रहे हैं।
- इससे यह स्पष्ट होता है कि 'जीवन की रक्षा' सबसे महत्त्वपूर्ण नैतिक सिद्धांत है परन्तु इस कृत्य में स्वायत्तता तथा लाभ को प्राथमिकता दी गई है जबकि जीवन रक्षा के साथ-साथ गैर-दुर्भावना तथा न्याय के मानकों का ध्यान नहीं रखा गया।

चिकित्सीय नीति के विरुद्ध:

चिकित्सीय नीति के कुछ बिन्दुओं का वर्णन निम्नवत है-

- एक चिकित्सक का सबसे महत्त्वपूर्ण उद्देश्य मानवता की सेवा होना चाहिये। उसे धन अथवा पुरस्कार से परे होकर अपने चरित्र को सर्वोपरि रखना चाहिये।
- एक चिकित्सक को चाहिये कि वह रोगी के समस्त हितों को ध्यान रखकर परामर्श दे।
- एक चिकित्सक के लिए यह आवश्यक है कि वह अनावश्यक परामर्श देने से हमेशा बचे।
- एक चिकित्सक को महामारी और संक्रामक रोगों की स्थिति आने पर, इनके रोकथाम के लिए प्रशासन की मदद करनी चाहिये तथा स्वास्थ्य निधि और संसाधनों के अनुचित प्रयोग को रोकने हेतु प्रयत्नशील होना चाहिए।
- चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े कुछ अनैतिक कार्यो जैसे- स्वयं ही दवा की बिक्री करना, अनैतिक तरीके से कमीशन लेना आदि से एक चिकित्सक को बचना चाहिये।

इस कृत्य में जिन डाक्टरों या चिकित्सा पेशेवरों ने फ्री-गिफ्ट्स लिया है उन्होंने चिकित्सकों के एथिक्स हेतु उपरोक्त वर्णित मानदंडों का उल्लंघन किया है।

इस प्रकार की अनैतिक गतिविधियों से पड़ने वाले प्रभाव:

- इस प्रकार की गतिविधियां न सिर्फ मेडिकल एथिक्स बल्कि संविधान द्वारा दिए गए चिकित्सीय सहायता तथा जीवन के अधिकार जैसे महत्त्वपूर्ण मूल्यों को भी प्रभावित करती हैं।
- इस प्रकार की अनैतिक गतिविधियों के कारण जनता तथा निजी क्षेत्रों के मध्य विश्वास घटता है जो आगे चलकर आर्थिक विकास में बाधक बन सकता है।
- ये भारत की कानून व्यवस्था में कमियों को स्पष्ट रूप से उजागर करते हैं तथा यह भी दिखाते हैं कि किस प्रकार अराजक तत्वों द्वारा इनका दुरुपयोग किया जाता है?
- यही स्थिति एक सीमित मात्रा में विनियमन के जरूरत को इंगित करता है।

इन समस्याओं के निदान हेतु क्या किया जा सकता है?

त्वरित प्रयास:

- सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि इस मामले को त्वरित गति से निस्तारित करते हुए दोषियों को सजा दी जाए क्योंकि यह न सिर्फ नैतिक मूल्यों के खंडन का मामला है बल्कि यह मरीजों के जीवन के अधिकार (अनु. 21) को भी प्रभावित करता है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय तथा केंद्र सरकार को शीघ्र ही इस मामले में निर्णय तक पहुंचना होगा।

दीर्घकालिक प्रयास:

- यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेज को वैधानिक समर्थन:-
  - » फेडरेशन ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया इस जनहित याचिका में फार्मा कंपनियों तथा डॉक्टरों को उत्तरदायी बनाने के लिए यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेज (UCPMP) को वैधानिक समर्थन देने के लिए निर्देश मांग रही हैं। यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेज, फार्मास्युटिकल विभाग द्वारा जारी एक स्वैच्छिक (अभ्यास में लगभग अनिवार्य) संहिता है। यह भारत में दवा कंपनियों, चिकित्सा उपकरण उद्योग के विपणन प्रथाओं पर दिशा-निर्देश प्रदान करता है।
- **डॉक्टर्स तथा जनता के मध्य जुड़ाव का प्रयास:**
  - » सरकार को डॉक्टर्स एसोसिएशन, फार्मा लॉबी के साथ नागरिक समाज को सम्मिलित करते हुए एक एसोसिएशन का निर्माण करना चाहिए जिससे एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनी रहे।
  - » चिकित्सीय शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र-छात्राओं को नियमित रूप से मेडिकल एथिक्स बताते हुए इसे प्रायोगिक रूप से सिखाना चाहिए।

निवारात्मक दंड विधान:

- इस प्रकार की अराजक गतिविधियों में जहां किसी के जीवन का प्रश्न हो वहां कठोर से कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए ताकि एक मानक बने एवं आगे चलकर लोग ऐसी गतिविधियों में संलिप्त होने से डरें।

निष्कर्ष:

डॉक्टर्स, भारतीय समाज में भगवान का दूसरा रूप माने जाते हैं। मेडिकल एथिक्स में भी बताया गया है कि एक डॉक्टर का प्रथम कर्त्तव्य उसके मरीज के जीवन की रक्षा है परंतु समस्या यह है कि भ्रष्टाचार, लाभ इत्यादि के प्रभाव से ग्रस्त होकर कई डॉक्टर अंग व्यापार, मुफ्त उपहार जैसे अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त होते हैं जिसका स्पष्ट प्रभाव समाज पर तथा गरीब जनता पर पड़ता है। भारत जैसे देश में जहां कुल आबादी में 21% से अधिक जनसंख्या गरीब है तथा देश के शीर्ष 1% लोगों के पास पूरे बजट से अधिक पैसा है, वहां इस प्रकार की संवेदनशीलता गरीबों तथा आम जनता के जीवन के अधिकार को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। इस स्थिति में यह परमावश्यक है कि सरकार, नागरिक समाज, न्यायालय तथा डॉक्टर एसोसिएशन समन्वित रूप से एक ऐसे ढांचे का निर्माण करें जिससे सभी का कल्याण सुनिश्चित हो सके।

भारत में नार्को आतंकवाद की बढ़ती चुनौती: समस्या और समाधान

नार्को आतंकवाद भारत के लिए विशेषकर कश्मीर घाटी में एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है जो संगठित अपराधों को बढ़ावा दे रहा है। जम्मू- कश्मीर पुलिस के चीफ ने हाल ही में कहा कि पाकिस्तान द्वारा किया जाने वाला नार्को आतंकवाद सुरक्षा हेतु सबसे बड़ी चुनौती है। पिछले 5 वर्षों में कश्मीर घाटी में हेरोइन के दुरुपयोग में दो हजार गुना वृद्धि हुई है जिससे आतंक के वित्त पोषण को बढ़ावा मिलता है। वर्तमान समय में पाकिस्तान नार्को आंतकवाद को कश्मीर घाटी में एक प्रॉक्सी वार (छद्म युद्ध) के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। पहले यह प्रॉक्सी वार यानी अप्रत्यक्ष युद्ध घुसपैठियों और आतंकियों द्वारा आतंकी हमले करने तक सीमित था। पाकिस्तान अब कश्मीर में हथियारों और ड्रग्स की तस्करी को बढ़ावा देने का काम कर रहा है जिसका सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव आंतकवाद के नए रूपों के उभार और उनके समर्थन के रूप में दिखा है। पाकिस्तान में स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिद्दीन, लश्कर-ए-तैयबा जैसे कई और संगठन कश्मीर में आतंक और आतंकवादियों को ताकतवर बनाने के लिए ड्रग्स का व्यापार कर रहे हैं।

भारत के नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कुछ ही समय पहले पाकिस्तान स्पॉन्सर नार्को टेरर मॉड्यूल का खुलासा किया था। उस समय पुलिस ने इस मामले से जुड़े तीन आतंकियों को गिरफ्तार किया था। आतंकियों से पुलिस ने 21 किलो हेरोइन, 1.34 करोड़ नगद रुपये तथा एक कैश काउंटिंग मशीन बरामद किया था। यह मॉड्यूल आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के साथ काम कर रहा था। एनआईए ने कुपवाड़ा से एक आतंकी सहयोगी (Terror Associate) को गिरफ्तार किया था। वह सब्जी ढ़ोने वाले वाहन में नशीले पदार्थ, नकदी, हथियार और गोला-बारूद की आपूर्ति कर रहा था। उसे अमरोही, तंगधार क्षेत्र की एलओसी सीमा के पास पकड़ा गया। इस घटना से कश्मीर में नार्को आतंकवाद की चुनौती की गंभीरता का पता चलता है। कश्मीर के साथ ही गुजरात, राजस्थान और पंजाब में नार्को आतंकवाद की घटना इसलिए भी एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि यह हवाला कारोबार, मनी लॉड्रिंग, भ्रष्टाचार, टेरर फंडिंग को बढ़ावा देता है।

नार्को आतंकवाद की अवधारणा और आयाम:

- नार्को आतंकवाद की धारणा को 1983 ई. में पेरू के राष्ट्रपति बेलांदे टेरी ने प्रस्तुत किया था। इससे उनका अभिप्राय उन आतंकवादियों से था जो देश के ड्रग प्रवर्तनकारी पुलिस के खिलाफ हमले करते थे। ड्रग अपराधी जब अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हिंसक गतिविधियों का सहारा लेते हैं और देश की राजनीति को प्रभावित करने के लिए हिंसक मार्ग अपनाते हैं तो उसे पेरू में नार्को आतंकवाद माना गया। नार्को आतंकवाद को कई रूपों में अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे- ड्रग्स के अवैधानिक इस्तेमाल के लिए ड्रग्स के उत्पादन में वृद्धि करना, ड्रग्स का दुरुपयोग करना, ड्रग्स आधारित गंभीर अपराध करना, विधि के शासन के समक्ष खतरे पैदा करना, लोक सुरक्षा व लोगों के स्वास्थ्य पर खतरे उत्पन्न करना, मनी लॉन्ड्रिंग और घुसपैठ आदि शामिल हैं।
- कोलंबिया, पेरू और बोलीविया मिलकर एक अन्य नार्कोटिक बेल्ट का निर्माण करते हैं। नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी वाले इस क्षेत्र को 'सिल्वर ट्रायंगल' के नाम से जाना जाता है जो दुनिया में अवैध कोकीन उत्पादन और उसकी तस्करी के लिए जाने जाते हैं। ब्राजील की सीमा पेरू और कोलंबिया से लगती है। ब्राजील यूरोप को कोकीन भेजने वाले उन प्रमुख देशों में शामिल है जो ट्रांस-अटलांटिक ड्रग्स व्यापार में अपनी भूमिका निभा रहा है। उसके साथ ही मैक्सिको और बोलीविया भी ड्रग तस्करी के लिए विशेष रुप से जाने जाते हैं।
- नशीले पदार्थो अथवा मादक पदार्थो की तस्करी के जरिए प्राप्त पूंजी को, आतंकी गतिविधियों में लगाना या आतंक का वित्तपोषण करना नार्को आतंकवाद कहलाता है। भारत के पड़ोस में स्थित नार्कोटिक बेल्ट गोल्डन क्रिसेंट (पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान) के मार्ग से नशीले पदार्थों की तस्करी विशेषकर जम्मू - कश्मीर, गुजरात, राजस्थान और पंजाब में होती रही है। अफगानिस्तान विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश है और इसके हेलमंड प्रांत में अफगानिस्तान का 90 प्रतिशत से अधिक अफीम उत्पादित किया जाता है। अफगानिस्तान से नशीले पदार्थो की तस्करी पाकिस्तान के रास्ते से जम्मू-कश्मीर में होती रही है और जम्मू-कश्मीर से इसे पंजाब में भेजा जाता रहा है एवं फिर यहां से शेष भारत में। भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो के अनुसार कश्मीर में आतंकवादियों, पंजाब में ड्रग ट्रैफिकिंग और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के बीच

मजबूत लिंक है।

- इसके अतिरिक्त स्वर्णिम त्रिभुज यानि गोल्डन ट्रायंगल एक नार्कोटिक बेल्ट के रूप में नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए जाना जाता है। इसमें तीन दक्षिण-पूर्वी एशियाई देश थाईलैंड, म्यांमार और लाओस शामिल हैं। चूंकि भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती है, अतः म्यांमार के रास्ते उत्तर-पूर्वी भारतीय राज्यों विशेषकर मणिपुर और मिजोरम में नशीले पदार्थों की तस्करी बड़े पैमाने पर होती है। इसके चलते अलगाववादी अथवा पृथकतावादी आंदोलनों और इंसरजेंसी फंडिंग (विप्लव या बगावत के वित्त पोषण) में मदद मिलती है। उत्तर-पूर्वी राज्यों में म्यांमार से पार्टी ड्रग्स की खरीद-फरोख्त के जरिए, युवाओं को नशीले पदार्थों के दुर्व्यसन में लिप्त करने का संगठित प्रयास और अपराध किया गया है।

भारत में नार्को आतंक का केंद्र है जम्मू-कश्मीर:

- नार्को आतंकवाद का भारत में मुख्य केंद्र जम्मू-कश्मीर है और इसे अंजाम देने में पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई भी शामिल है। पाकिस्तान सेना ने हेरोइन की खेती के लिए अफगान सीमा के पास आतंकी संगठनों को जमीन दी है। इसके अलावा पाकिस्तान तालिबान के जरिए अफगानिस्तान और ईरान से आने वाली ड्रग्स को आतंकी संगठनों तक पहुंचाने का काम करता है। नार्को आतंकवाद मॉड्यूल में बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपुरा के साथ ही लाइन ऑफ कंट्रोल के पास के 3 जिले शामिल हैं। जम्मू क्षेत्र के राजौरी और पुंछ जिलों में भी नार्को आतंकवाद का मॉड्यूल चल रहा है। ड्रग्स के व्यापार के साथ-साथ दवा के पैकेट में हथियारों की तस्करी कश्मीर घाटी में की जा रही है।

नार्को आतंकवाद से प्राप्त पैसे का उपयोग:

- कश्मीर सहित भारत के अन्य हिस्सों में ड्रग्स के व्यापार से कमाए गए पैसों का 50 प्रतिशत हिस्सा, मिडिल-ईस्ट के जरिए आतंकवादी संगठनों के फर्जी खातों में भेजा जाता है। ये फर्जी बैंक खाते गैर-सरकारी संगठनों के बेनामी खाते होते हैं। मिडिल-ईस्ट से ड्रग्स की कमाई का पैसा कई अन्य जगह भी बांटा जाता है। इसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की आईएसआई को जाता है। 50 प्रतिशत धन का इस्तेमाल कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी करते हैं। इसी धन को सेना के एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों के परिवारों को दिया जाता है। यही धन कश्मीर के आतंकवाद फैलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है।

नार्को आतंकवाद से निपटने के लिए भारत में किये गए प्रयास:

- भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) नार्को आंतकवाद और ड्रग्स तस्करी से निपटने के लिए सक्रिय होकर कार्य करता है। हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने 'ऑपरेशन खोजबीन' नाम से एक अभियान 7 मई 2022 को शुरू किया था। उक्त ऑपरेशन के तहत तटरक्षक जहाज सुजीत, डीआरआई अधिकारियों को साथ लेकर विशेष आर्थिक क्षेत्र के पास कड़ी निगरानी कर रहा था, तभी समुद्री हलचल के बीच खोजबीन और निगरानी करते हुए, दो संदिग्ध नावों 'प्रिंस' और 'लिटिल जीसस' को भारत की ओर बढ़ते हुए देखा गया। दोनों नौकाओं को 18 मई 2022 को लक्षद्वीप के तट पर आईसीजी व डीआरआई के अधिकारियों द्वारा रोका गया। पूछताछ करने पर इन नावों के चालक दल के कुछ सदस्यों ने स्वीकार किया कि उन्होंने समुद्र में भारी मात्रा में हेरोइन प्राप्त की थी जिसे उन्होंने दोनों नावों में छुपाया था। इसके बाद दोनों नावों को आगे की कार्यवाही के लिए कोच्चि ले जाया गया।
- इंडियन कोस्ट गार्ड ने पिछले तीन वर्षों में विभिन्न अभियानों में लगभग 6,200 करोड़ रुपये मूल्य के 3 टन मादक पदार्थ बरामद किए हैं जिससे अब तक कुल नशीली दवाओं की ढुलाई 12,206 करोड़ रुपये की हो गई है। इन उल्लेखनीय मामलों में श्रीलंकाई नाव शेनाया दुवा और रविहंसी का पकड़ा जाना महत्त्वपूर्ण है जिनमें ड्रग्स, एके-47 और पिस्तौल जैसे हथियारों का जखीरा था। इसके अलावा ईरानी नाव जुम्मा, पाक नाव अल हुसैनी और अल हज का पकड़ा जाना भी उल्लेखनीय रहा है।
- अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ आईसीजी और डीआरआई का संयुक्त अभियान समुद्री मार्गों से देश में दवाओं के आगमन को रोकने में बहुत हद तक सफल रहा है।
- समुद्र के जरिए होने वाली ड्रग्स तस्करी के खिलाफ नौसेना द्वारा भी प्रभावी कार्यवाही की जाती है। हाल के समय में भारतीय युद्धपोत आईएनएस सुवर्णा ने अरब महासागर में एक मछली पकड़ने की नौका को पकड़ा जो 3000 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ ले जा रही थी। इस नौका को कोच्चि तट पर लाया गया। भारतीय नौसेना ने बताया कि नौसना का पोत आईएनएस सुवर्णा अरब सागर में गश्त कर रहा था, तभी उसे मछली पकड़ने की एक नौका की गतिविधियों पर संदेह हुआ। इस पर नौसेना के गश्ती जहाज ने रोका और अधिकारियों ने उसमें सवार लोगों तथा नौका की तलाशी शुरू की। इसी दौरान 300 किलो से ज्यादा मादक पदार्थ जब्त किए गए।

ताइवान-चीन विवाद से वैश्विक राजनीतिक ध्रुवीकरण: आयाम और भारतीय पक्ष

ताइवान जलडमरूमध्य से होकर हाल ही में दो अमेरिकी युद्धपोत गुजरे हैं जिसके बाद अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि यह कदम कहीं से भी अमेरिका की 'वन चाइना पॉलिसी' का उल्लंघन नहीं है, बल्कि 'फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक' की सुरक्षा से प्रेरित है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने भी स्पष्ट किया है कि ताइवान सागर में अमेरिकी युद्धपोतों की आवाजाही का मकसद वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ काम करना नहीं है। दरअसल अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की अध्यक्षा नैंसी पेलोसी द्वारा ताइवान की यात्रा करने के बाद चीन, अमेरिका को संदेह भरी नजरों से देख रहा है। नैंसी पेलोसी की यात्रा के कुछ ही घंटों के भीतर चीन ने अपने 27 युद्धक विमान ताइवान के एयर डिफेंस जोन में भेज दिए थे। इसके अलावा चीन ने ताइवान से रसदार फलों, मछली और अन्य खाद्य पदार्थों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था।

नैंसी पेलोसी चीन की साम्राज्यवादी और आक्रामक नीतियों के खिलाफ काफी मुखर रही हैं एवं दलाई लामा से उनके संपर्कों के चलते भी चीन नैंसी पेलोसी की गतिविधियों के प्रति सतर्क रहा है। 2008 में नैंसी पेलोसी ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की यात्रा की थी जहां उन्होंने दलाई लामा से मुलाकात किया था। चीन तिब्बत को अपना अभिन्न अंग मानता है जिससे उसकी आजादी और अधिक स्वायत्तता से जुड़े प्रयासों को पसंद नहीं करता है। तिब्बत में किसी भी प्रकार की जागरूकता या अधिकार आधारित आंदोलन बढ़ाने की बात को वह अलगाववादी मुद्दे के रूप में देखता है। इसलिए चीन चाहता रहा है कि अमेरिकी कानून निर्माता और राजनयिक तिब्बत की आजादी के मुद्दों को हवा देने से दूर रहें।

नैंसी पेलोसी के विधायी जिले सैन फ्रांसिस्को में 32 प्रतिशत आबादी एशियाई लोगों की है जिसमें ताइवान और तिब्बत मूल के भी लोग रहते हैं। नैंसी पेलोसी आत्म निर्धारण के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर भाषण देती रही हैं जिसे चीन ने संदेह की नजरों से देखा है। 1991 में जब नैंसी पेलोसी अपने राजनीतिक करियर के शुरुआती दौर में थीं तब उन्होंने एक कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के साथ चीन की यात्रा की थी जहां उन्होंने कुछ जगहों पर प्रो-डेमोक्रेसी बैनर्स लहराए थे और तियानमेन स्क्वायर पर हुए मानवाधिकार उल्लंघन के लिए चीन का विरोध किया था।

ताइवान पर अमेरिकी नीति:

- अमेरिका ताइवान मुद्दे पर वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता रहा है और उसकी वन चाइना पॉलिसी 'सामरिक दुविधा' (स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युटी) के रूप में विश्व समुदाय द्वारा देखी गयी है जिसका मतलब है कि एक तरफ अमेरिका, ताइवान को चीन का हिस्सा मानता है वहीं दूसरी तरफ वह ताइवान की सुरक्षा और उसे समर्थन देने के लिए भी वचनबद्ध है। अमेरिका और ताइवान के बीच हो चुके ताइवान डिफेंस पैक्ट में कहा गया है कि यदि बीजिंग ताइवान को बलपूर्वक लेने की कोशिश करता है तो अमेरिका ताइवान को सुरक्षा सहयोग देगा।
- चीन इस बात पर बल देता है कि ताइवान जलडमरूमध्य (ताइवान स्ट्रेट) के दोनों तरफ रहने वाले लोग चीन का हिस्सा हैं और इसी आधार पर वह वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को अपना अभिन्न अंग मानता है जिसमें ताइवान की स्वतंत्रता का विरोध करना शामिल है।
- चीन, ताइवान को अपना अहरणीय भाग मानता है। चीन और ताइवान विवाद तब शुरू हुआ था जब 1949 में चीन में एक गृह युद्ध हुआ। 1949 में माओत्से तुंग के नेतृत्व में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने जीत हासिल कर राजधानी बीजिंग पर कब्जा कर लिया और हार के बाद सत्ता धारी नेशनलिस्ट पार्टी (कुओमिंतांग) के लोगों को भागना पड़ा। कुओमिंतांग पार्टी (KMT) के सदस्यों को ताइवान में जाकर शरण लेनी पड़ी और वहीं पर उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। उसी वक्त से चीन, ताइवान को अपना हिस्सा मानता रहा है।

इंडो-पैसिफिक के लिए जरूरी है ताइवान:

- ताइवान पूर्वी-एशिया में स्थित एक ऐसा देश है जिसकी सामरिक भौगोलिक स्थिति चीन और अमेरिका दोनों की ही महत्त्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जरूरी है। चूंकि ताइवान दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर के संधि स्थल पर स्थित देश है, इस लिहाज से

यह इंडो-पैसिफिक की सुरक्षा में महत्त्व पूर्ण स्थान रखता है। दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों और ताइवान सहित अन्य सभी ऐसे देश इंडो-पैसिफिक की सिक्योरिटी के लिए महत्त्वपूर्ण हैं जो अपने समुद्री क्षेत्रों में चीन के युद्धपोतों या उसके कृत्रिम द्वीपों के निर्माण के प्रयासों का विरोध करते हैं। इंडो-पैसिफिक की सुरक्षा के मद्देनजर ताइवान का जिक्र इसलिए आता है क्योंकि ताइवान में लोकतंत्र के प्रसार और मानवाधिकार के संरक्षण का समर्थन अमेरिका जैसे देश खुलकर करते हैं।

- अमेरिका और क्वाड के अन्य सदस्य देशों ने मुक्त और स्वतंत्र हिंद प्रशांत रणनीति के जरिए प्रशांत महासागर क्षेत्र में नौगमन की स्वतंत्रता पर बल दिया है। ताइवान के क्षेत्र में चीन द्वारा अवैध एयर डिफेंस आईडेंटिफिकेशन जोन बनाना 'फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक स्ट्रेटजी' का उल्लंघन ही है।
- एक तरफ अमेरिका ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करता है लेकिन वह चाहता है कि ताइवान स्ट्रेट के आसपास जो मतभेद विद्यमान हैं उनका शांतिपूर्ण रूप से समाधान किया जाए। ताइवान रिलेशंस एक्ट के जरिए ही अमेरिका, ताइवान को पर्याप्त आत्म सुरक्षा क्षमता देने के लिए प्रतिरक्षा उपकरणों की आपूर्ति करता है एवं उसे हथियार बेचता है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट इन ताइवान वैसे ही सिटीजन और कॉन्स्युलर सेवाओं को प्रदान करता है जैसे डिप्लोमेटिक मिशन के जरिए प्रदान किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ ताइवान ने वाशिंगटन डीसी में ताइपे इकोनामिक एंड कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस को बनाए रखा है।

ताइवान और अमेरिका संबंध, ताइवान में अमेरिका की रुचि का कारण:

- ताइवान 'हाईली एडवांस्ड इकोनामी' है जिसने वर्ष 2021 में 786 बिलियन डॉलर के वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित किया है। अमेरिका और ताइवान के बीच मजबूत व्यापारिक संबंध हैं। दोनों के बीच इकोनामिक प्रोस्पेरिटी पार्टनरशिप डायलॉग होता है। ताइवान, अमेरिका का आठवां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और अमेरिका, ताइवान का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
- 2020 में ताइवान का अमेरिका में कुल निवेश 137 बिलियन डॉलर था।
- वर्ष 2015 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट इन ताइवान और ताइपे इकोनामिक एंड कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ने 'ग्लोबल कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग फ्रेमवर्क' का गठन किया था जो कि ताइवान के विश्व स्तर पर तकनीकी विशेषज्ञता का प्रदर्शन करने का एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के तहत ताइवान और उसके पार्टनर पब्लिक हेल्थ, सप्लाई चैन रिजिलिएन्सी, एनर्जी, वुमन राइट और डिजास्टर रिलीफ के क्षेत्र में टेक्निकल ट्रेनिंग प्रदान करते हैं।
- 2019 में जापान इस फ्रेमवर्क का ग्लोबल पार्टनर बना और 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने भी इसे ज्वाइन कर लिया है। इसका मतलब है कि क्वाड के सदस्य देश अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ताइवान के प्रौद्योगिकी विकास के मुद्दे पर एक साथ काम कर रहे हैं।

विश्व बाजार में ताइवान की स्थिति और ताइवान पर चीनी हमले का संभावित प्रभाव:

- तकनीक के मामले में ताइवान दुनिया में श्रेष्ठतम स्थान रखता है। ताइवान दुनिया में चिप बनाने के मामले में पहले नंबर पर है। यह देश लैपटॉप से लेकर महंगे फोन और घड़ियों का उत्पादन करता है। चिप और स्मार्टफोन इंडस्ट्री इसी पर निर्भर है। ताइवान की कंपनी वन मेजर दुनिया की बड़ी चिप निर्माता कंपनियों में से एक है। दुनिया में चिप निर्माण के मामले में यह कंपनी अकेले ही आधे से ज्यादा का उत्पादन करती है।
- इस तरह से कहें तो इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर फोन, लैपटॉप और जहाज से लेकर सैटेलाइट तक में इस्तेमाल होने वाले चिप के लिए पूरी दुनिया ताइवान पर ही निर्भर है। चीन का ताइवान पर पूर्ण नियंत्रण होने से चीन इस स्थिति का नाजायज लाभ उठा सकता है।
- यदि ताइवान पर चीन का कब्जा हो जाता है तो सीधा खतरा अमेरिका के लिए होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुआम और हवाई द्वीप पर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने सीधे चीन के निशाने पर आ जाएंगे। साथ ही पश्चिमी प्रशांत महासागर में चीन को खुला रास्ता भी मिल सकता है जो सीधे तौर पर अमेरिकी हितों को प्रभावित करेगा। इसीलिए अमेरिका, ताइवान का समर्थन करता रहता है और उसे सैन्य सहायता से लेकर कूटनीतिक मदद तक करता है।
- इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका ऑकस समझौता भी, प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन पर अंकुश लगाता है। साथ ही ताइवान के इलाके में दक्षिण कोरिया, जापान, फिलीपींस जैसे देश अमेरिका के साथ हैं।

भारत की ताइवान नीति:

- भारत का अभी तक ताइवान के साथ कोई औपचारिक व कूटनीतिक संबंध नहीं है। भारत वन चाइना पॉलिसी को ही मान्यता देता है जिसके पीछे कारण यही है कि पहले से ही चीन के साथ सीमा विवादों में घिरा भारत चीन को ताइवान मुद्दे पर भड़काना नहीं चाहता। लेकिन धीरे-धीरे भारत ने अपनी नीति बदली है। दिसंबर 2010 में जब चीन के प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ भारत की यात्रा पर आए थे तब जारी किए गए संयुक्त दस्तावेज में भारत ने वन चाइना पॉलिसी के समर्थन की बात का उल्लेख नहीं किया था।

- बीजिंग ने भारत को अपना संदेश दे रखा है कि वह अगर वन चाइना पॉलिसी को बनाए रखता है तो इससे दोनों देशों के बीच में पारस्परिक विश्वास बढ़ेगा। लेकिन हाल के समय में भारत ने इस पॉलिसी का समर्थन करने की बात को ठुकरा दिया है क्योंकि बीजिंग ने भी चीन की यात्रा करने वाले जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को सामान्य वीजा की जगह नत्थी वीजा जारी किया था जो बात भारत को पसंद नहीं आई।
- गौरतलब है कि वर्ष 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में ताइवान के राजदूत और तिब्बत के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया था जिसके जरिये भारत ने चीन को एक संदेश दे दिया था। भारत ताइवान के साथ व्यापारिक-आर्थिक संबंधों को बनाए रखना चाहता है।
- व्यापार, निवेश, पर्यटन, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में दोनों के बीच व्यापक संबंध हैं। भारत का ताइपे में एक ऑफिस है जो कूटनीतिक कार्यों को संपन्न करता है और इसके अलावा इंडिया-ताइपे एसोसिएशन, ताइपे इकोनामिक एण्ड कल्चरल सेंटर (1995 ई. में स्थापित) जो कि नई दिल्ली में स्थित है। इन दोनों संस्थाओं के जरिए भारत और ताइवान के संबंधों को मजबूती देने की कोशिश की जाती है। चीन द्वारा गलवान घाटी में हमले के बाद भारत ने ताइवान में अपने नए राजदूत को नियुक्त किया था।
- चूंकि भारत क्वाड, इंडो-पेसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जैसे संगठनों एवं मालाबार तथा रिंपैक जैसे प्रशांत महासागरीय सुरक्षा के अभ्यासों का भी भाग है। इसलिए उसका दायित्व बनता है कि वह ताइवान मुद्दे को बेहतर राजनयिक ढंग से सुलझाने का प्रयास करे।

नीति आयोग की 'हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन रिपोर्ट'

सन्दर्भ:

हाल ही में नीति आयोग द्वारा हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन रिपोर्ट जारी की गई है।

परिचय:

वर्तमान समय में सम्पूर्ण विश्व ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से ग्रस्त है। भारत भी ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अत्यंत संवेदनशील है तथा इस सन्दर्भ में यथोचित प्रयास कर रहा है। इसीलिए हाल ही में नीति आयोग ने आरएमआई नामक संस्था के सहयोग से तैयार हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन नामक रिपोर्ट जारी की है यह रिपोर्ट ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही साथ डीप डिकार्बोनाइजेशन के लिए अवसर प्रदान करेगी। इस रिपोर्ट की अनुशंसाओं को मानने से भारत अपने ग्लास्गो लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकेगा।

हाइड्रोजन ऊर्जा का वर्गीकरण:

इस समय क्लीन एनर्जी कंपनियों की निगाह 7 प्रकार के हाइड्रोजन पर है–

1. **ब्राउन हाइड्रोजन:** इस प्रकार के हाइड्रोजन का उत्पादन ब्राउन कोयले का उपयोग करके उत्सर्जन को वायुमंडल में निष्कासित करने से किया जाता है। इसका उत्पादन गैसीकरण की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है जबकि ब्लैक हाइड्रोजन का निर्माण ब्लैक कोयले से किया जा सकता है।
2. **ग्रे हाइड्रोजन (Grey Hydrogen):** यह प्राकृतिक गैस अथवा मीथेन से उत्पन्न होता है। जिस प्रक्रिया द्वारा यह उत्पन्न होता है उसे 'स्टीम रिफॉर्मिंग' कहते हैं। इससे संबंधित उत्सर्जन को वायुमंडल में निष्कासित किया जाता है और यह उत्सर्जन बहुत कम मात्रा में होता है।
3. **ब्लू हाइड्रोजन (Blue Hydrogen):** इस प्रकार का हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है जहाँ कार्बन कैप्चर और स्टोरेज का उपयोग करके उत्सर्जन को कैप्चर किया जाता है। ब्लू हाइड्रोजन का उत्पादन भी स्टीम रिफॉर्मिंग की प्रक्रिया के जरिये ही होता है।
4. **ग्रीन हाइड्रोजन:** इसे क्लीन हाइड्रोजन भी कहा जाता है। यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे-सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा से प्राप्त स्वच्छ ऊर्जा से उत्पादित होता है। इसमें मुख्यत: इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है।
5. **पिंक हाइड्रोजन:** ग्रीन हाइड्रोजन की ही तरह इसे जल के इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिये ही उत्पादित किया जाता है। अंतर बस इतना है कि पिंक हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा के साधनों की बजाय नाभिकीय ऊर्जा से संचालित होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के एक्सट्रीम टेम्परेचर का इस्तेमाल इसके लिए किया जाता है।
6. **येलो हाइड्रोजन:** सोलर पावर का इस्तेमाल करते हुए वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया के जरिये येलो हाइड्रोजन का उत्पादन कर पाना संभव होता है।
7. **टर्कवाईज (Turquoise) हाइड्रोजन (फिरोजा रंग का हाइड्रोजन) :** इसमें मीथेन पाइरोलोसिस (Meathne Pyrolosis) की प्रक्रिया के जरिये फिरोजा रंग के हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। मीथेन पाइरोलोसिस से सॉलिड कार्बन उत्पन्न होता है।

क्या है ग्रीन हाइड्रोजन?

- ग्रीन हाइड्रोजन एक प्रकार का नवी करणीय ऊर्जा स्रोत तथा ऊर्जा का स्वच्छ रूप है। इसका कार्बन फुटप्रिंट अन्य हाइड्रोजन ऊर्जाओं यथा-ग्रे हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन तथा ब्लू हाइड्रोजन से काफी कम है।
- ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन जल के इलेक्ट्रोलाइसिस (विद्युत् अपघटन) द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में विद्युत् द्वारा जल को उसके अपघटक तत्वों (हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन) में अपघटित किया जाता है।
- उल्लेखनीय है कि वर्तमान में भारत में सर्वाधिक उत्पादन 'ग्रे हाइड्रोजन' का होता है।

डीप डीकार्बोनाइजेशन:

डीप डीकार्बोनाइजेशन वाक्यांश कार्बन-उत्सर्जक ईंधन के क्रमिक उन्मूलन को सन्दर्भित करता है जो अधिक टिकाऊ विकल्पों का पक्षधर है। दूसरे शब्दों में, डीप

डीकार्बोनाइजेशन जलवायु संकट से निपटने के लिए एक त्वरित, अल्पकालिक समाधान से कहीं अधिक है। यह एक दीर्घकालिक सक्रिय रणनीति है जो मनुष्यों को ग्रह पर लम्बे समय तक रहने योग्य वातावरण प्रदान करता है।
जब डीप डीकार्बोनाइजेशन के सर्वोत्तम दृष्टिकोण की बात आती है तो इसके लिए एक आम सहमति बन गई है। इसका उद्देश्य प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्सर्जित कार्बन की मात्रा को कम करना है, न कि केवल ऊर्जा, परिवहन, निर्माण और उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्रों तक ही सीमित है।

नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के प्रमुख बिन्दु:

नीति आयोग और आरएमआई द्वारा संयुक्त रूप से तैयार यह रिपोर्ट इस बात को रेखांकित करती है कि ग्रीन हाइड्रोजन, जल के इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिये उत्पादित अक्षय ऊर्जा- उर्वरक, रिफाइनिंग, मेथेनॉल, मैरीटाइम शिपिंग, लौह एवं इस्पात और परिवहन जैसे क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए महत्त्वपूर्ण होगा। इसमें आगे कहा गया है कि हाइड्रोजन के मामले में उभरती वैश्विक स्थिति को देखते हुए भारत न केवल कम कार्बन उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था बनने बल्कि देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए भी, इस अवसर का लाभ उठा सकता है।
नीति आयोग की यह रिपोर्ट सरकार के पर्यावरण संबंधी लक्ष्यों को चिन्हित करती है। इसके मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं -

- नीति आयोग ने डीप डिकार्बोनाइजेशन के लिए हरित हाइड्रोजन को ऊर्जा का एक स्वरुप माना है तथा यह बताया है कि लगभग 45 देशों ने हाइड्रोजन ऊर्जा को बढ़ावा देना के लिए रोडमैप जारी किया है।
- यह रिपोर्ट भारत को वैश्विक ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने के उद्देश्य से प्रेरित है।

रिपोर्ट में बताई गई प्रमुख चुनौतियाँ:

- इस रिपोर्ट में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, वितरण तथा ट्रांसपोर्टेशन की चुनौतियों तथा उसके समाधान पर चर्चा की गई है।
- रिपोर्ट ने यह बताया है कि भारत में हाइड्रोजन उत्पादन की उच्च लागत, आपूर्ति शृंखला सम्बंधित समस्या, विधिक जटिलता, अनुसंधान में कमी इत्यादि भारत के हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में सबसे बड़ी बाधा हैं।
- नीति आयोग ने यह बताया है कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल तथा ऊर्जा आयातक देश है। इसके साथ ही ऊर्जा सुरक्षा तथा कार्बोनाइजेशन देश के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है।
- रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया है कि वर्ष 2050 तक भारत में हाइड्रोजन की मांग 4 गुना अधिक बढ़ सकती है जो सकल वैश्विक मांग का लगभग 10 प्रतिशत होगा।

स्कॉटलैंड के ग्लासगो में COP-26 जलवायु सम्मेलन में 'राष्ट्रीय वक्तव्य' देते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए अपना पांच सूत्रीय एजेंडा पेश किया जिसे 'पंच अमृत तत्व' या 'पंचामृत' कहा।
पहला- भारत अपनी गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 2030 तक 500 GW तक ले जाएगा।
दूसरा- भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करेगा।
तीसरा- भारत अब से 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी करेगा।
चौथा- 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45 प्रतिशत से अधिक कम कर देगा।
पांचवां- वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो कार्बन लक्ष्य हासिल करेगा।

इन चुनौतियों को हल करने के उपाय : नीति आयोग की प्रमुख अनुशंसाएं:

- यह रिपोर्ट राज्यों में ग्रीन कॉरिडोर बनाने की अनुशंसा करता है।
- रिपोर्ट यह कहती है कि ग्रीन हाइड्रोजन में निवेश को बढ़ाने की आवश्यकता है जिसके लिए स्टार्टअप्स को सस्ते ऋण तथा अनुदान उपलब्ध कराना चाहिए। निवेश बढ़ाने के लिए डिमांड एग्रीगेटर और डॉलर आधारित बिडिंग को माध्यम बनाया जा सकता है।
- निकट-अवधि के नीतिगत उपाय ग्रीन हाइड्रोजन की मौजूदा लागत को कम कर सकते हैं जिससे इसे ग्रे हाइड्रोजन (प्राकृतिक गैस द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन) के मूल्य के मुकाबले प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। मध्यावधि में नीतिगत उपाय द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन को हाइड्रोजन श्रेणी में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, उद्योग को मार्गदर्शित करते हुए हर संभव मदद दिया जाना चाहिए।
- सरकार को औद्योगिक क्लस्टरों की पहचान करके वित्त पोषण से संबद्ध व्यावहारिक अंतर को कम करना चाहिए। साथ ही नियमों एवं लक्ष्यों को लागू करते हुए निकट भविष्य में, बाजार के विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- अनुसंधान एवं विकास और इलेक्ट्रोलाइजर जैसे उपकरणों के विनिर्माण में मौजूद अवसरों को पहचानने की आवश्यकता है। वर्ष 2028 तक 25 गीगावाट विनिर्माण क्षमता हासिल करने के लिए इलेक्ट्रोलाइजरों को उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के साथ उचित रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

- वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी ग्रीन हाइड्रोजन उद्योग से, ग्रीन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन-एम्बेडेड लो- कार्बन उत्पादों जैसे-ग्रीन अमोनिया और ग्रीन स्टील का निर्यात हो सकता है। इससे 2030 तक देश में 95 गीगावॉट इलेक्ट्रोलाइसिस क्षमता हासिल हो सकती है।
- नीतिगत समन्वय के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति बनाने की आवश्यकता है जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को बढ़ावा दे सके।
- इसके साथ ही नीति आयोग ने हाइड्रोजन उत्पादों के निर्यात में वृद्धि के लिए एक वैश्विक हाइड्रोजन गठबंधन बनाने की अनुशंसा की है।

ग्रीन हाइड्रोजन के लाभ:

- ग्रीन हाइड्रोजन औद्योगिक प्रक्रियाओं में जीवाश्म ईंधन का विकल्प बन सकता है। इससे भारत की क्रूड ऑयल पर निर्भरता कम होगी।
- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होने के कारण यह आर्थिक विकास को गति प्रदान करेगा ही साथ में पर्यावरण संरक्षण में मदद करेगा। इससे आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण का संतुलन बना रहेगा जोकि 2070 तक भारत के नेट जीरो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सहयोगी होगा।
- रिपोर्ट ने यह भी बताया है कि सही नीतियों के द्वारा भारत सबसे कम लागत वाले उत्पादक के रूप में उभर सकता है तथा 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन का मूल्य $1 प्रति किलोग्राम तक कम किया जा सकता है। इसके द्वारा न सिर्फ भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को प्राप्त करने में सक्षम होगा बल्कि एक ऊर्जा निर्यातक के रूप में भी स्थापित हो सकता है।
- रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 2030 तक भारत में ग्रीन हाइड्रोजन बाजार का आकार लगभग 8 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है जो भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को आसान बनायेगा।

ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए किये गए अब तक के प्रयास-

राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन:

- भारत द्वारा केंद्रीय बजट 2021-22 के अंतर्गत एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की घोषणा की गई है जो हाइड्रोजन को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिये एक रोडमैप तैयार करेगा।

ग्रीन हाइड्रोजन नीति:

- विद्युत मंत्रालय (MoP) के द्वारा हरित हाइड्रोजन नीति (Green Hydrogen Policy& GHP) की घोषणा की गयी है। इस नीति में वर्ष 2030 तक 5 मिलियन टन प्रतिवर्ष (MTPA) हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। हरित हाइड्रोजन नीति बनाने वाला भारत दुनिया का 18वां देश बन गया है।
- इस नीति के अंतर्गत सरकार द्वारा उत्पादन के लिये विनिर्माण क्षेत्र की स्थापना करने और प्राथमिकता के आधार पर इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम से जुड़ाव तथा 25 वर्ष के लिये निःशुल्क ट्रांसमिशन को प्रस्तावित किया जा रहा है।
- ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया के विनिर्माताओं को पावर एक्सचेंज से, नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद करने की अनुमति दी गई है।
- इसके साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन विनिर्माताओं को यह अनुमति भी दी गई है कि वे नवीकरणीय ऊर्जा (RE) क्षमता को स्वयं या किसी अन्य उत्पादक के माध्यम से कहीं भी स्थापित कर सकते हैं।
- यह नीति उत्पादकों को सृजित नवी करणीय ऊर्जा के किसी भी अधिशेष को 30 दिनों तक बिजली वितरण कंपनियों (Discoms) के पास जमा रखने तथा उसके आवश्यकतानुरूप प्रयोग की विशेष सुविधा भी प्रदान करती है।

निष्कर्ष:

यह सत्य है कि ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसा विकल्प है जिसके द्वारा भारत न सिर्फ अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं तथा आर्थिक विकास का पोषण कर सकता है बल्कि भारत ऊर्जा आयातक से ऊर्जा निर्यातक बन सकता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के समक्ष उत्पन्न कानूनी तकनीकी तथा उनकी समस्याओं को हल किया जाए। नीति आयोग की रिपोर्ट का अनुपालन करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। वर्तमान में ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक महत्त्व बढ़ रहा है, ऐसे में भारत को इस परियोजना पर तेजी से कार्य करने की आवश्यकता है।

1 वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना को 2 अक्टूबर, 2022 से पूरे देश में लागू करेगी।

प्रमुख बिंदु:

इस योजना के तहत भारत सरकार ने सभी उर्वरकों के लिए एक ही ब्रांड नाम **'भारत'** निर्धारित किया है। उर्वरक सब्सिडी योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना कर दिया गया है। अब सभी उर्वरक बाजार में भारत ब्रांड नाम से ही बेचें जायेंगे। जैसे- भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी और भारत एनपीके यूरिया आदि। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के उर्वरक उत्पादों के ब्रांड नाम भी भारत ब्रांड के नाम पर होंगे। उर्वरक बैग पर प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का लोगो लगा होगा।

इस योजना को शुरू करने में सरकार का पक्ष:

एकल ब्रांड नाम से उर्वरकों की कालाबाजारी को रोकना आसान हो जाएगा। एकल ब्रांड नाम उर्वरकों की क्रॉस मूवमेन्ट (या एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने) को रोककर माल- भाड़े को कम करने में मदद मिलेगी। बगैर किसी प्रतिस्पर्धा के सभी उर्वरक कंपनियों के उत्पाद आसानी से बिक जायेंगे। सरकार को एकल ब्रांड पर सब्सिडी योजना निर्धारित करने में आसानी होगी। खाद की सभी बोरियां एक जैसी होंगी जिससे किसान बोरियों की पहचान आसानी से कर सकेंगे। खेतों की मिट्टी के लिए समय पर पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित हो जायेगी। उर्वरक उत्पादन से जुड़े मानकों को पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार स्वयं निभाएगी न कि कंपनियां।

उर्वरक कंपनियों का पक्ष:

सभी कंपनियों के उत्पाद का एक ही ब्रांड नाम होने के कारण बाजार में उनके उत्पाद की ब्रांड वैल्यू पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। उर्वरक कंपनियां सरकार के इस कदम से सहमत नहीं हैं।

प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना (पीएमबीजेपी):

यह यूरिया बैग पर उल्लिखित सब्सिडी योजना का नाम है। सरकार सबसे अधिक सब्सिडी उर्वरक उत्पादों पर देती है। सरकार 2022-23 में उर्वरक उत्पादन पर दो लाख करोड़ रुपये खर्च करने वाली है। इसीलिए सरकार ने यूरिया के उत्पादन, भंडारण, वितरण और ब्रांड के नाम पर अपना नियंत्रण स्थापित किया है।

देश में अलग-अलग ब्रांड के उर्वरक उत्पादों को रोकने तथा उर्वरकों की इधर-उधर आवाजाही की चुनौती को दूर करने के लिए सरकार ने पीएमबीजेपी योजना के तहत, **वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना** को लांच किया है।

भारत सरकार, उर्वरक (संचालन नियंत्रण) आदेश, 1973 के तहत मूल्य नियंत्रण और सब्सिडी के अलावा कंपनियों के मन-माने ढंग से व्यापार करने पर भी रोक लगाती है।

आगे की राह:

इस योजना के शुरू होने से न

केवल किसान लाभान्वित होंगे, बल्कि सभी उर्वरक कंपनियों को अपने-अपने व्यापार क्षेत्रों में फायदा होगा, लेकिन भारत सरकार को एकल ब्रांड यूरिया उत्पाद के साथ-साथ पर्यावरण अनुकूल जैविक खेती पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है।

अभी तक कुल 26 उर्वरकों (यूरिया सहित) पर सरकार सब्सिडी वहन करती है एवं अधिकतम खुदरा मूल्य भी प्रभावी ढ़ंग से तय करती है।

2 अनंगताल झील

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार ने दक्षिण दिल्ली में 1000 साल पुरानी अनंगताल झील को राष्ट्रीय महत्त्व का स्मारक घोषित किया है।

झील से जुड़े प्रमुख बिंदु:

- यह एक ऐतिहासिक झील है जिसका निर्माण नई दिल्ली के मेहरौली में तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय द्वारा 1060 ई. में कराया गया था। झील का यह क्षेत्र पहले ढ़िल्लिकापुरी के नाम से चर्चित था। इस ढ़िल्लिकापुरी को बाद में नई दिल्ली कहा जाने लगा। वर्तमान में इस झील का क्षेत्रफल लगभग 10.5 एकड़ है।
- अनंगताल झील जोगमाया मंदिर के उत्तर में तथा कुतुब मीनार परिसर के उत्तर-पश्चिम में लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है।
- महाराजा अनंगपाल द्वितीय का संबंध तोमर वंश से था, इसलिए उन्हें अनंगपाल तोमर कहा जाता था। अनंगपाल तोमर, पृथ्वीराज चौहान के नाना थे।
- यह वहीं पृथ्वीराज चौहान हैं जिनका किला 'राय पिथौरा' या 'लाला कोट' भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की सूची में शामिल है और जिन्होंने 1191 में तराइन (हरियाणा में) की पहली लड़ाई में मोहम्मद गोरी को हराया था।
- पुरातात्विक अध्ययन से पता चलता है कि अनंगपाल तोमर 8 से 12 वीं शताब्दी के मध्य दिल्ली और हरियाणा के शासक थे।
- ऐसा माना जाता है कि यह क्षेत्र प्राचीन समय में एक विश्राम करने का स्थल था लेकिन अब यह सूख गया है और खेती के लिए उपयोग किया जाता है।
- यह भी कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1296-1316 ई. में कुतुब मीनार के निर्माण एवं कुतुब-उल-इस्लाम मस्जिद का विस्तार करते समय इसी झील के पानी का उपयोग किया था।

राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारक:

- संस्कृति मंत्रालय के अधीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किसी प्राकृतिक स्थल, ऐतिहासिक इमारत या भवन को राष्ट्रीय महत्त्व का दर्जा देता है जबकि इनके निर्माण, रख-रखाव तथा संरक्षण की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर होती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के तहत देश में सभी पुरातत्वीय गतिविधियों को विनियमित करता है।
- चूंकि यह झील दिल्ली की स्थापना के एक प्रतीक के तौर पर है जो वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण स्थिति में मौजूद है, इसलिए भारत सरकार इसका जीर्णोद्धार कराकर भविष्य में भी बनाए रखना चाहती है।
- 2015 में केरल के वायनाड जिले के नदवायल में विष्णु मंदिर को राष्ट्रीय महत्त्व की सूची में जोड़ा गया था।
- 2018 में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने छह स्मारकों को संरक्षित एवं राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित किया था। उदाहरण के लिए नागपुर में प्राचीन उच्च न्यायालय भवन, आगरा में आगा खां और हाथी खाना की हवेली, अलवर जिले में नीमराना बावड़ी, ओड़िशा के बोलनगीर जिले के रानीपुर झरियल में मंदिरों का समूह और उत्तराखंड, पिथौरागढ़ का कोटली विष्णु मंदिर।
- वर्तमान में, देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत कुल राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों की संख्या बढ़कर 3,693 हो गई है। उत्तर प्रदेश (745), कर्नाटक (506) एवं तमिलनाडु (413) में संरक्षित स्थलों की संख्या सर्वाधिक है।

आगे की राह:

किसी भी देश के राष्ट्रीय स्मारक न केवल उस देश की विरासत होते हैं, साथ ही पर्यटन के द्वारा रोजगार तथा राष्ट्रीय आय का साधन भी उत्पन्न करते हैं इसलिए देश की सभी ऐतिहासिक इमारतों तथा सरकारी संस्थानों का संरक्षण अति आवश्यक है।

3 खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवरेज बढ़ाएं: सुप्रीम कोर्ट

चर्चा में क्यों?

- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत कवरेज बढ़ाने का निर्देश दिया है ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद व्यक्तियों और नागरिकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत लाभ मिल सके। यह कानून ग्रामीण और शहरी गरीबों को सब्सिडी वाला अनाज प्राप्त करने का अधिकार देता है। अभी तक सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को लाभ मिलता है जो 2011 जनगणना में सम्मिलित हैं। अदालत ने केंद्र से प्रवासी मजदूरों और अन्य जरूरतमंद लोगों को एनएफएसए में शामिल करने के लिए कहा जो 2011 की जनगणना से बाहर हैं।
- इससे पहले 2021 में, शीर्ष अदालत ने केंद्र को एनएफएसए की धारा 9 के अनुसार कवरेज को फिर से निर्धारित करने का निर्देश दिया था। अर्थात इस बार अदालत द्वारा निर्देश को सिर्फ दोहराया गया है।

कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के मायने:

- 2011-2021 के बीच भारी जनसंख्या वृद्धि हुई। अत: लाभ 2011 की जन-गणना पर सीमित नहीं होना चाहिए।
- भोजन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत उपलब्ध एक मौलिक अधिकार है।
- अदालत ने माना इन लोगों को शामिल करने के लिए वैकल्पिक डेटा उपलब्ध है। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आधिकारिक जनसंख्या अनुमान के आधार पर।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013:

भारत सरकार ने जुलाई, 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) अधिनियमित किया जो 67 प्रतिशत आबादी (ग्रामीण क्षेत्रों में 75 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत) को अत्यधिक रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देता है। इसमें लाभार्थियों की पहचान राज्यों द्वारा की जाती है।

- अधिनियम के तहत, प्राथमिकता वाले परिवार की श्रेणी के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम और अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों के लिए 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह खाद्यान्न दिया जाता है।
- अधिनियम के तहत कवरेज, 2011 की जनगणना पर आधारित हैं। यह अधिनियम अब सभी 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है और इसमें लगभग 81.35 करोड़ व्यक्ति शामिल हैं।

भारत में पीडीएस प्रणाली के तहत क्या समस्याएं हैं?

- राज्यों द्वारा वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करना अभी भी कठिन कार्य बना हुआ है।
- लाभार्थी डेटा में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) परिवारों को शामिल करने और शामिल न करने में बहुत सारी त्रुटियां होती हैं।
- कई राज्यों में गैर-मौजूद लोगों के नाम पर बनाए गए घोस्ट कार्ड का उच्च प्रसार इंगित करता है कि अनाज को वास्तविक लाभार्थियों के बजाय खुले बाजार में बेच दिया जाता है।
- लीकेज का एक हिस्सा उचित मूल्य की दुकानों के स्तर पर होता है जहाँ कुछ स्टोर मालिक सामान्य स्टोर से कम गुणवत्ता वाले सामान को पीडीएस के तहत वितरण के लिए दिए गए उच्च गुणवत्ता वाले सामान से आदान-प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत चलाई जा रही योजनाएं:

- मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस), सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस), प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आदि जैसी योजनाएं अधिनियम के तहत शामिल हैं। अब केंद्र सरकार इस अधिनियम के तहत 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना' लागू कर रही है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक:

- यह सूचकांक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत राज्यों द्वारा किए गए सुधारों का आकलन करता है और राज्यों को रैंकिंग प्रदान करता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के कार्यान्वयन के लिए राज्यों की रैंकिंग में ओड़िशा शीर्ष पर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश हैं।

निष्कर्ष:

भारतीय संविधान में भोजन के अधिकार का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन अदालत का फैसला सराहनीय है। इस प्रकार यह उम्मीद लगायी जा रही है कि अब छूटे हुए वास्तविक लोग इस अधिनियम के तहत लाभ उठा सकेंगे।

4 चुनाव आयोग द्वारा हेमंत सोरेन के विधायक पद को अयोग्य ठहराने की सिफारिश

चर्चा में क्यों?

चुनाव आयोग (ईसी) ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित करने की सिफारिश की है।

स्वयं को एक पत्थर खनन पट्टा (Stone Mining Lease) आवंटित करने के कारण उन पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप है क्योंकि मुख्यमंत्री सोरेन राज्य के खनन विभाग के प्रमुख भी हैं।

मामला:

- पूरा विवाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा कथित तौर पर पिछले साल खुद को एक पत्थर खनन पट्टा आवंटित करने में, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने से उपजा है।
- विपक्ष ने राज्यपाल से संपर्क करके स्वयं को लीज देने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 9(ए) के उल्लंघन पर, सोरेन को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी।
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9(ए) निर्वाचित प्रतिनिधियों को 'वस्तु की आपूर्ति' या 'किसी भी कार्य के निष्पादन' के लिए सरकार के साथ किसी भी अनुबंध में प्रवेश करने से रोकता है।
- राज्यपाल ने उस समय संविधान के अनुच्छेद-192 के तहत इस मामले पर चुनाव आयोग की राय मांगी थी।
- चुनाव आयोग ने इस साल मई में सोरेन को नोटिस जारी कर शिकायत पर जवाब मांगा था। 12 अगस्त को सोरेन द्वारा चुनाव आयोग के सामने अपनी दलीलें दी गई थीं।

आगे क्या हो सकता है?

- संविधान के अनुसार, राज्यपाल चुनाव आयोग की सलाह से बंधे होते हैं क्योंकि ऐसे मामलों में चुनाव आयोग अर्ध-न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करता है।
- अगर चुनाव आयोग हेमंत सोरेन को अयोग्य ठहराता है तो राज्यपाल के पास सुझाव को मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9(ए) के अनुसार, निर्वाचित प्रतिनिधि की अयोग्यता तब तक रहेगी जब तक अनुबंध लागू है।
- इसलिए यदि विधानसभा अध्यक्ष सोरेन की सीट खाली घोषित करते हैं, तो वह मुख्यमंत्री के रूप में इस्तीफा दे सकते हैं और तकनीकी रूप से फिर से शपथ ले सकते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही खनन पट्टे का आत्मसमर्पण कर दिया था।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद-164 (4) के अनुसार कोई मंत्री या मुख्यमंत्री लगातार छह महीने तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होने पर भी अपने पद पर बना रह सकता है या नियुक्त हो सकता है।

''लाभ के पद'' की अवधारणा:

- लाभ के पद से सम्बंधित कानून के तहत, यदि विधायक या सांसद सरकार में 'लाभ का पद' धारण करते हैं तो संविधान की विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत प्रभावित हो सकता है।

लाभ का पद:

- भारत के संविधान में अनुच्छेद-102(1)(a) तथा अनुच्छेद-191(1)(a) में लाभ के पद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद-102(1)(a) के अंतर्गत संसद सदस्यों के लिये तथा अनुच्छेद-191(1)(a) के तहत राज्य विधानसभा के सदस्यों के लिये ऐसे किसी अन्य लाभ के पद को धारण करने की मनाही है।
- संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 अधिनियमित में उन पदों की सूची दी गई है जिन्हें लाभ के पद से बाहर रखा गया है।
- सुप्रीम कोर्ट ने 1964 में फैसला सुनाया था कि कोई व्यक्ति लाभ का पद रखता है या नहीं, इसका निर्धारण उसकी नियुक्ति की जाँच द्वारा होगी।

सर्वोच्च न्यायालय के इससे संबंधित फैसले:

- सर्वोच्च न्यायालय के तीन निर्णयों के मद्देनजर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9ए के तहत मुख्यमंत्री को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
- 1964 में सी.वी.के. राव बनाम दंतु भास्कर राव के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने माना है कि एक खनन पट्टा, माल की आपूर्ति के अनुबंध की राशि (amount to a contract) नहीं है।
- 2001 में करतार सिंह भड़ाना बनाम हरि सिंह नलवा और अन्य के मामले में शीर्ष न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि खनन पट्टा सरकार द्वारा किये गए कार्य का निष्पादन नहीं है।
- यदि मुख्यमंत्री को किसी प्राधिकारी द्वारा अयोग्य घोषित किया जाता है, तो भी वह इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकता है और यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार चार महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिये।

5 मिथिला मखाना को मिला जीआई टैग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग प्रदान किया है। इस कदम से उत्पादकों को उनकी अच्छी उपज का अधिकतम मूल्य मिलेगा। इस निर्णय से बिहार के मिथिला क्षेत्र के पांच लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। एक बार किसी उत्पाद को यह टैग मिल जाने के बाद, कोई भी व्यक्ति या कंपनी उस नाम से मिलती-जुलती वस्तु नहीं बेच सकता है। यह टैग 10 साल की अवधि के लिए वैध होता है जिसके बाद इसे नवीकृत किया जा सकता है। जीआई पंजीकरण के अन्य लाभों में उस वस्तु की कानूनी सुरक्षा, दूसरों द्वारा अनधिकृत उपयोग के खिलाफ रोकथाम और निर्यात को बढ़ावा देना शामिल है।

मिथिला मखाना के बारे में:

मखाना, मिथिला की सबसे अच्छी जलीय नकदी फल फसल में से एक है। इसका उपयोग त्यौहारों के दौरान देवी-देवताओं को प्रसाद चढ़ाने के लिए किया जाता है। यह कम वसा सामग्री, उच्च कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और खनिजों से भरपूर होता है जो आमतौर पर लोगों द्वारा खूब पसंद भी किया जाता है। कच्चे और तले हुए दोनों मखानों में अमीनो अम्ल की प्रचुर मात्रा होती है। मखाना सूक्ष्म पोषक तत्वों का भंडार होता है। भारतीय चिकित्सा पद्धति में बहुत से औषधीय उपयोगों के लिए मखाने की सिफारिश की जाती है।

मखाना के लिए उपयुक्त जलवायुः

यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। इसको उगाने के लिए तापमान 20-35 डिग्री सेल्सियस, सापेक्षिक आर्द्रता 65-90% और वार्षिक वर्षा 100-250 से.मी. की आवश्यकता होती है। मखाना एक जलीय फल फसल होने के कारण इसको पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। विशेष रूप से इसकी खेती के लिए सिंचाई के पानी की उपलब्धता होना आवश्यक है। चिकनी व दोमट मिट्टी मखाना उगाने के लिए उपयुक्त होती है।

जीआई टैगः

- भौगोलिक संकेत (जीआई) उन उत्पादों पर उपयोग किया जाने वाला एक संकेत है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है। यह मुख्य रूप से एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाला कृषि, प्राकृतिक या निर्मित उत्पाद होता है जो इसकी गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है।
- औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन के अनुच्छेद-1 (2) और 10 के तहत जीआई टैग को संरक्षण प्राप्त है। बौद्धिक संपदा अधिकार (ट्रिप्स) समझौते के व्यापार संबंधित पहलुओं के अनुच्छेद (22-24) के तहत जीआई टैग को मान्यता मिली है।
- भारत में भौगोलिक संकेत वस्तु के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 और वस्तु के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) नियम, 2002 के तहत संरक्षित हैं।

एक भौगोलिक संकेत व्यापार चिह्न से कैसे भिन्न होता है?

व्यापार चिह्न एक संकेत है जिसका उपयोग व्यापार के दौरान किया जाता है और यह एक व्यवसाय की वस्तुओं या सेवाओं को अन्य व्यवसायों के साथ अलग करता है।

भौगोलिक संकेत एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली विशेष विशेषताओं वाले सामानों की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक संकेत है।

निष्कर्षः

भौगोलिक संकेतों के संरक्षण से निर्माताओं और उत्पादकों की समग्र आर्थिक समृद्धि होती है। इसके अलावा, जीआई टैग से उत्पादों का विपणन (Marketing) प्रचार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है जिसके परिणाम स्वरुप क्षेत्रीय आर्थिक विकास होता है।

6 जमानत नियम और जेल अपवाद होना चाहिए- सुप्रीम कोर्ट

सन्दर्भः

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के संबंध में अहम टिप्पणी की। जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस एम.एम. सुंदरेश की पीठ ने जमानत से जुड़े कानूनों में सुधार की सख्त जरूरत बताई। पीठ ने ब्रिटेन की तर्ज पर सरकार से जमानत को लेकर अलग कानून बनाने पर विचार करने को कहा था। अदालत ने कहा कि जमानत नियम और जेल अपवाद होना चाहिए। हालांकि, निचली अदालतों का रुख इसके ठीक उलट रहा है। पीठ ने माना कि अदालतों के जमानत देने से इनकार करने के रवैये ने जांच एजेंसियों का मनोबल बढ़ाया है। एजेंसियों ने इसे दंड देने का हथियार बना लिया है। कोर्ट ने ऐसे रवैये को

संविधान के अनुच्छेद-21 का हनन माना था।

जमानत नियम, जेल अपवाद:

- जस्टिस कृष्ण अय्यर ने 1977 ई. में राजस्थान बनाम बालचंद मामले में अहम फैसला दिया था। कोर्ट ने जोर देकर कहा था कि सभी मामलों में जमानत दी जानी चाहिए। इससे तभी इनकार किया जाना चाहिए जब आरोपी के भाग जाने, दोबारा अपराध दोहराने या गवाहों को प्रभावित करने का जोखिम हो।
- गुरबख्श सिंह बनाम पंजाब राज्य केस में जमानत देने की मंशा को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से समझाया था। तब यह कहा गया था कि दंडात्मक उपाय के रूप में जमानत को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि जमानत का उद्देश्य मुकदमे में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। जमानत को सजा के रूप में नहीं रोका जाना चाहिए।
- निचली अदालतों नें इन सिद्धांतों के उलट फैसला दिया है। इसके कई उदाहरण हैं जैसे कि मोहम्मद जुबैर, स्टैन स्वामी, असीम त्रिवेदी आदि के मामले।

जमानत पर भारत का कानून क्या है?

- सीआरपीसी जमानत शब्द को परिभाषित नहीं करता है बल्कि केवल भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों को 'जमानती' और 'गैर-जमानती' के रूप में वर्गीकृत करता है।
- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 436 में कहा गया है कि I.P.C. के तहत एक जमानती अपराध के आरोपी व्यक्ति को जमानत दी जा सकती है जो उसे अधिकार के रूप में मिला है। दूसरी ओर, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 437 में कहा गया है कि गैर-जमानती अपराधों में आरोपी को जमानत का अधिकार नहीं है। इन मामलों में जमानत देना अदालत का विवेकाधिकार है। इसके अलावा अग्रिम जमानत भी सीआरपीसी की धारा 438 के तहत प्रदान की जाती है।

आगे की राह:

भारत में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा 2020 के लिए संकलित नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, देश के सभी जेल कैदियों में से लगभग 76% कैदी विचाराधीन थे जिनमें से लगभग 68% या तो निरक्षर थे या स्कूल छोड़ चुके थे। देश में ऐसी स्थिति होना वास्तव में गंभीर परिणामों को जन्म दे सकता है। अतः जमानत को लेकर ब्रिटेन जैसा कानून होना, समय की मांग है जिससे कि लोगों के अधिकारों की रक्षा की जा सके तथा न्यायपालिका पर और अधिक विश्वास को बढ़ाया जा सके।

7 एनसीआरबी की एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया रिपोर्ट, 2022

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एनसीआरबी की रिपोर्ट "एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया" से पता चला है कि वर्ष 2021 में आत्महत्या करने वालों में सबसे अधिक दिहाड़ी मजदूर हैं।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

दैनिक वेतन भोगी मजदूर

- वर्ष 2021 के दौरान कुल 1,64,033 आत्महत्या करने वालों में, दिहाड़ी मजदूरों की संख्या 42,004 यानि 25.6 प्रतिशत दर्ज की गयी।
- वर्ष 2020 में भी कुल 1,53,052 आत्महत्याओं में से 37,666 (24.6 प्रतिशत) सबसे अधिक दैनिक मजदूर ही थे।

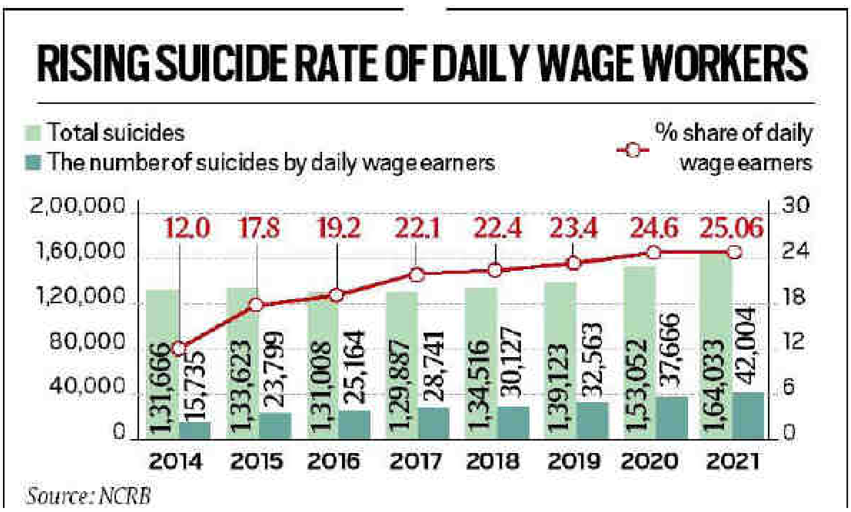

- वहीं वर्ष 2019 में कुल दर्ज 1,39,123 आत्महत्याओं में से 23.4 प्रतिशत

(32,563) थी।

- राष्ट्रीय स्तर पर, आत्महत्याओं की संख्या में वर्ष 2020 से 2021 तक 7.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- इस अवधि के दौरान दैनिक वेतन भोगी समूह में आत्महत्याओं की संख्या में 11.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- नवीनतम रिपोर्ट से पता चलता है कि 2021 के दौरान आत्महत्या पीड़ितों के बीच दैनिक वेतन भोगियों की हिस्सेदारी न केवल बढ़ी है बल्कि राष्ट्रीय औसत की तुलना में यह संख्या भी तेजी से बढ़ी है।
- एनसीआरबी की आत्महत्या रिपोर्ट में दिहाड़ी मजदूर, कृषि मजदूरों के समूह से अलग दैनिक वेतन भोगी समूह में आते हैं जो 'कृषि क्षेत्र में लगे व्यक्तियों' के समूह के तहत एक उप-समूह है।

किसान और कृषि मजदूर:

- किसान से अभिप्राय एक ऐसे व्यक्ति से है जिसका व्यवसाय खेती है और इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जो स्वयं या कृषि मजदूरों की सहायता अपनी जमीन पर या बिना पट्टे की भूमि पर या अन्य की भूमि पर खेती करता है।
- 'कृषि मजदूर' से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र (कृषि/बागवानी) में काम करता है जिसकी आय का मुख्य स्रोत कृषि श्रम गतिविधियों से है।
- वर्ष 2021 में कृषि क्षेत्र में लगे व्यक्ति समूह में 10,881 आत्महत्याएं दर्ज की गई जिनमें 5,318 किसान और 5,563 कृषि मजदूर शामिल थे।
- वर्ष 2019 से 2020 के दौरान 'किसान' आत्महत्या के मामले 5,957 से 5,579 घटे हैं वहीं 'कृषि मजदूर' आत्महत्या से जुड़े मामले 4,324 से 5,098 बढ़े हैं।
- रिपोर्ट से पता चलता है कि कुल दर्ज आत्महत्याओं में 'कृषि क्षेत्र में लगे व्यक्तियों' की हिस्सेदारी 2021 के दौरान 6.6 प्रतिशत थी।

स्व-नियोजित समूह:

- वर्ष 2020 से 2021 के दौरान स्व-नियोजित समूह से आत्महत्या के मामलों में 16.73 प्रतिशत की उच्चतम वृद्धि 17,332 से 20,231 दर्ज की गई।
- एनसीआरबी ने आत्महत्या से जुड़ी रिपोर्ट को नौ पेशेवर समूहों में वर्गीकृत किया है: छात्र, पेशेवर/वेतनभोगी व्यक्ति, दैनिक वेतन भोगी, सेवानिवृत्त व्यक्ति, बेरोजगार व्यक्ति, स्वरोजगार व्यक्ति, गृहिणी, कृषि क्षेत्र में लगे व्यक्ति और अन्य व्यक्ति।

बेरोजगार व्यक्ति:

- 'बेरोजगार व्यक्ति' समूह एकमात्र ऐसा समूह था जिसमें आत्महत्याओं की गिरावट देखी गई। 2020 में 15,652 से 12.38 प्रतिशत की गिरावट के साथ 2021 में 13,714 आत्महत्याएं हुई।

- **राज्यवार आत्महत्या के मामले:** आत्महत्याओं के मामले में लगातार पिछले तीन वर्षों से महाराष्ट्र (22,207) 2021 में भी सबसे आगे है। उसके बाद तमिलनाडु (18,925) तथा म.प्र. (14,965) हैं। हालांकि, भारत में आत्महत्या की उच्च दर के मामले में महाराष्ट्र देश के 10 शीर्ष राज्यों में शामिल नहीं है।
- रिपोर्ट में आत्महत्या के प्रमुख कारणों में नशीली दवाओं का सेवन और शराब की लत को माना गया है।

मजदूर समूह की आत्महत्याओं के क्या कारण हैं?

- न्यूनतम मजदूरी में अस्पष्टता, मजदूरी से जुड़े कानूनों में जटिलता, एक बड़े श्रम बल का असंगठित क्षेत्र से सम्बंधित होना, मजदूरों में जागरूकता का आभाव आदि।

मजदूरी से जुड़े कानून:

- मजदूरी संहिता नियम-2020, असंगठित सामाजिक सुरक्षा अधिनियम-2008, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) -2005, मजदूरी भुगतान अधिनियम-1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948, बोनस भुगतान अधिनियम-1965, समान पारितोषिक अधिनियम- 1976, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम-1976 इत्यादि।

संवैधानिक प्रावधान:

- भारत का संविधान अनुच्छेद-23 में मौलिक अधिकार के अंतर्गत बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है और अनुच्छेद-23 के तहत मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाता है।
- मजदूरी संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है, इसलिए इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं।

इन आत्महत्याओं को रोकने के उपाय:

- कृषि एवं पशुपालन को लाभप्रद बनाया जाए, कम खर्च और अधिक मुनाफे वाली खेती पर जोर दिया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए, देश के सभी मजदूर एवं वंचित समूहों तक सरकारी सेवाओं की पहुँच को पारदर्शी बनाया जाए।

एनसीआरबी के बारे में:

इसकी स्थापना वर्ष 1986 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग और गृह मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर की गयी थी। मार्च, 2022 में इसने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है। यह संस्था क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या, जेल सांख्यिकी और भारत में गुमशुदा महिलाओं तथा बच्चों पर रिपोर्ट जारी करती है।

आगे की राह:

वर्तमान में एनसीआरबी देश के पुलिस

स्टेशनों में दर्ज होने वाले केवल मामलों को ही अपनी रिपोर्ट में बताती है जबकि अन्य केंद्रीय एजेंसियां, जैसे- केंद्रीय जाँच ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और राष्ट्रीय जाँच एजेंसी अभी भी इससे अलग हैं। इसलिए देश में विभिन्न आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण करने हेतु भारत सरकार द्वारा इस ब्यूरो को और अधिक सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता है। साथ ही देश की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं असंगठित मजदूर वर्ग की बड़ी भूमिका के कारण, इनसे जुड़े कानूनों को प्रभावी तरीके से सरकार द्वारा लागू किया जाना चाहिए।

8 महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ अपराधों में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एनसीआरबी कि रिपोर्ट के अनुसार देश में वर्ष 2021 में महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ अपराधों में वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय आंकड़े:

- वर्ष 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 15.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- प्रति 1 लाख महिलाओं की जनसंख्या के खिलाफ अपराध की दर वर्ष 2020 में 56.5% से बढ़कर वर्ष 2021 में 64. 5% हो गई है।
- 4,28,278 केस महिला उत्पीड़न के दर्ज हुए जिनमें-

1. 31.8% महिलाओं पर हमले उनके पति या रिश्तेदारों द्वारा किए गए।
2. 20.8% हमले उन पर विनम्रता को अपमानित करने के इरादे से किए गए।
3. 17.66% अपहरण के मामले दर्ज किए गए।
4. 7.40% बलात्कार के मामले दर्ज हुए।

राज्यवार आकड़े:

- वर्ष 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध की उच्च दर असम (168. 3%) ओड़िशा, हरियाणा, तेलंगाना और राजस्थान पायी गई हैं।
- राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में मामूली कमी दर्ज की गई है जबकि ओड़िशा, हरियाणा और तेलंगाना में वृद्धि देखी गई है।
- वर्ष 2021 में महिलाओं के विरूद्ध अपराध के सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए। इसके बाद क्रम से राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और ओड़िशा में दर्ज हुए। अपराध के दर्ज मामलों की संख्या सबसे कम नागालैंड में रही।

केंद्रशासित प्रदेश:

- वर्ष 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध की उच्चतम दर 147.6% दिल्ली में रही।

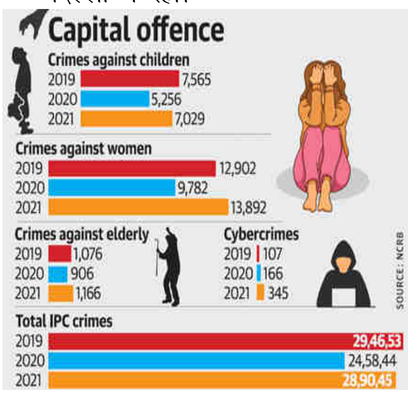

शहरवार आंकड़े प्रतिशतता के आधार पर:

- **सबसे अधिक दर वाले शहर:** जयपुर (194%) दिल्ली, इंदौर और लखनऊ।
- **सबसे कम दर वाले शहर:** चेन्नई और कोयंबटूर।

शहरवार आंकड़े वास्तविक संख्या के आधार पर:

- **शीर्ष शहर:** दिल्ली(13,892), मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद।

घरेलू हिंसा और दहेज के कारण होने वाली मौतें:

- वर्ष 2021 के दौरान देश में घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत केवल 507 यानी 0.1% मामले दर्ज किये गए। घरेलू हिंसा से जुड़े सर्वाधिक मामले 270 केरल में दर्ज किये गए।
- दहेज हत्या से जुड़े सर्वाधिक मामले 6,589 उत्तर प्रदेश और बिहार में दर्ज किये गए।
- कोरोना महामारी के बाद वर्ष 2021 में बलात्कार, अपहरण, बच्चों के खिलाफ अपराध और डकैती जैसी अपराधिक घटनाएं पूरे भारत में बढ़ी हैं।
- **बलात्कार के मामले:** वर्ष 2021 में 2020 की तुलना में, 13 प्रतिशत बढ़े हैं।
- बलात्कार के मामलों में वर्ष 2021 में राजस्थान 16.4% के साथ शीर्ष पर है।
- **अपहरण के मामले:** वर्ष 2021 में 2020 की तुलना में, 20 प्रतिशत बढ़े हैं।
- **हत्या के मामले:** वर्ष 2021 में 2020 की तुलना में, 29,193 से 29,272 हो गए हैं।
- हत्या के सर्वाधिक मामले उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में दर्ज किये गए।

वर्ष 2021 में बच्चों के खिलाफ अपराध:

- कोविड-19 के बाद वर्ष 2021 में बच्चों के खिलाफ अपराधों में बढ़ोत्तरी हुई है।
- केरल, मेघालय, हरियाणा, मिजोरम और सिक्किम में बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की दर सबसे अधिक रही है।

महिलाओं के खिलाफ अपराध के कारण:

- भारतीय समाज में लैंगिक भेद-भाव, पुरुष-प्रधान नियम तथा कानून, रुढ़ि-वादी संस्कृति एवं प्रथाएं और दहेज प्रथा आदि।

अपराध नियंत्रण में आने वाली चुनौतियां:

- नौकरशाही का असहयोग, न्यायिक विलंब, मामलों की जानबूझकर अनदेखी और अपराधों की रोकथाम के बजाय सजा पर अधिक जोर देना।

क्या हैं भारत में कानूनी प्रावधान?

- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005, दहेज निषेध अधिनियम-1961, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम-2013, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम(POCSO)-2012 आदि।

संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद-14 महिला तथा पुरुष को एक समान अधिकार देता है।
- अनुच्छेद-15(1) महिला तथा पुरुष के बीच लैंगिक भेद-भाव को रोकता है।
- अनुच्छेद-15(3) के अनुसार सरकार महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है।
- अनुच्छेद-51(A)(e) महिलाओं को गरिमामय जीवन प्रदान करता है।

आगे की राह:

सरकार को महिला एवं बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर नियंत्रण हेतु, पूरी दृढ़ इच्छा के साथ जमीनी स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। दोषियों को सजा देने के बजाय अपराध को जड़ से खत्म करने पर जोर देना चाहिए।

9 करों के डिविजबल पूल से राज्यों को मिलने वाले राजस्व में लगातार हो रही कमी

चर्चा में क्यों?

हाल के समय में, यह देखा जा रहा है कि राज्यों का राजस्व लगातार कम हो रहा है। इसके पीछे की मुख्य वजह डिविजबल पूल से मिलने वाले राजस्व का लगातार कम होना है। लगातार राजस्व कम होने से केंद्र और राज्य के बीच राजकोषीय असंतुलन भी बढ़ा है जो यह दर्शाता है कि वस्तु एवं सेवा कर जैसे सुधार वास्तव में राज्यों के लिए टिकाऊ नहीं थे।

मामला क्या है?

विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक में घटते राज्य के राजस्व पर चिंता व्यक्त की। उनके द्वारा करों के डिविजबल पूल में अधिक हिस्सेदारी और जीएसटी मुआवजे के विस्तार की मांग की गयी।

ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन क्या है?

- केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों (राजस्व) और जिम्मेदारियों के वितरण में ऊर्ध्वाधर विषमता है जिसे अक्सर ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन कहा जाता है। केंद्र सरकार के पास राज्यों की अपेक्षा अधिक राजस्व के संसाधन उपलब्ध हैं जबकि जिम्मेदारियां राज्यों से कम होती है।
- संविधान के अनुच्छेद-280 के तहत इस ऊर्ध्वाधर असंतुलन का समाधान प्रदान किया गया। जिसके तहत हर पांच साल में वित्त आयोग का गठन किया जाता है जो राज्यों को केंद्र से संसाधनों के हस्तांतरण की सिफारिश करता है।
- केंद्रीय संसाधनों के हस्तांतरण के लिए संविधान ही बताता है कि ये कर स्रोत जिन राज्यों के साथ साझा किया जाना चाहिए, उन्हें हम डिविजबल पूल के रूप में जानते है।

डिविजबल पूल क्या है?

- डिविजबल पूल सकल कर राजस्व का वह हिस्सा है जो केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है।
- डिविजबल पूल में विशिष्ट उद्देश्य के लिए लगाए गए अधिभार, उपकर व संग्रह शुल्क को छोड़कर लगभग सभी कर शामिल हैं।

डिविजबल पूल की वर्तमान स्थिति क्या है?

- 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2019-20 में, केंद्र सरकार और राज्यों द्वारा जुटाए गए कुल संसाधनों का 62.7% राजस्व केंद्र सरकार ने जुटाया, वहीं खर्च के मामले में 62.4% खर्च राज्यों द्वारा वहन किया गया।
- कई वित्त आयोगों (एफसी) ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाकर असंतुलन को कम करने का प्रयास किया है फिर भी राज्यों की स्थिति में कोई बहुत सुधार नहीं हुआ है।
- कई बार यह देखने में आया है कि वित्त आयोग द्वारा राज्यों की डिविजबल पूल में हिस्सेदारी तो बढ़ा दी जाती है परन्तु राजस्व न होने के चलते यह पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाता है।
- हालांकि, केंद्र सरकार ने उपकर और अधिभार लगाकर अपने राजस्व में वृद्धि की है जिन्हें राज्यों के साथ साझा नहीं करना होता है। पिछले कुछ वर्षों में, सकल कर राजस्व में उपकरों और अधिभारों का हिस्सा उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। इससे केंद्र सरकार के खजाने में तो वृद्धि हुई है, वहीं डिविजबल पूल कम हो गया है जो वास्तव में राज्यों को केंद्र से मिलने वाले राजस्व को प्रभावित कर रहा है।

आगे की राहः

राज्यों पर खर्च के अधिक बोझ के बावजूद डिविजबल पूल का कम होना यह बताता है कि मुख्यमंत्रियों की शिकायत उचित है। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, कृषि ऋण माफी, साथ ही 2019-20 में विकास की गति में कमी के कारण राज्यों की वित्तीय स्थिति पहले ही अच्छी नहीं थी और अब महामारी के दौरान बढ़े हुए खर्च एवं राजस्व की कमी ने उनके वित्त को और अधिक प्रभावित किया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि स्थिति शीघ्रातिशीघ्र निवारण करने योग्य है।

अंतर्राष्ट्रीय

1 नेपाल के नये नागरिकता कानून को लेकर विवाद

चर्चा में क्यों?

- हाल में नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नागरिकता संशोधन अधि नियम, 2006 को प्रतिनिधि सभा में वापस भेजकर सदस्यों से अधिनियम पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है।
- चुनाव से पहले राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सभा के बीच इस विवाद ने नेपाल में नागरिकता के मुद्दे पर पुनः बहस छेड़ दिया है।

नेपाल के नागरिकता अधिनियम का मुद्दाः

- 2006 में राजशाही के पतन और 2008 में माओवादी सरकार के गठन के बाद नेपाल, लोकतांत्रिक राज्य में परिवर्तित हो गया था।
- 20 सितंबर, 2015 को संविधान अपनाने के बाद यहाँ बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली का उदय हुआ।
- संविधान प्रभावी होने की तिथि से पहले जन्में सभी नेपाली नागरिकों को प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त हो गई लेकिन नागरिकों के बच्चे नागरिकता के बिना रह गए क्योंकि उन्हें एक संघीय कानून द्वारा निर्देशित किया जाना था जिसे अभी तक तैयार नहीं किया गया है।

संशोधन अधिनियम के मुद्दे:

- नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2006 की मुख्य आलोचना इसका लैंगिक न्याय के स्थापित मानकों के खिलाफ होना है।
- संविधान में अनुच्छेद-11(2)(b) के अनुसार, नेपाली नागरिकता वाले पिता या माता से जन्म लेने वाले बच्चे, वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं।
- अनुच्छेद-11(5) कहता है कि एक व्यक्ति जो एक नेपाली मां तथा एक अज्ञात पिता से पैदा हुआ है, को भी नागरिकता मिल सकेगी। लेकिन यह प्रावधान एक माँ के लिए अपमानजनक प्रतीत होता है क्योंकि उसे यह घोषित करना पड़ता है कि बच्चे के पिता की पहचान नहीं की जा सकती है। एक नेपाली पिता के मामले में इस तरह की घोषणाओं की आवश्यकता नहीं है।
- अनुच्छेद-11(7) कहता है कि एक नेपाली मां से पैदा हुआ बच्चा और एक विदेशी नागरिकता रखने वाले पिता को नेपाल के कानूनों के अनुसार प्राकृतिक रूप से नागरिकता मिल सकती है किन्तु यह माता और बच्चे पर स्थायी निवास की शर्त (सात वर्ष की कूलिंग अवधि में) रखता है।
- यह संशोधन दुनिया भर में अप्रवासी नेपाली को नई तरह की नागरिकता देता है जिसमें उन्हें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार तो प्राप्त होंगें लेकिन राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।
- सुश्री भंडारी ने अधिनियम पर हस्ताक्षर करने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि संविधान के कुछ प्रावधान महिलाओं पर अधिक जिम्मेदारी डालते हैं।

उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 11 (5): यह पिता के बाद में पाए जाने पर मां के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही का समर्थन करता है। देश के रूढ़िवादी वर्गों की एक स्पष्ट चिंता है कि नेपाली पुरुष विशेष रूप से तराई क्षेत्र से, उत्तर भारत की महिलाओं से शादी करते हैं जिससे नेपाली पहचान कमजोर हो रही है।

इन मुद्दों के कारण कई महिलाएं नेपाल की नागरिक नहीं बन सकीं क्योंकि नेपाल में नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले उन्हें सात साल की कूलिंग ऑफ अवधि के अधीन किया गया था।

- हालांकि, नए संशोधनों ने इन नागरिकता विहीन (स्टेटलेस) महिलाओं के लिए कूलिंग अवधि को समाप्त कर दिया है।
- इससे ऐसे परिवारों के बच्चों को लाभ

होगा जहाँ मां और बच्चे सालों तक नागरिकता विहीन रहे हैं।

आगे की राह :

- नेपाल नागरिकताविहीन संघर्ष समिति ने काठमांडू में विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि राष्ट्रपति भंडारी को उस अधिनियम की पुष्टि करनी चाहिए जिसे प्रतिनिधि सभा द्वारा दूसरी बार पारित किया गया था।
- भारतीय मूल की महिलाएं और उनके बच्चे जो कूलिंग ऑफ पीरियड एवं नौकरशाही शिथिलता के कारण अधिकारों से वंचित हैं, यदि राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा अधिनियम को मान्यता नहीं दी जाती है तो ये लोग नागरिकता विहीन (स्टेटलेस) स्थिति में फंस जाएंगे।

2 सैन्य अभ्यास "वोस्तोक-2022"

चर्चा में क्यों?

जापान सागर में सितंबर, 2022 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारत और चीन सहित विश्व के 13 देशों ने हिस्सा लिया। इस सैन्य अभ्यास में भारत के शामिल होने पर अमेरिका ने चिंता व्यक्त की है।

सैन्य अभ्यास के बारे में:

- यह सैन्य अभ्यास रूस के प्रिमोर्स्की (Primorsky) क्षेत्र की एक सैन्य रेंज में हुआ है। इस सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए रूस ने 13 देशों- अजरबैजान, अल्जीरिया, आर्मेनिया, बेलारूस, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, निकारागुआ, सीरिया और ताजिकिस्तान को आमंत्रित किया था। उनमें से नौ देशों के सैनिकों ने युद्धाभ्यास में भाग लिया।
- 01 सितंबर से 07 सितंबर तक आयोजित हुए इस सैन्य अभ्यास में, सैन्य अधिकारियों के लिए युद्ध खेल और सैनिकों के लिए फील्ड अभ्यास, साथ ही नौसेना और हवाई प्रशिक्षण शामिल थे। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस सैन्य अभ्यास में 50,000 से अधिक सैनिक, अधिकारी और 5,000 से अधिक भारी सैन्य उपकरण जिनमें 140 विमान और 60 नौसेना के जहाज शामिल हैं, भाग लिया।

भारतीय सेना की भागीदारी:

- इस सैन्य अभ्यास में 7 से 8 गोरखा राइफल्स के सैनिकों की टुकड़ी ने बहुपक्षीय रणनीति के तौर भाग लिया जिसका उद्देश्य सैन्य टुकड़ियों तथा पर्यवेक्षकों के बीच बातचीत और समन्वय स्थापित करना था। विभिन्न सुरक्षा खतरों के खिलाफ अपनी क्षमता को बढ़ावा देना और रणनीतिक समन्वय के लिए आगे आना उद्देश्य है।
- अभ्यास में चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की भागीदारी भी शामिल थी।
- भारत ने अमेरिका की चिंता को दूर करते हुए कहा कि भारत पिछले कई वर्षों से अन्य देशों के साथ, रूस में नियमित रूप से बहुपक्षीय अभ्यासों में भाग लेता रहा है। ऐसे में वह कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है।

महत्त्व:

- इस सैन्य अभ्यास से भारत और चीन के मध्य लद्दाख क्षेत्र में गलवान घाटी तथा पैन्गोंग त्सो झील को लेकर दो साल से चल रहे तनाव कम हो सकते हैं। इससे भारत और रूस के बहुपक्षीय संबंध भविष्य में भी प्रगाढ़ रहने के लिए प्रेरणा मिलेगी।

3 भारत और बांग्लादेश के बीच कुशियारा नदी जल समझौता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने कुशियारा नदी जल बंटवारे के समझौते को अंतिम मंजूरी दी।

प्रमुख बिंदुः

- इस समझौते को अंतिम मंजूरी मंत्री स्तरीय संयुक्त नदी आयोग की 38वीं बैठक के दौरान दी गयी। इस बैठक को 12 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद आयोजित किया गया।
- इस बैठक के दौरान दोनों देशों ने आपसी हित के कई मुद्दों पर चर्चा की जिसमें नदी जल बंटवारा, बाढ़ के आंकड़ों पर वार्ता, नदी प्रदूषण पर ध्यान, अवसादन प्रबंधन (Sedimentation Management) पर संयुक्त अध्ययन और नदी तट के संरक्षण कार्य आदि शामिल हैं।
- इसी बैठक में भारत-बांग्लादेश के बीच अक्टूबर 2019 में फेनी नदी पर हुए समझौते को भी अंतिम रूप दिया गया। ध्यातव्य है कि इसी फेनी नदी के पानी से त्रिपुरा के सबरूम शहर में पानी की जरूरतों को पूरा किया जाता है।
- इस तरह दोनों देशों के बीच 54 नदियों में से सात नदियों के जल बंटवारे पर सहमति बन चुकी है।
- सीमावर्ती नदियों पर आपसी हित के मुद्दों का समाधान करने लिए भारत और

बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग का गठन वर्ष 1972 में शांति संधि के तहत किया गया था।

कुशियारा नदी के बारे में:

- कुशियारा नदी भारत और बांग्लादेश में बहने वाली एक नदी है। बराक नदी भारत-बांग्लादेश सीमा पर दो नदियों में बंट जाती है-एक कुशियारा नदी और दूसरी सूरमा नदी। कुशियारा पश्चिम दिशा में बहते हुए भारत के असम राज्य तथा सिलहट जिले की सीमा बनाती है। बांग्लादेश में कुछ दूर बहने के बाद सूरमा नदी से इसका फिर संगम होता है और यह संयुक्त नदी अब मेघना नदी कहलाती है।

भारत और बांग्लादेश के बीच अन्य नदी-जल विवाद:

- **तीस्ता नदी जल विवाद-** पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति न होने के कारण यह विवाद बना हुआ है। साउथ एशिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक 413 किमी. लम्बी तीस्ता नदी भारत में लगभग 295 किमी. के दायरे में बहती है जिसमें 142 किमी. पश्चिम बंगाल में वहीं 150 किमी. सिक्किम राज्य में बहती है। बांग्लादेश में तीस्ता नदी करीब 120 किमी. के क्षेत्र में बहती हुई ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिल जाती है।
- **गंगा जल नदी विवाद:** भारत द्वारा 1975 में गंगा नदी पर फरक्का बांध बनने के बाद इन दोनों देशों के बीच गंगा-जल के बंटवारे के कारण विवाद बना रहा है। दोनों देशों के बीच गंगा-जल बंटवारे को लेकर वर्ष 1996 में एक संधि भी हो चुकी है।

आगे की राह:

भारत और बांग्लादेश को मैत्रीपूर्ण सम्बंध और सहयोग के माध्यम से अपने सभी सीमा संबंधी और नदी जल विवादों को सुलझाना चाहिए ताकि इनके दीर्घकालिक हितों पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े।

4 विश्व व्यापार संगठन में सुधार की जरूरत

चर्चा में क्यों?

भारत, क्यूबा, पाकिस्तान और 44 अफ्रीकी देशों ने हाल ही में विश्व व्यापार संगठन के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान एक लिखित नोट प्रस्तुत किया। यह नोट 1995 में संगठन की स्थापना में अंतर्निहित ऐतिहासिक असंतुलन को ठीक करने के प्रयास से संबंधित है।

सम्मेलन की मुख्य बातें:

- एकपक्षीय कृषि व्यापार नियम जो ओईसीडी देशों के किसानों को उच्च सब्सिडी प्रदान करने की अनुमति देते हैं लेकिन विकासशील देश इससे वंचित रहते हैं।
- व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों (TRIPS) के संरक्षण नियम का विकसित देश दुरुपयोग कर रहे हैं।
- औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी में असमानता है, साथ ही उन्नत अर्थव्यवस्थाओं ने अपने औद्योगिक विकास के दौरान उदारतापूर्वक उपयोग किया लेकिन विकासशील देशों को औद्योगीकरण के लिए समान अवसर नहीं दिया गया।
- विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विश्व व्यापार संगठन को समझना होगा कि सभी देशों की अपनी अलग-अलग चुनौतियाँ एवं प्राथमिकताएं हैं जिससे वे देश वरीयता तय करते हैं। इसके साथ ही विकासशील देशों पर कोविड-19 के असमान प्रभाव अधिक पड़े हैं। अत: विश्व व्यापार संगठन को विकासशील देशों के लिए अलग से कुछ रियायतें देनी चाहिए।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ):

- इसकी स्थापना 1 जनवरी, 1995 में हुई थी।
- इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।
- विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान में 164 सदस्य देश हैं जो विश्व व्यापार के 98 प्रतिशत व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं।

भूमिकाएँ:

- यह व्यापार नियमों की वैश्विक प्रणाली को संचालित करता है।
- यह व्यापार समझौतों पर बातचीत के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
- यह अपने सदस्यों के बीच व्यापार विवादों का निपटारा करता है।
- यह विकासशील देशों की जरूरतों का समर्थन करता है।

संगठन का स्वरुप:

- विश्व व्यापार संगठन का शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन है। इसके नीचे सामान्य परिषद और अन्य विभिन्न परिषदें और समितियाँ हैं।
- मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आमतौर पर हर दो वर्ष में एक बार होता है।
- सामान्य परिषद दिन-प्रतिदिन निर्णय लेने वाली शीर्ष संस्था है।

निष्कर्ष:

भारत और अन्य विकासशील देशों को इन संस्थाओं में सुधार लाने के लिए एक साथ आना होगा और भारत इसमें बेहतरी के लिए अपना नेतृत्व प्रदान कर सकता है।

पर्यावरण

1 आर्कटिक लगभग चार गुना तेजी से हुआ गर्म

चर्चा में क्यों?

हाल ही में फिनिश मौसम विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने 'कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट जर्नल' में अपना शोध पत्र प्रकाशित किया जिसमें बताया कि आर्कटिक बाकी ग्रह की तुलना में चार गुना तेजी से गर्म हो रहा है। इस घटना को **आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन** के रूप में जाना जाता है। वार्मिंग आर्कटिक के यूरेशियन भाग में अधिक केंद्रित है जहां रूस और नॉर्वे के उत्तर में बैरेंट्स सागर वैश्विक औसत से सात गुना तेजी से गर्म हो रहा है। इसके परिणाम स्वरुप आर्कटिक क्षेत्र में वर्षों से जमा हुए मीथेन हाइड्रेट निक्षेपों से भारी मात्रा में मीथेन उत्सर्जित हो रही है।

आर्कटिक वार्मिंग का कारण:

आर्कटिक वार्मिंग के चार प्राथमिक कारण हैं-

1. बर्फ-अल्बेडो प्रतिक्रिया (Ice-albedo Feedback)
2. ह्रास प्रतिक्रिया (Lapse Rate Feedback)
3. जल वाष्प प्रतिक्रिया (Water Vapour Feedback)
4. महासागरीय ऊष्मा परिवहन (Oceanic Heat Transport)

बर्फ का एल्बिडो उच्च होता है जिसका अर्थ है कि वे पानी और जमीन के विपरीत अधिकांश सौर विकिरण को प्रतिबिंबित करने में सक्षम होते हैं। आर्कटिक के मामले में, ग्लोबल वार्मिंग के परिणामस्वरूप समुद्री बर्फ कम हो रही है जिसके कारण बर्फ कम सौर विकरण प्रतिबिम्बित कर पा रहे हैं। जैसे-जैसे समुद्री बर्फ पिघलती है, आर्कटिक महासागर सौर विकिरण को अवशोषित करने में अधिक सक्षम होंगे जिससे प्रवर्धन (amplification) को बढ़ावा मिलेगा। अध्ययनों से पता चलता है कि बर्फ-अल्बेडो प्रतिक्रिया और ह्रास प्रतिक्रिया क्रमशः 40% और 15% ध्रुवीय प्रवर्धन के लिए जिम्मेदार हैं।

आर्कटिक प्रवर्धन:

पृथ्वी की सतह का दीर्घकालिक ताप, पूर्व-औद्योगिक काल से मानवीय गतिविधियों के कारण अधिक हो गया है और ग्रह के औसत तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। सतही वायु तापमान और विकिरण संतुलन में कोई भी परिवर्तन उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर बड़े परिवर्तन उत्पन्न करता है। इस घटना को ध्रुवीय प्रवर्धन के रूप में जाना जाता है। ये परिवर्तन उत्तरी अक्षांशों पर अधिक स्पष्ट हैं जो आर्कटिक प्रवर्धन के रूप में जाने जाते हैं।

आर्कटिक वार्मिंग का प्रभाव:

- मीथेन और कार्बन के अधिक उत्सर्जन से ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि।
- समुद्री जल स्तर में वृद्धि।
- पानी का अम्लीकरण।
- समुद्र की लवणता में परिवर्तन।
- आर्कटिक क्षेत्र के आसपास जैव विविधता में कमी।
- आर्कटिक क्षेत्र के आसपास वर्षा में वृद्धि।
- आर्कटिक क्षेत्रों के आसपास जीवों की मौत।

भारत पर इसका प्रभाव:

यह भारतीय उपमहाद्वीप में मानसूनी वर्षा को प्रभावित कर सकता है। देश में मौसम सम्बंधी घटनाओं, पानी और खाद्य सुरक्षा के लिए वर्षा पर भारी निर्भरता के कारण यह हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। देर से आने वाले मानसून को आर्कटिक वार्मिंग से जोड़ सकते हैं। इसके अलावा अरब सागर से सटे हुए क्षेत्रों में अधिक वर्षा देखने को मिल सकती है।

निष्कर्ष:

उपरोक्त शोध से यह पता चलता है कि आर्कटिक का बढ़ता तापमान पूरी दुनिया के लिए बड़ी समस्या है। इसलिए सभी देशों को राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने वाले विकल्पों को अपनाना चाहिए जिससे की भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचा जा सके।

2 भारत में बादल फटने की घटनाओं में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से हुई तबाही में 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई है।

कई राज्यों के अलग-अलग इलाकों में भारी बारिश, भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने से रेल और सड़क यातायात भी बाधित हुआ है।

बादल फटने की घटना और उसके कारण:

बादल फटना: भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा बताया गया कि जब लगभग 20 से 30 वर्ग किमी के भौगोलिक क्षेत्र में 100 मिमी प्रति घंटे से अधिक की वर्षा होती है तो यह घटना बादल फटने के रूप में परिभाषित की जाती है।

कारण:

बादल फटना जलवायु, मानसून और स्थानिक टोपोलॉजी के कई कारकों का परिणाम है। छोटी अवधि में इतनी बड़ी मात्रा में वर्षा के लिए जिम्मेदार घटना **'ऑरोग्राफिक लिफ्ट'** कहलाती है।

यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पहले से ही बरसने वाले बादलों को गर्म हवा की धाराओं द्वारा ऊपर धकेल दिया जाता है। जैसे-जैसे वे ऊँचाई पर पहुँचते हैं, बादलों के भीतर पानी की बूंदें बड़ी हो जाती हैं और नई बूंदें भी बन जाती हैं। ये घने बादल अंततः बड़ी मात्रा में नमी धारण करने में असमर्थ होकर फट जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप इसके नीचे वाले भौगोलिक क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होती है।

बादल फटने के पीछे मौसम संबंधी कारकों पर किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि बादल फटने के दौरान कम तापमान और धीमी हवाओं के साथ सापेक्षिक आर्द्रता तथा बादल का आवरण अधिकतम स्तर पर होता है।

कुछ अन्य जिम्मेदार कारक:

- बादल फटने के लिए आवश्यक ऊर्जा, हवा की उर्ध्वाधर गति से आती है।
- यह अधिकतर समुद्र तल से 1,000-2,500 मीटर की ऊंचाई पर घटित होता है।
- नमी आमतौर पर पूर्व से बहने वाली निम्न स्तर की हवाओं से जुड़े गंगा के मैदानों के ऊपर एक कम दबाव प्रणाली (समुद्र में चक्रवाती तूफान से जुड़ी) द्वारा प्रदान की जाती है।
- कभी-कभी उत्तर-पश्चिम से बहने वाली हवाएं भी बादल फटने की घटना में सहायता करती हैं।

बादल फटने से परिणाम:

इन घटनाओं के परिणाम छोटे क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं हैं। इलाके की प्रकृति के कारण भारी वर्षा की घटनाएं, भूस्खलन और अचानक बाढ़ का कारण बनती हैं जिससे व्यापक विनाश को बढ़ावा मिलाता है।

मानसून के दौरान, पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाएँ बहुत आम है जो प्रतिवर्ष हजारों लोगों को प्रभावित करती हैं। इससे जीवन, संपत्ति, आजीविका, बुनियादी ढांचे, जैवविविधता और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है।

बादल फटने की भविष्यवाणी:

आईएमडी वर्षा की घटनाओं का पूर्वानुमान पहले ही लगा लेता है लेकिन वर्षा की मात्रा की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। पूर्वानुमान हल्की, भारी या बहुत भारी वर्षा के बारे में हो सकता है परन्तु बादल फटने की घटना का पूर्वानुमान कठिन है।

- मई में, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अनुमान लगाया कि अगले पांच वर्षों में वार्षिक औसत वैश्विक तापमान अस्थायी रूप से, पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंचने की लगभग 40% संभावना है।
- ऐसे कई अध्ययनों से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन से दुनिया भर के कई क्षेत्रों में बादल फटने की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि होगी।

आगे की राह :

- भारी वर्षा के दौरान जल स्तर पर विशेष ध्यान देते हुए नदी के किनारे निर्माण गतिविधियों को विनियमित करना चाहिए। जल प्रवाह को बाधित और विनियमित करने के लिए तट-बंधों, बैराजों और बांधों को सुदृढ़ बनाना चाहिए। स्थानीय समुदायों को शामिल करते हुए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए स्थानीय योजना को बढ़ावा देना चाहिए। आईएमडी द्वारा बेहतर पूर्वानुमान, प्रतिकूल मौसम की घटनाओं की निगरानी और भविष्यवाणी करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी को शामिल करना चाहिए। यह क्षेत्र के विकास के लिए पर्यावरण के अनुकूल नीतियों को अपनाने एवं पर्यावरण के प्रति संवेदनशील पर्यटन को बढ़ावा दे सकता है। स्थानीय ज्ञान और संसाधनों का उपयोग, ऐसे घटनाओं में कमी लाने में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। स्थानीय निकायों जैसे-ग्राम सभाओं, पंचायतों और गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी, आपदा प्रबंधन के पूरे ढांचे को मजबूत कर सकती है।

3 विलुप्त तस्मानियाई टाइगर को फिर से जीवित करने की योजना

चर्चा में क्यों?

अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने जीन-एडिटिंग तकनीकी का उपयोग करके, 1930 के दशक में विलुप्त हो चुके थायलासीन या तस्मानियाई टाइगर को पुनर्जीवित करने के लिए $15 मिलियन की परियोजना शुरू की है।

विलुप्त प्रजातियों को पुनर्जीवित करने से क्षेत्र में पारिस्थितिक विविधता और संतुलन बहाल हो सकता है।

तस्मानियाई टाइगर (थायलासिनस सिनोसेफलस) के बारे में :

- वह आधुनिक समय में जीवित रहने वाला थायलासिनिडे परिवार का एकमात्र जानवर था जो एक मार्सुपियल स्तनपायी था।
- तस्मानियाई बाघ आधुनिक समय में सबसे बड़ा मांसाहारी स्तनपायी दल था।
- 1936 में होबार्ट चिड़ियाघर (तस्मानिया) में अंतिम ज्ञात तस्मानियाई बाघ की मृत्यु के बाद, 1986 में इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया था।
- तस्मानियाई बाघ तस्मानियाई डेविल (Tasmanian Devil) का सबसे करीबी संबंधी माना जाता है।
- इस प्रजाति ने अपनी पीठ पर धारियों (Stripes) के कारण तस्मानियाई बाघ का उपनाम अर्जित किया।
- नुकीले पंजे वाले इस जानवर का सिर कुत्ते जैसा था जो कंगारू एवं अन्य मार्सुपियल्स, छोटे कृन्तकों (Small Rodents) और पक्षियों को खाता था।

मार्सुपियल्स:

- ये थैलीनुमा स्तनधारी होते हैं। ये जीवित बच्चे को जन्म देते हैं लेकिन गर्भधारण करने की लंबी अवधि नहीं होती है जैसे कि अपरा स्तनधारी (placental mammals)। इनके बच्चे अल्प विकसित पैदा होते हैं जो आम तौर पर बाद में मां के पेट पर एक थैली में रहकर पूर्ण विकसित होते हैं।

तस्मानियाई बाघ डी- एक्सटिंक्शन (De-extinction) परियोजना:

- इसके तहत वैज्ञानिक एक संग्रहालय में रखे गए 108 वर्षीय तस्मानियाई बाघ के नमूने से निकाले गए डीएनए से अनुक्रमित जीनोम का उपयोग करेंगे।
- सभी आनुवंशिक अंतरों की पहचान करने के लिए इस जीनोम की तुलना, प्रजातियों के निकटतम जीवित जान-फैट टेल्ड डनर्ट से की जाएगी।
- एक बार सभी आनुवंशिक अंतरों की पहचान हो जाने के बाद, वैज्ञानिक तस्मानियाई टाइगर के जीवित कोशिका डीएनए का इंजीनियर करेंगे। फिर डनर्ट (डनर्ट ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला छोटे चूहे के आकार का मार्सुपियल है) से जीवित कोशिकाएं लेकर उनके डीएनए को हर उस स्थान पर संपादित (edit) करेंगे जहाँ यह थायलासीन से भिन्न होता है।
- इंजीनियरिंग कोशिकाएं उन कोशिकाओं को वापस जीवित जानवर में बदलने के लिए, स्टेम सेल प्रौद्योगिकियों और क्लोनिंग तकनीकों का उपयोग करती हैं।
- तस्मानिया के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिर करने के लिए जानवर को उसके मूल निवास स्थान में पुनर्निवास की प्रक्रिया की सफलता तक, डी-एक्सटिंक्शन की प्रक्रिया चलती रहेगी।

कुछ अन्य परियोजना:

- स्पेनिश आइबेक्स की एक उप-प्रजाति, पाइरेनियन आइबेक्स, पहले विलुप्त होने वाले जानवरों में से एक था। इसे सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर (SCNT) का उपयोग करके पुनर्जीवित किया गया है।
- वूली मैमथ और थायलासीन को पुनर्जीवित करने के लिए कोलोसल की परियोजना के अलावा, डच फाउंडेशन के बीच सहयोग ने कई विश्वविद्यालयों के साथ भागीदारी की, जिसे टॉरोस प्रोग्राम कहा जाता है।
- यह वर्तमान में घरेलू मवेशियों के विलुप्त जंगली पूर्वज, ऑरोच के समान एक मवेशी प्रजाति के प्रजनन के लिए काम कर रहा है।

चुनौतियां:

- प्रजातियों को अपने पूर्व आवास में पुनः प्रस्तुत करने से यह एक आक्रामक प्रजाति बन सकती है जो वर्तमान पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को भी प्रभावित करेगी।
- यह संभव है कि आनुवंशिक रूप से अपूर्ण हाइब्रिड थायलासीन में स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं जिससे ये बहुत अधिक समर्थन के बिना जीवित न रह सकें ।
- अन्य प्रश्न यह है कि विलुप्त हुए जीवों के प्रयासों पर कई मिलियन डॉलर खर्च करने की परियोजना है। जब इतने सारे जीवित जीव विलुप्त होने के कगार पर हैं तब उन्हें बचाने के लिए पैसा खर्च करना चाहिए जो कुछ वर्षों में विलुप्त होने वाले हैं।
- मानव और जैव विविधता पर अनैतिक प्रयोगों से प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग हो सकता है जिससे दुनिया में नई चुनौतियां और चिंतायें जन्म ले सकती हैं ।

4 व्हेल शार्क बचाओ अभियान

चर्चा में क्यों?

वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो कि एक नेचर कंजर्वेशन आर्गेनाइजेशन है, ने 30 अगस्त, 2022 को 'इंटरनेशनल व्हेल शार्क डे' पर भारत के तीन राज्यों केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप में 'सेव दि व्हेल शार्क कैम्पेन' लांच किया है।

अभियान से जुड़े प्रमुख बिंदु:

- कर्नाटक के बंदरगाह, मत्स्यन और इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट मंत्री एस अंगारा ने इस 1 वर्ष तक चलने वाले अभियान को मेंगलुरु से लांच किया है।
- सेव दि व्हेल शार्क कैम्पेन को कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के वन और मत्स्य विभागों के संयुक्त तत्त्वाधान में शुरू किया जा रहा है। इस अभियान के तहत मरीन फिशर फोक (मछुआरे), विलेज कम्युनिटीज और छात्रों के बीच व्हेल शार्क के संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ाया जाएगा। इस कैम्पेन का उद्देश्य मछुआरों के फिशिंग नेट्स में फंसे व्हेल शार्क को मछुआरों द्वारा ही रिलीज कराना है। यह अभियान व्हेल शार्क के रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन्स पर भी बल देता है।
- व्हेल शार्क की पहचान तथा संरक्षण के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लांच किया गया है।

व्हेल शार्क के बारे में:

- व्हेल शार्क पृथ्वी पर सबसे बड़ी मछली है। यह मरीन इकोसिस्टम में एक कीस्टोन प्रजाति (keystone Species) है। इसकी लंबाई 18 मीटर तक हो सकती है और इसका वजन 21 टन तक हो सकता है। यह उष्णकटिबंधीय और उष्ण शीतोष्ण सागरों (Tropical and Warm Temperate seas) में पाया जाता है। गुजरात, केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र व्हेल शार्क के प्रमुख लैंडिंग एरियाज हैं।
- यह मछली सुस्त और शांत स्वभाव की होती है। आमतौर पर यह उथले पानी में तैरना पसंद करती है। इसलिए यह मछुआरों का आसानी से शिकार बनती है। मांस बाजार के कारण व्हेल शार्क की संख्या लगभग पचास प्रतिशत कम हो गई है जिसके कारण यह विलुप्त होने की कगार पर पहुंच रही है। व्हेल शार्क बचाव अभियान से इस खूबसूरत मछली की पुरानी शान फिर से लौटाने में मदद मिलेगी।

संरक्षण:

- भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की सूची-1 के तहत इसे विशेष शेड्यूल वन स्पीशीज घोषित किया गया है। इसका मतलब है कि इसका अवैध शिकार करने, मारने इसकी तस्करी के लिए न्यूनतम 3 साल और अधिकतम 7 साल की सजा और रु. 25000 जुर्माने का दंड या दोनों दिया जा सकता है। इसे आईयूसीएन ने अपने रेड डेटा लिस्ट में इंडेंजर्ड (संकटापन्न) के रूप में सूचीबद्ध किया है। वहीं साइट्स नामक अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय में इसे अपेंडिक्स-2 में सूचीबद्ध किया गया है।
- वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा ऐसा ही एक प्रोजेक्ट गुजरात में शुरू किया गया था जो पिछले 20 साल से अभी तक चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत 900 व्हेल शार्क को अरेबियन सागर में छोड़ा गया। मछुआरों ने व्हेल शार्क के संरक्षण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- **अंतरराष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस:** 2008 से हर वर्ष 30 अगस्त को वैश्विक स्तर पर व्हेल शार्क के महत्त्व और इसके संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है।

आगे की राह:

- समुद्री जैव विविधता के संरक्षण तथा समुद्री मछलियों के बचाव हेतु, भारत सरकार को व्यापक स्तर पर ऐसे जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए।

5 बाली में जी-20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में जी-20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक बाली (इंडोनेशिया) में संपन्न हुई जिसमें भारत की तरफ से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भाग लिया। बैठक में पर्यावरण मुद्दे पर जी-20 देशों के बीच आम सहमति नहीं बन पाई जो यह प्रदर्शित करता है कि विश्व, पर्यावरण के प्रति कितना असंवेदनशील है? इन सब के बावजूद भारत ने अपना पक्ष मजबूती से विश्व के सामने रखा और उन मुद्दों को बताया

जिनका तत्काल समाधान किया जाना चाहिए।

- जी-20 जलवायु बैठक इस वर्ष इंडोनेशिया द्वारा आयोजित की गयी जब दुनिया में चरम मौसम की घटनाओं जैसे आग, बाढ़ और गर्म हवाओं से हलचल मची हुई है। पाकिस्तान की बाढ़ और यूरोप की गर्मी इसके ज्वलंत उदहारण हैं।

भारत ने किन मुद्दों पर अपनी बात रखी?

- वैश्विक उत्सर्जन में पारंपरिक योगदानकर्ता न होने के बावजूद भी भारत एक समाधानकर्ता के रूप में अपनी छवि बना रहा है। उदाहरण के लिए भारत हर साल लगभग 3 गीगाटन CO_2 ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करता है प्रति व्यक्ति लगभग ढाई टन, जो विश्व औसत से कम है। विश्व की आबादी का 17% होने के बावजूद वैश्विक उत्सर्जन का 7% ही उत्सर्जन करता है। इसके अलावा भारत एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, Movement LiFE, 'वन सन-वन वर्ल्ड-वन ग्रिड' और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन जैसी पहलों की शुरुआत की है।
- जलवायु संकट का सबसे अधिक प्रभाव गरीब देशों और सबसे कमजोर समुदायों पर होता है जिन्होंने जलवायु संकट में सबसे कम योगदान दिया है। विश्व के विकसित देशों द्वारा किये गए जलवायु वित्त अनुदान का वादा न पूरा करना समस्या को और गंभीर बना रहा है। इसलिए विश्व द्वारा किया गया जलवायु वित्त अनुदान वादे को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए।
- 2019-20 में, केवल छह प्रतिशत जलवायु वित्त अनुदान था जो विकासशील देशों को अधिक कर्ज में धकेल रहा है। अतः ये बहुत जरुरी है कि विकासशील देशों को जलवायु संकट के लिए अधिक से अधिक अनुदान दिया जाये।

निष्कर्ष:

- हर देश को जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से लेना चाहिए और यह किसी एक देश की समस्या न मानकर वैश्विक समस्या समझकर एक कॉमन प्रोग्राम के तहत कार्य करना चाहिए। इसमें जो देश समर्थ हैं उन्हें गरीब देशों की वित्त से लेकर तकनीकी हस्तांतरण तक मदद करनी चाहिए।

6 विझिंजम बंदरगाह के निर्माण का पर्यावरणीय विरोध

चर्चा में क्यों?

- केरल के तिरुवनंतपुरम में अडानी विझिंजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के निर्माण कार्य को लेकर मछुवारे विरोध कर रहे हैं। सैंकड़ों मछुआरों ने इसके लिए पुनर्वास और स्थायी समाधान की मांग की है।

विरोध का कारण:

- मछुआरों के अनुसार, बंदरगाह के काम के कारण तिरुवनंतपुरम के तट के साथ तटीय क्षरण को बढ़ा दिया है।
- निर्माण को रोककर तटरेखा पर बंदरगाह के काम के प्रभाव का आकलन किया जाना चाहिए जिस पर कोई पहल नहीं की गयी है।
- इसके अतिरिक्त समुद्र तट के किनारे लगभग 300 परिवारों को राहत शिविरों में स्थानांतरित कर दिया गया था जब उनका घर तटीय क्षरण से नष्ट हो गया था जिसका अभी तक कोई समाधान नहीं किया गया है।

विझिंजम परियोजना इतनी महत्त्वपूर्ण क्यों है?

- यह बंदरगाह भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित है जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग और पूर्व-पश्चिम शिपिंग से केवल 10 समुद्री मील दूर है।
- विझिंजम बंदरगाह देश और केरल के समुद्री विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- बंदरगाह के खुलने से राज्य में 17 छोटे बंदरगाहों के विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही इसके निर्माण से लाखों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

परियोजना के बारे में:

- विझिंजम इंटरनेशनल डीपवाटर मल्टीपर्पज सीपोर्ट है जिसे विझिंजम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है जो कि अरब सागर तट पर स्थित एक निर्माणाधीन बंदरगाह है।
- यह केरल सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना है।
- बंदरगाह वर्तमान में डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर एक सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत, लैंडलॉर्ड मॉडल का उपयोग करके बनाया जा रहा है जिसकी जिम्मेदारी अडानी विझिंजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के पास है।

लैंडलॉर्ड मॉडल:

- लैंडलॉर्ड मॉडल बंदरगाह में सरकार एक नियामक के रूप में कार्य करती है जबकि निजी कंपनियां बंदरगाह संचालन

करती हैं।

- इसमें सरकार स्वामित्व को बनाए रखती है जबकि बुनियादी ढांचे को निजी फर्मो को पट्टे पर दिया जाता है जो कार्गो को संभालने के लिए अपने स्वयं की अधि रचना व उपकरण स्थापित करते हैं।
- इस मॉडल के तहत बंदरगाह को निजी संस्था से राजस्व का एक हिस्सा मिलता है।

निष्कर्ष:

यह सच है कि देश के विकास के लिए पोर्ट का निर्माण अति आवश्यक है फिर भी हमें उन लोगों की समस्याओं को समझने की जरुरत है जो इसके निर्माण से प्रभावित हो रहे हैं।

7 बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 प्रकाशित किया ताकि बैटरी अपशिष्ट को पर्यावरण की दृष्टि से प्रबन्धित किया जा सके।
- बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2022, बैटरी (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम-2001 को प्रतिस्थापित करके लाया गया है।
- नए नियमों के तहत इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी, पोर्टेबल बैटरी, ऑटोमोटिव बैटरी, औद्योगिक बैटरी को शामिल किया गया है।
- ये नियम विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) की अवधारणा के आधार पर कार्य करेंगे जहां बैटरी के निर्माता (आयातकों सहित) अपशिष्ट बैटरी के संग्रह, पुनर्चक्रण व नवीनीकरण के लिए जिम्मेदार होंगे। साथ ही इसमें कचरे से प्राप्त सामग्री को नई बैटरियों में प्रयोग करना भी शामिल है।
- ये नियम अपशिष्ट बैटरी के संग्रह, पृथक्करण, परिवहन, नवीनीकरण और पुनर्चक्रण में शामिल निर्माता, डीलर, उपभोक्ता, संस्थाओं आदि पर लागू होंगे।

प्रमुख तथ्य:

- बैटरी का उत्पादन करने वाले उत्पादकों का दायित्व होगा कि वे जो भी बैटरी बाजार में पेश कर रहे हैं, उसके उपयोग के बाद बैटरी को पूरी तरह से पुनर्नवीनीकरण या नवीनीकृत किया जाए।
- अपशिष्ट बैटरियों को पुनर्चक्रण या नवीनीकरण के लिए भेजा जाना चाहिए और इसे जलाकर या लैंडफिल से डिस्पोज नहीं किया जाना चाहिए।
- निर्माता को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 30 जून तक, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी (extended producer responsibility) के तहत, दायित्वों को पूरा करने के लिए पुनर्नवीनीकरण या नवीनीकृत पुरानी बैटरियों का वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होगा।
- निर्माता इस बात की पुष्टि करेंगे कि सभी बैटरियों को सही लेबलिंग के साथ ठीक से पैक किया जाएगा। लेबल को स्पष्ट रूप से और इस तरह से मुद्रित किया जाएगा कि इसे आसानी से पढ़ा जा सके और इसे हटाया न जा सके।
- सभी बैटरी को 'क्रॉस आउट व्हील्ड बिन सिंबल' के निशान के साथ पैक किया जाएगा।
- पारा, कैडमियम या लेड वाली बैटरी पर Hg, Cd या Pb का चिन्ह होगा।
- अपशिष्ट बैटरी को अन्य कचरे से अलग करने की जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी। साथ ही उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अपशिष्ट बैटरी को पर्यावरण के अनुकूल डिस्पोज किया जा रहा है।
- रिसाइकलर और रिफर्बिशर को हर चार साल में एक बार बेकार (Waste) बैटरी के रिकवरी लक्ष्य की समीक्षा करनी होगी और बेकार (Waste) बैटरी को डिस्पोज करने की तकनीक को अपडेट करते रहना होगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी इसकी सिफारिश करनी चाहिए।
- प्रत्येक उत्पादक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत होगा तथा पंजीकरण 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।
- प्रदूषक भुगतान सिद्धांत पर आधारित नियमों में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्यों और जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करने के लिए पर्यावरणीय मुआवजा लगाया जाएगा।
- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के तहत एकत्र की गई धनराशि का उपयोग गैर-एकत्रित और गैर - पुनर्नवीनीकरण अपशिष्ट बैटरियों के संग्रह और नवीनीकरण या पुनर्चक्रण में किया जाएगा।

निष्कर्ष:

सरकार को सभी हितधारकों से समन्वय करके भविष्य की राह सुनिश्चित करना होगा ताकि नियम को प्रभावी तरीके से लागू करके, उसका लाभ प्राप्त किया जा सके।

8 अगस्त्यमलाई पहाड़ियां

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में भारत के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट में, बेंट टोड गेको (Bent Toed Geckos) की नई प्रजाति की खोज के कारण अगस्त्यमलाई पहाड़ियां चर्चा में है। इससे पहले तमिलनाडु में बेंट टोड गेकोज की 3 प्रजातियां खोजी गई थीं।

बेंट टोड गेको (Bent Toed Geckos):

- मारफोलॉजिकल और मॉलिक्युलर डीएनए डेटा के आधार पर बताया गया है कि अगस्त्यमलाई हिल्स में पाई जाने वाली बेंट टोड गेको, अन्य छिपकली प्रजातियों से अलग है। यह श्रीलंका में पाई जाने वाली सिर्टोडेक्टलस याखुना (Cyrtodactylus yakhuna) से काफी मिलती जुलती है।
- अगस्त्यमलाई पहाड़ियों में खोजी गई इस नई छिपकली प्रजाति का नाम भारतीय मेलेकॉलोजिस्ट (Indian malacologist) डॉ. एन. ए. अरविंद के नाम पर रखा गया है। इसके लिए अरविंद ग्राउंड गेकोज (Aravind's ground gecko) नाम का सुझाव दिया गया है। डॉ. अरविंद अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड दि एनवायरनमेंट (ATREE) से संबंधित ईकोलोजिस्ट हैं।
- अरविंद ग्राउंड गेको के लिए अभी दो ही स्थान ज्ञात हैं। ये दोनों स्थान कन्याकुमारी जिले में अगस्त्यमलाई जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के भीतर हैं।

अगस्त्यमलाई पहाड़ियां:

- अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से एक है और इसे यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में भी शामिल किया गया है।
- इस बायोस्फियर रिजर्व के अंदर नैयार, पेपारा और सेंदुरनी वन्यजीव अभयारण्य है और यह तीनों यहां के नदियों के भी नाम हैं। इसके अंदर कलाकड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व भी है । इस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर एक प्रिमिटिव ट्राइब कानीकरन भी रहती है।
- अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व या अगस्त्यमलाई पहाडियां तमिलनाडु और केरल की सीमा पर स्थित हैं जो वेस्टर्न घाट का भाग हैं। पश्चिमी घाट दुनिया के बायोडायवर्सिटी के 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट में शामिल हैं।
- इस क्षेत्र में फूलों की पांच हजार से ज्यादा प्रजातियां, 139 स्तनपायी प्रजातियां, 508 चिड़ियों की प्रजातियां और 179 उभयचर प्रजातियां पाई जाती हैं।
- पश्चिमी घाट में कम से कम 84 उभयचर प्रजातियां, 16 चिड़ियों की प्रजातियां, सात स्तनपायी और 1600 फूलों की प्रजातियां पाई जाती हैं जो विश्व में और कहीं नहीं हैं।
- केरल का साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क पश्चिमी घाट का हिस्सा है। यह भारत का ऐसा अंतिम उष्णकटिबंधीय हरित वन है जहां अभी तक किसी ने प्रवेश नहीं किया है।

पश्चिमी घाट:

- भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्रि कहते हैं। दक्कनी पठार के पश्चिमी किनारे के साथ-साथ यह पर्वतीय श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर लम्बी है। विश्व में जैव विवधता के लिए यह बहुत महत्त्वपूर्ण है और इस दृष्टि से विश्व में इसका 8वां स्थान है। इसकी सबसे उंची चोटी अनाइमुडी है। नीलगिरि तहर तमिलनाडु राज्य का राज्य पशु केवल पश्चिमी घाट में पाया जाता है।

आगे की राह:

- जैव विविधता को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार को हिमालयी तथा दक्षिण भारत के राज्यों में, नई प्रजातियों की खोज हेतु प्रोत्साहन देना चाहिए।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

1 फॉरएवर केमिकल्स (Forever Chemicals)

चर्चा में क्यों?

नॉन स्टिक बर्तनों में एक खास किस्म का केमिकल लगा होता है जिससे इनमें खाना जलकर चिपकता नहीं है और यह देखने में भी अच्छा लगता है। अभी हाल ही में एक अध्ययन के आधार पर यूनिवर्सिटी ऑफ स्टॉकहोम के वैज्ञानिकों ने दुनिया के ज्यादातर जगहों पर होने वाली बारिश को असुरक्षित पाया है। इसका कारण नॉन-स्टिक बर्तनों में पाया जाने वाला केमिकल है जिसका नाम **फॉरएवर केमिकल्स** है।

'फॉरएवर केमिकल्स' (PFAS) क्या होते हैं?

पर (PER)- एंड पॉली- फ्लोरो अल्काइल सब्स्टेंसेस या PFAS को 1940 के दशक में विकसित किया गया था। तब से इसका प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। और अब यह हमारे घरों में दिन-प्रतिदिन की जिंदगी में प्रयोग होने वाले बहुत से सामानों में पाया जाता है। इनमें नॉन-स्टिक बर्तन, वॉटर-प्रूफ कपड़े और आग बुझाने वाली झाग के साथ-साथ ये घर की करीब 50-60% चीजों में मौजूद होते हैं। ये रसायन नॉन स्टिक और स्टेन रिपेलैंट, ना चिपकने एवं दागरोधी गुण वाले रसायन होते हैं। चूँकि ये जल्दी नष्ट नहीं होते हैं, इस कारण इन्हें 'फॉरएवर केमिकल्स' यानी चिरस्थायी रसायन भी कहते हैं।

इसके कारण वातावरण या वर्षाजल में आने वाली समस्या:

दुनिया में कई जगहों पर बारिश के पानी को पीने योग्य माना जाता है जिसका स्टोरेज करके उन्हें पिया जाता है। बारिश का पानी सामान्यत: सबसे शुद्ध इसलिए माना जाता है क्योंकि वह सभी तरह के संक्रमण या सम्मिश्रण से मुक्त होता है। सूर्य की रोशनी के कारण महासागरों, झीलों और नदियों का पानी वाष्पीकृत होता है जिससे पानी में मौजूद किसी तरह के अन्य पदार्थ या रसायन वाष्पीकरण से वायुमडंल में नहीं पहुंच पाते हैं। केवल शुद्ध पानी ही भाप के रूप में बादलों तक पहुंचता है। जब ये बादल दूसरी जगह पर पहुंच कर बारिश के रूप में गिरता है तो सबसे शुद्ध रूप में ही गिरता है। लेकिन अब हाल ही में स्वीडन के यूनिवर्सिटी ऑफ स्टॉकहोम के वैज्ञानिकों ने एक रीसर्च में दुनिया के ज्यादातर जगहों पर होने वाली बारिश को फॉरएवर केमिकल्स के कारण असुरक्षित पाया है। जैसा कि पहले ही चर्चा की गई है कि फॉरएवर केमिकल्स पर्यावरण में टूटते नहीं हैं, ये नॉन-स्टिक होते हैं। इस कारण यहीं केमिकल्स अब बारिश के पानी में घुल रहे हैं।

फॉरएवर केमिकल्स यानी पीफैस से शरीर पर होने वाला नुकसान:

पीफैस मनुष्य के शरीर पर गहरा असर डालते हैं, जिस पर काफी शोध हो रहे हैं, लेकिन अभी भी इसकी पूरी सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। अभी तक के शोध से पता चला है कि पीफैस के शरीर में आने से किडनी और टेस्टिक्यूलर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और साथ ही यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम कर देता है। इसके अलावा यह कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर भी बढ़ा सकता है और यकृत (Liver) में पाए जाने वाले एन्जाइमों में परिवर्तन कर सकता है। पीफैस के कारण बच्चों को लगने वाले टीकों के असर में कमी आ सकती है एवं नवजात शिशुओं के वजन में थोड़ी कमी आने की सम्भावना है।

इसे नष्ट करने के उपाय:

वैसे तो कुछ पीफैस रसायनों को पानी में से काफी हद तक फिल्टर किया जा सकता है, लेकिन उन्हें खत्म करना कठिन है। इसके लिए इन्हें बहुत उच्च तापमान पर भस्मीकरण या अल्ट्रासोनिक तरंगों के साथ रेडिएट करना होता है। इन प्रक्रियाओं में काफी ऊर्जा खर्च होती है और जलाने के दौरान यह पर्यावरण को धुएं से दूषित भी करता है। दरअसल पीफैस का रसायनिक बॉन्ड इतना मजबूत है कि उसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। कार्बन और फ्लोरीन के बीच का ये बॉन्ड सबसे मजबूत रसायनिक बंधों में से एक है। इसमें फ्लोरीन के एटम कार्बन के एटम को कुछ इस तरह से चारों ओर से घेरे रहते हैं कि बिल्कुल जगह ही नहीं छूटती ताकि उस जगह में कोई घुस पाए। इसलिए उसे तोड़ना और खत्म कर पाना मुश्किल हो जाता है।

वैज्ञानिकों द्वारा सुझाया गया नया समाधान:

वैज्ञानिकों ने इस समस्या का भी हल ढूंढ निकाला है और वे एक खास वर्ग के पीएफएएस में इसके रासायनिक बॉन्ड को तोड़ने में सक्षम हो गए हैं। उन्होंने

मॉलीक्यूल्स की लंबी चेन में उस कमजोर कड़ी को खोज निकाला है जहां से इसे तोड़ना आसान है। दरअसल इस चेन के एक सिरे पर ऑक्सीजन के एटम होते हैं जिन्हें आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले सॉल्वेंट और रीएजेंट से निशाना बनाया जा सकता है। इसके लिए 80-120 डिग्री सेल्सियस पर सामान्य सॉल्वेंट या रीएजेंट का प्रयोग किया जाता है। इस तरह पूरा मॉलीक्यूल ही खत्म किया जा सकता है। हालांकि यह विधि सभी PFAS के लिए उपयोगी नहीं है।

फॉरएवर केमिकल्स के लिए कुछ मानकः

फॉरएवर केमिकल्स के प्रयोग को लेकर पूरी दुनिया में तरह-तरह के दिशा-निर्देश हैं। अफसोस की बात है कि इनका स्तर धीरे- धीरे गिरता जा रहा है। पिछले दो दशकों में फॉरेवर केमिकल्स के जहरीलेपन को लेकर कोई नई गाइडलाइंस नहीं जारी की गई है। यानी उनमें किसी तरह का नया या सकारात्मक बदलाव नहीं किया गया है। अमेरिका में इस रसायन को लेकर जो गाइडलाइंस का स्तर था उसमें 3.75 करोड़ गुना गिरावट आई है।

आगे की राहः

इन जहरीले रसायनों को जिस तरह से खत्म करना बहुत मुश्किल था, ऐसे में इस छोटी सी सफलता के भी बड़े मायने हैं। इसके बावजूद विशेषज्ञ सुझाते हैं कि हमें इस रसायन का उपयोग करने वाली सभी इंडस्ट्रीज को इसकी खपत कम करनी होगी यानी इन रसायनों का उत्पादन कम करना होगा। दुनिया भर के देशों को पानी साफ करने के उपायों पर ध्यान देना होगा और PFAS को लेकर नए और सख्त गाइडलाइंस की जरुरत है। इसके अलावा, पीफैस को लेकर भारत में अभी कोई प्रत्यक्ष कानून नहीं है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

2 जे. के. ई-कॉप एप्लीकेशन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रशासन ने ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन जे.के. ई-कॉप (J.K. e-Cop) लांच किया है।

जे. के. ई-कॉप एप्लीकेशनः

- यह एक प्रकार की एम-गवर्नेंस सर्विस है जिसमें सरकारी सेवा हेतु मोबाइल फोन का उपयोग किया जाता है।
- जम्मू-कश्मीर पुलिस मोबाइल ऐप 'जे. के. ई-कॉप' आसान इंटरफेस प्रदान करता है जो नागरिकों को शिकायत दर्ज करने से लेकर एफआईआर की एक प्रति डाउनलोड करने तक कई सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। नागरिक इस ऐप के माध्यम से एक चरित्र प्रमाण पत्र, कर्मचारी सत्यापन, घटना प्रदर्शन, किरायेदार/ पीजी सत्यापन प्राप्त करने जैसे आवेदन कर सकते हैं। लापता व्यक्तियों और अज्ञात शवों आदि के बारे में विवरण भी इस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते हैं।
- इस ऐप के माध्यम से नागरिकों को यातायात पुलिस से संबंधित अन्य सेवाएं भी उपलब्ध करायी जायेंगी। इन सेवाओं में यातायात उल्लंघन की रिपोर्ट करने से लेकर दुर्घटना की रिपोर्ट करने तक शामिल होगा। ऐप में राजमार्ग की स्थिति के बारे में जानकारी से लोगों को मदद मिलेगी।
- इतना ही नहीं इस मोबाइल एप से चालान का ऑनलाइन भुगतान होने से विभागों पर काम का दबाव भी कम हो जाएगा।

एम-गवर्नेंसः

- एम-गवर्नेंस से अभिप्राय देश के नागरिकों को मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से, सरकारी सूचना एवं सेवाएं देने के लिये संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का समन्वित प्रयोग करने से है।

ई-गवर्नेंसः

- ई-गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य नागरिकों तक सभी सरकारी कार्यों को ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से पहुंचाना है ताकि उन्हें सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर न लगाना पड़े और उनके समय एवं धन दोनों की बचत हो सके।

ई-गवर्नमेंट और ई-गवर्नेंस के बीच अंतरः

- ई-गवर्नमेंट एक प्रणाली है जबकि ई-गवर्नेंस एक कार्य है।

लाभः

- कागज का प्रयोग कम होने से पेड़ों को बचाया जा सकता है। रिश्वतखोरों, भ्रष्ट अधिकारी एवं अपराधियों से बचा जा सकेगा। कम खर्चे में और कम समय में सरकारी काम हो जायेंगे। इसका उपयोग जनता अपने मोबाइल और कंप्यूटर पर

ही कर सकती है। सरकार को इससे अपने कार्यों को करने में सरलता और दक्षता मिलती है।

चुनौतियां:

- इससे इंटरनेट पर व्यक्तिगत जानकारी देना असुरक्षित हो सकता है।
- साइबर हमले बढ़ना, इसका सबसे बड़ा दुरूपयोग है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट का अभाव होना।
- ज्यादातर लोगों को कंप्यूटर और मोबाइल का ज्ञान न होने से वह इस सुविधा के लाभ से वंचित रह सकते हैं।

आगे की राह:

- ई-गवर्नेंस सरकार द्वारा शुरू की गयी एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण सेवा है जिससे लोगों के सरकारी और गैर-सरकारी काम बहुत ही कम समय में पूरे हो रहे हैं। साथ ही इससे भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी में भी कमी आयी है। भारत सरकार की डिजिटल इंडिया योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं बेहतर हुई हैं।

3 स्वदेशी विमान वाहक पोत: आईएनएस विक्रांत

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत (IAC-1) को कमीशन किया है।

आईएनएस विक्रांत:

- आईएनएस विक्रांत मूल रूप से भारत के पहले विमान वाहक पोत से संबंधित है जिसे ब्रिटेन द्वारा निर्मित किया गया था। यह 1961 से 1997 तक भारत के सेवा में था। आईएनएस विक्रांत 19,500 टन वजन का एक मैजेस्टिक-क्लास युद्धपोत था जिसे 1961 में यूके से अधिग्रहित किया गया था। इसने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- नया विक्रांत भारतीय नौसेना के लिए स्वदेश में डिजाइन और निर्मित पहला विमानवाहक पोत है।
- आईएनएस विक्रांत को नौसेना डिजाइन निदेशालय द्वारा डिजाइन और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) द्वारा निर्मित किया गया है।
- आईएनएस विक्रांत लगभग 43,000 टन के विस्थापन के साथ, चार जनरल इलेक्ट्रिक इंजनों द्वारा संचालित है। यह 30 हेलीकॉप्टरों, लड़ाकू विमानों और यूएवी के एयर विंग को ले जाने में सक्षम है।
- विक्रांत में लगभग 76% स्वदेशी सामग्री लगी है।
- 262 मीटर लंबे और 62 मीटर चौड़े विक्रांत में 7500 समुद्री मील की सहनशक्ति के साथ 28 समुद्री मील (लगभग 52 किमी/घंटा) की अधिकतम डिजाइन गति है।
- विक्रांत को 2009 में बनाना प्रारंभ किया गया था जिसे पहली बार अगस्त 2013 में लॉन्च किया गया था।
- IAC विमान को लॉन्च करने हेतु स्की-जंप (Ski-Jump) और उनकी रिकवरी के लिए बोर्ड आधारित तीन वायर 'अरेस्टेड रिकवरी मकैनिज्म' से लैस है।
- यह शॉर्ट टेक ऑफ बट (But) अरेस्टेड रिकवरी (STOBAR) नामक एक नए एयरक्राफ्ट-ऑपरेशन मोड का उपयोग करता है।

STOBAR मकैनिज्म:

- STOBAR का मतलब शॉर्ट टेक-ऑफ बट अरेस्ट रिकवरी है। इस प्रकार के एयरक्राफ्ट कैरियर में, डेक (Deck) के अगले भाग को एक वक्र बनाते हुए ऊंचा उठा हुआ बनाया जाता है जिसे स्की-जंप कहा जाता है।
- इस प्रकार जब कोई विमान रनवे के अंत में डेक छोड़ देता है तो उसे वक्र के कारण ऊपर की ओर गति मिल जाती है।
- इससे विमान को शुरुआती दौर में ऊंचाई हासिल करने में मदद मिलती है। इस बीच आफ्टरबर्नर वाले वायुयान के इंजन आवश्यक थ्रस्ट उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं और यह अपनी उड़ान में स्थिर हो जाते हैं।
- भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विराट (जो अब सेवामुक्त हो गया है), आईएनएस विक्रमादित्य (वर्तमान में परिचालित) और कमीशन आईएनएस विक्रांत भी STOBAR प्रकार के हैं।
- ब्रिटिश रॉयल नेवी की एचएमएस क्वीन एलिजाबेथ, रूसी विमानवाहक पोत एडमिरल कुजनेत्सोव (Kuznetsov) और चीनी टाइप 001 और टाइप 002 एक ही प्रणाली का उपयोग करते हैं।

अरेस्टेड वायर रिकवरी मैकेनिज्म:

- विमान के लैंड करने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर का रनवे बहुत छोटा होता है, इसलिए **अरेस्टेड वायर रिकवरी** तकनीकी का उपयोग किया जाता है।
- उच्च शक्ति वाले अरेस्टर वायरों को डेक पर फिट कर दिया जाता है। विमान के मुख्यभाग के नीचे एक टेल-हुक होता है। विमान लैंडिंग के दौरान टेल-हुक डेक पर फिट वायरों में से किसी एक में फंस जाता है।

- इसके कारण विमान की कम दूरी में ही तेजी से गति कम हो जाती है। यदि विमान का टेल-हुक किसी वायर में नहीं फंसता है या छूटता है तो यह तत्काल फिर से उड़ान भरता है और लैंडिंग का पुन: प्रयास करता है।

नए विक्रांत के हथियार और उपकरण:

- आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह पोत मिग-29K फाइटर जेट्स, कामोव-31 एयर अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर, एमएच-60R सीहॉक मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (एएलएच) और एलसीए नेवल सहित 30 विमानों को संचालित करने में सक्षम होगा।
- नए युद्धपोत में लंबी दूरी तक एयर पावर प्रोजेक्ट करने की क्षमता के साथ एक अतुलनीय सैन्य उपकरण प्रदान करता है जिसमें एयर इंटरडिक्शन, एंटी-सरफेस वारफेयर, आक्रामक और रक्षात्मक एयर-काउंटर, एयरबोर्न एंटी-सबमरीन वारफेयर और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग शामिल हैं।
- जहाज से चलने वाले हथियारों में बराक एलआर एसएएम और एके-630 शामिल हैं जबकि इसमें सेंसर के रूप में एमएफएसटीएआर और आरएएन-40एल 3डी रडार हैं। पोत पर एक शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट भी तैनात है।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- 'आईएनएस विक्रमादित्य' जिसे 2013 में कमीशन किया गया था और जो वर्तमान में नौसेना का एकमात्र सेवारत विमानवाहक पोत है, इसे पहले सोवियत-रूसी युद्धपोत 'एडमिरल गोर्शकोव' के रूप में जाना जाता था।
- भारत के पहले के दो वाहक, आईएनएस विक्रांत (1961) और 'आईएनएस विराट' (1987), मूल रूप से ब्रिटिश निर्मित थे जिन्हें एचएमएस हरक्यूलिस और 'एचएमएस हर्मीस' के रूप में जाना जाता था।

4 अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वाणिज्यिक वेधशाला

चर्चा में क्यों?

- दिगंतारा जो बेंगलुरू की एक स्टार्टअप कम्पनी है, जिसके द्वारा उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए 10 सेंटीमीटर आकार की छोटी वस्तुओं को ट्रैक करने के लिए भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिपरक जागरूकता (Space Situational Awareness SSA) वेधशाला स्थापित की जाएगी।
- वर्तमान में, संयुक्त राज्य अमेरिका कई स्थानों पर वेधशालाओं की स्थापना करके, दुनिया भर से अतिरिक्त इनपुट प्रदान करने वाली वाणिज्यिक कंपनियों के साथ अंतरिक्ष मलबे की निगरानी में प्रमुख भूमिका निभाता है।

एसएसए वेधशाला के बारे में:

- यह वेधशाला भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में अपनी तरह की पहली वेधशाला होगी जिसे दिगंतारा की एसएसए क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया जायेगा।
- इसे वैश्विक अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन कार्यों की सेवा के लिए रणनीतिक रूप से तैनात किया जायेगा।
- दिगंतारा एक बेंगलुरु स्थित स्टार्ट-अप है जिसने एसएसए के लिए उत्तराखंड सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है।

आगामी एसएसए वेधशाला का महत्त्व:

- **उच्च गुणवत्ता वाला अवलोकन:** यह अपने ग्राउंड-आधारित सेंसर नेटवर्क के साथ मिलकर अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं की निगरानी करने की क्षमता में सुधार करने में मदद करेगा। यह लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) से लेकर जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट (GEO) तक की कक्षाओं में उपग्रहों और अंतरिक्ष मलबे की निगरानी के अपने मिशन में अंतरिक्ष-आधारित सेंसर को सहायता करने में सक्षम होगा।
- **टकराव की स्थिति कम करना:** एसएसए उपग्रहों और अन्य अंतरिक्ष यान के बीच संभावित टकराव को उनके स्थान, गति और प्रक्षेपवक्र की अधिक सटीक भविष्य- वाणी करके कम करने में सक्षम होगा।
- **स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ाना:** स्वदेशी क्षमताओं के निर्माण और वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए ऐसी महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना आवश्यक है।
- **हाइब्रिड डेटा पूल:** इसके परिणामस्वरूप एक हाइब्रिड डेटा पूल का निर्माण होगा जो अंतरिक्ष उद्योग के वाणिज्यिक और रक्षा दोनों क्षेत्रों की सेवा कर सकेगा।
- **पूरक (Supplement) वैश्विक नेटवर्क:** ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका के बीच समर्पित एसएसए सेंसर की कमी के कारण डेटा अंतर देखा गया है।
- दुनिया के इस हिस्से में वस्तुओं की निरंतर ट्रैकिंग की पेशकश करने के लिए एसएसए सेंसर के वैश्विक नेटवर्क को इस वेधशाला द्वारा पूर्ण किया जा सकेगा।

- वेधशाला भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर अंतरिक्ष गतिविधियों की निगरानी में महत्त्वपूर्ण भूमिका के रूप में भारतीय संपत्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक रीयल-टाइम डेटा उपलब्ध करेगी।

अंतरिक्ष का मलबा:

- अंतरिक्ष मलबे में रॉकेट (इसका उपयोग उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए किया जाता है) निष्क्रिय उपग्रह, मिशन संचालन के दौरान उत्पन्न सामग्री, अंतरिक्ष वस्तुओं के कक्षा में टूटने और एंटी-सैटेलाइट(एएसएटी) परीक्षण आदि शामिल होते हैं ।
- **नोडल एजेंसी:** इसका समन्वय इसरो के बेंगलुरू स्थित एसएसए नियंत्रण केंद्र द्वारा किया जाता है । इसे इसरो मुख्यालय स्थित, अंतरिक्ष स्थितिपरक जागरूकता और प्रबंधन निदेशालय (एसएसएएम) द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
- **स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस (एसएसए):** यह अंतरिक्ष पर्यावरण के व्यापक ज्ञान, अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए किसी भी खतरे के आकलन और अंतरिक्ष संपत्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक शमन (Mitigation) उपायों के कार्यान्वयन से संबंधित है।

एसएसए को आम तौर पर तीन मुख्य क्षेत्रों को कवर करने के रूप में जाना जाता है:

- मानव निर्मित वस्तुओं की अंतरिक्ष निगरानी और ट्रैकिंग (एसएसटी)।
- अंतरिक्ष मौसम (एसडब्ल्यूई) निगरानी और पूर्वानुमान।
- नियर-अर्थ ऑब्जेक्ट (NEO) मॉनिटरिंग।
- इसरो ने प्रोजेक्ट नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस (NETRA) के तहत रडार और ऑप्टिकल टेलीस्कोप के साथ अंतरिक्ष निगरानी एवं ट्रैकिंग नेटवर्क की स्थापना की है।

5 इंटीग्रेटेड ओजोन डिपलिशन मेट्रिक (आईओडीएम)

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में अनुसंधानकर्ताओं ने ओजोन लेयर को ट्रैक करने वाले एक नई प्रणाली 'इंटीग्रेटेड ओजोन डिपलिशन मेट्रिक' को विकसित किया है।
- ओजोन लेयर हमें सूर्य के हानिकारक अल्ट्रा रेडिएशन से बचाता है इसलिए पूरा विज्ञान जगत यह चाहता है कि ओजोन लेयर के क्षरण की जांच करने वाली इफेक्टिव प्रणाली विकसित हो जिससे मिलने वाले निष्कर्ष के आधार पर ओजोन लेयर में हुए सुराख को भरने की दिशा में काम हो सके।
- पृथ्वी को कैंसरकारी स्थितियों से बचाने के लिए ओजोन परत को ट्रैक करने वाली मजबूत प्रणाली होनी जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखकर अनु संधानकर्ताओं ने ओजोन लेयर को ट्रैक करने वाले एक नई प्रणाली को विकसित किया है।

इंटीग्रेटेड ओजोन डिपलिशन मेट्रिक (आईओडीएम):

- यह प्रणाली बता सकती है कि अनियंत्रित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का ओजोन लेयर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? यह ओजोन लेयर को सुरक्षित करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उसके प्रभाव को भी बताता है।

आईओडी, नए उत्सर्जन का प्रभाव तीन बिंदुओं के आधार पर बता सकता है:

1. उत्सर्जन की ताकत।
2. यह कितने समय तक वायुमण्डल में बना रहेगा।
3. ओजोन के कितना नष्ट होने की उम्मीद है।

- आईओडी, ओजोन लेयर के पता होने पर किसी भी प्रकार के उत्सर्जन के प्रभाव का मापन कर सकता है फिर चाहे वो क्लोरो फ्लोरो कार्बन का प्रभाव हो या किसी अन्य ग्रीन हाउस या गैर-ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव हो।
- आईओडी के जरिये उत्सर्जनों के साइज और उनके रासायनिक जीवनकाल का पता लगाया जा सकेगा।
- आईओडी मेट्रिक वायुमंडल के एक

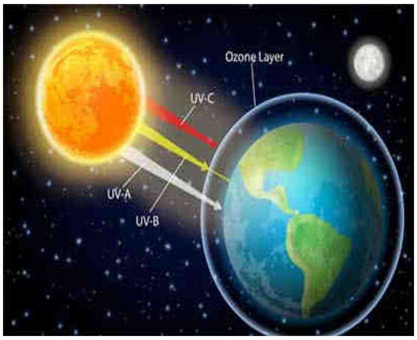

कंप्यूटर मॉडल पर आधारित है। इस मॉडल का नाम है यूके केमिस्ट्री एण्ड ऐरोसोल्स मॉडल।

- इस नई प्रणाली पर जानकारी दि नेचर पत्रिका में प्रकाशित की गयी है। इसमें प्रकाशित पेपर के सह-लेखक ल्यूक अब्राहम का कहना है कि यूके केमिस्ट्री और ऐरोसोल्स मॉडल के जरिये क्लोरो फ्लोरो कार्बन के जमाव और ओजोन परत के अन्य पदार्थों के प्रभाव के बारे में आसानी से पता लगाया जा सकेगा।

अर्थव्यवस्था

1 बेनामी लेनदेन निषेध अधिनियम के कुछ प्रावधान असंवैधानिक घोषित

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने 'स्पष्ट रूप से मनमाना' (Manifestly Arbitrary) होने के आधार पर, बेनामी लेनदेन संशोधन अधिनियम के कुछ प्रावधानों को 'असंवैधानिक' घोषित कर दिया है।

पृष्ठभूमिः

- बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 को दिसंबर 2019 में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पूर्वप्रभावी (Retrospective) रूप से लागू नहीं करने का आदेश दिया।
- कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील किया था।
- बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 के निर्माण में नकारात्मक विधायी कठोरता के संबंध में यह मुद्दा सामने आया था।
- मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना ने कहा कि बेनामी लेनदेन संशोधन अधिनियम, 2016 को पिछली तारीख से लागू नहीं किया जाना चाहिए।
- अदालत ने बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 के कुछ प्रावधानों को और अधिनियम में 2016 के संशोधनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया है।

बेनामी संपत्ति क्या है?

- 'बेनामी' का अर्थ है कोई नाम नहीं या बिना नाम के।
- बेनामी संपत्तियां वे हैं जो किसी मालिक के पास प्रॉक्सी के माध्यम से होती हैं। संपत्ति उस व्यक्ति के नाम पर खरीदी जाती है या उसके नाम पर रखी जाती है जिसने न तो इसके लिए भुगतान किया है और न ही वास्तव में इसका लाभ लेता है।
- इसे एक गैर-मौजूद व्यक्ति के नाम पर भी रखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को 'बेनामीदार' कहा जाता है।
- यह नाम वास्तविक स्वामी (Actual Owner) के लिए लाभकारी स्वामी (Beneficial Owner) का उपनाम होता है।
- इस प्रकार, बेनामी संपत्ति लेनदेन वह मामला है जहां लाभार्थी स्वामी एक बेनामीदार के नाम पर संपत्ति खरीदता है, लेकिन खुद इसका उपभोग करना चाहता है।

बेनामी संपत्ति के खिलाफ भारत में कानूनः

बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम-1988:

- यह भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो कुछ वित्तीय लेनदेन को प्रतिबंधित करता है।
- यह अधिनियम किसी भी लेन-देन के रूप में एक 'बेनामी' लेनदेन को वर्गीकृत करता है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा भुगतान की गई राशि के लिए संपत्ति, एक अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित की जाती है।
- विधिक शब्दों में इसका मतलब है कि कोई भी लेन-देन जिसमें भुगतान किए गए या प्रदान किए गए प्रतिफल के लिए संपत्ति अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित किया जाता है, उसे बेनामी लेनदेन कहा जाता है।
- यह अधिनियम बेनामी लेनदेन के संबंध में पूछताछ या जांच करने के लिए चार प्राधिकरण स्थापित करता है। इसमें अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रावधान भी हैं।
- अधिनियम की धारा-5 में कहा गया है कि किसी भी बेनामी संपत्ति को केंद्र सरकार द्वारा जब्त किया जा सकता है।

बेनामी लेनदेन संशोधन अधिनियम 2016:

- भारत सरकार ने 2016 में, बेनामी लेनदेन अधिनियम 1988 में संशोधन किया। इस संशोधन का उद्देश्य भारत में काले धन पर अंकुश लगाना था।
- यह अधिनियम एक बेनामी लेनदेन को परिभाषित करता है।
- संशोधित अधिनियम के तहत, संपत्ति शब्द में चल, अचल, मूर्त और अमूर्त संपत्तियां शामिल होंगी। संपत्ति में संयुक्त स्वामित्व के मामले में, करदाता को वित्तपोषण के स्रोत दिखाने होंगे।
- यह न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा पारित किसी भी आदेश के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए एक अपीलीय न्यायाधिकरण गठित करता है। अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है ।
- विशेष अदालत को शिकायत दर्ज करने की तारीख से छह महीने के भीतर मुकदमे की सुनवाई पूरी करनी होगी ।
- संशोधन ने अधिनियम के भाग-3 की धारा-3 में एक उपधारा-2 सम्मिलित किया है। यह निर्दिष्ट करता है कि कोई भी बेनामी लेनदेन में संलिप्त पाया जाता है तो उसे तीन साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
- इस अधिनियम को 2016 से पहले हुए लेन-देन पर भी पूर्वप्रभावी

(Retrospectively) प्रभाव से लागू किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला:

सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई घोषणाएं इस प्रकार हैं-

- सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि की जिसमें कहा गया था कि 2016 के बेनामी लेनदेन अधिनियम संशोधन को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1988 के बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम के उन प्रावधानों को भी अमान्य कर दिया जिसने बेनामी लेनदेन में लिप्त लोगों को तीन साल तक की जेल, जुर्माना, या दोनों का प्रावधान किया गया था ।
- सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के संशोधन अधिनियम से पहले, 1988 के असंशोधित अधिनियम की धारा-5 के तहत जब्ती प्रावधान को स्पष्ट रूप से मनमाना होने के कारण असंवैधानिक घोषित कर दिया है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि संबंधित अधिकारी 2016 के अधिनियम के लागू होने से पहले किए गए लेनदेन के लिए आपराधिक मुकदमा चलाना या जब्ती की कार्यवाही करना शुरू नहीं कर सकते हैं या जारी नहीं रख सकते हैं। उपरोक्त घोषणा के परिणामस्वरूप ऐसे सभी अभियोजन या जब्ती की कार्यवाही रद्द हो जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी संपत्ति अधिनियम को असंवैधानिक क्यों ठहराया?

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अधिनियम के प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद-20(1) का उल्लंघन करते हैं।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 'स्पष्ट रूप से मनमाना' होने के आधार पर बेनामी लेनदेन संशोधन अधिनियम के प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया है।
- प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि 1988 के अधिनियम की धारा-2(ए) और धारा-5 (जब्ती कार्यवाही) के साथ पठित धारा-3 आपराधिक प्रावधान अत्यधिक व्यापक एवं कठोर हैं तथा पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना काम करते हैं। ऐसे प्रावधान मृत कानून थे और पहले कभी उपयोग नहीं किया था। इस प्रकार अदालत ने पाया कि 1988 के अधिनियम की धारा-3 और 5 अपनी स्थापना से ही असंवैधानिक थी ।
- बेनामी प्रावधान अधिनियम 2016 में धारा-5 में कहा गया है कि ''कोई भी संपत्ति जो बेनामी लेनदेन का विषय है, केंद्र सरकार जब्त कर सकती है'' सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया कि इस प्रावधान को पूर्वप्रभावी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है।

2 नाबार्ड ने मिजोरम को दी 230 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नाबार्ड ने मिजोरम में बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए 230 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है।

मुख्य बिंदु:

नाबार्ड ने मिजोरम में 677 परियोजनाओं को ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष (आरआईडीएफ) की मदद से 230 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ये परियोजनाएं निम्नलिखित हैं:

कृषि और संबंधित क्षेत्र, कृषि कार्यों का मशीनीकरण, समर्पित ग्रामीण उद्योग सम्पदा, अलग फीडर लाइनें, सोलर फोटोवोल्टिक बिजली संयंत्र, सौर ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण, पवन ऊर्जा से संबंधित अवसंरचना कार्य, ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी के लिए आधार भूत संरचना, ग्राम ज्ञान केंद्र, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, वृक्षारोपण और बागवानी, मार्केट यार्ड, गोदाम, मंडी, ग्रामीण हाट, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड स्टोरेज, वाटरशेड विकास, मृदा संरक्षण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आंगनबाड़ियों का निर्माण, ग्रामीण शिक्षा संस्थानों के लिए बुनियादी ढांचा, पेय जल, सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान, ग्रामीण कनेक्टिविटी, ग्रामीण पुल और ग्रामीण सड़कें इत्यादि।

नाबार्ड के बारे में:

नाबार्ड, कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का संक्षिप्त रूप है। यह देश का सबसे शक्तिशाली वित्तीय संस्थान है जोकि राज्यों को बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के निर्माण हेतु वित्तीय ऋण उपलब्ध कराता है। इसकी स्थापना 12 जुलाई, 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम-1981 के तहत की गयी थी जिसकी प्रारम्भिक पूंजी 100 करोड़ रुपए थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है।

उद्देश्य:

- ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणदाता संस्थाओं को पुनर्वित्त उपलब्ध कराना।
- संस्थागत विकास करना या उसे बढ़ावा देना।
- क्लाइंट बैंकों का मूल्यांकन, निगरानी और निरीक्षण करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- सभी संस्थाएं जो मूलत: जमीनी स्तर पर

विकास में लगे काम से जुडी हैं, उनकी ग्रामीण वित्तपोषण की गतिविधियों के साथ समन्वय रखना।
- भारत सरकार, राज्य सरकारों, भारतीय रिजर्व बैंक एवं नीति निर्धारण के मामलों से जुडी अन्य राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के साथ तालमेल बनाए रखना।
- अपनी पुनर्वित्त परियोजनाओं की निगरानी एवं मूल्यांकन का उत्तरदायित्व ग्रहण करना।

ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष (RIDF):

इसे वर्ष 1995-96 में 2,000 करोड़ रुपये के शुरुआती कोष के साथ बनाया गया था। इस कोष का संचालन नाबार्ड द्वारा किया जाता है।

3 भारतीय अर्थव्यवस्था के मिश्रित संकेत

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने नवीनतम रिपोर्ट में दूसरी तिमाही के लिए 16.2 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है।

आरबीआई ने इस वित्तीय वर्ष की वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत रखी है जोकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 7.4 प्रतिशत के पूर्वानुमान से थोड़ा कम है।

अर्थव्यवस्था में कई विरोधाभासी स्थितियां:

अनौपचारिक श्रम क्षेत्र संकट:

- वैसे अर्थव्यवस्था ने अपने पूर्व-महामारी स्तर को प्राप्त कर लिया है, फिर भी श्रम बाजार, विशेष रूप से अनौपचारिक सेक्टर संकट से नहीं निकल सका है।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार की फर्मों का निरंतर संघर्ष एक स्पष्ट संकेत है कि श्रम बाजार विशेष कर अनौपचारिक सेक्टर फिलहाल संकट से निकलता नजर नहीं आ रहा है।

कम वेतन वृद्धि:

- अनौपचारिक श्रम बाजार में संकट के चलते वेतन में कम वृद्धि हुई है क्योंकि अधिकतम श्रम बाजार अनौपचारिक सेक्टर में होता है। इसके विपरीत औपचारिक सेक्टर में श्रम बाजार के सख्त होने के संकेत हैं साथ ही वेतन वृद्धि की भी संभावना है।

लोगों की आय में गिरावट:

- रोजगार के अवसरों की कमी और वेतन वृद्धि में कमी का अर्थ है कि घरेलू आय में गिरावट। इसके अलावा इस अवधि के दौरान असमानता बढ़ने की भी संभावना है।

कंपनियों को उच्च लाभ:

- कॉरपोरेट मुनाफा रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, भले ही केंद्रीय बैंक के बिजनेस असेसमेंट इंडेक्स द्वारा मापी गई व्यावसायिक भावना एक साल पहले की तुलना में कम है।
- इन विरोधी प्रवृत्तियों के लिए एक संभावित स्पष्टीकरण यह है कि बड़ी औपचारिक फर्मों ने छोटे फर्मों की कीमत पर बाजार हिस्सेदारी हासिल कर ली है। रोजगार की संभावनाएं कम हो गई हैं और धीमी वेतन वृद्धि का मतलब है कि बाजार का समग्र आकार उम्मीद के मुताबिक विस्तार नहीं कर रहा है।

कम निवेश:

- केंद्रीय बैंक के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि क्षमता उपयोग दर उनके दीर्घकालिक औसत से अधिक बढ़ गई है, फिर भी कई क्षेत्रों में निजी निवेश में व्यापक आधार पर वृद्धि के ठोस संकेत नहीं हैं।
- बैंक ऋण और आंतरिक उपार्जन (accruals) द्वारा अनुमानित निवेश गतिविधि मंद बनी हुई है। कम्पनी नए निवेश के लिए प्रतिबद्ध होने से बच रही हैं।

निष्कर्ष:

- जो तस्वीर उभरी है, वह रोजगार के अवसरों में निरंतर कमी, कम वेतन वृद्धि, सीमित गतिशीलता और बढ़ती असमानता, निराशावादी उपभोक्ता और अनिश्चित व्यावसायिक संभावनाएं आदि हैं। इसका तात्पर्य यह है कि आर्थिक गतिविधि उतनी तेज नहीं है जितना कि लोगों द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है।
- ये संकुचन किस हद तक गहरे होते हैं या हल हो जाते हैं? यह देश की मध्यम अवधि की विकास संभावनाओं को निर्धारित करेगा।
- फिर भी भारत धीरे ही सही लेकिन निश्चित रूप से आर्थिक रिकवरी की राह पर है और लगातार निवेश इस विकास गति को बनाए रखने का तरीका है।

4 सिडबी महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 300 सिलाई स्कूल स्थापित करेगा

चर्चा में क्यों?

- सिडबी ने उषा इंटरनेशनल लिमिटेड (यूआईएल) के साथ मिलकर 6 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के दस जिलों में 300 स्वावलंबन सिलाई स्कूल स्थापित करने के लिए अपनी प्रमुख पहल 'मिशन स्वावलंबन' के 5 वें चरण की शुरुआत की है।
- ये स्कूल छत्तीसगढ़, हरियाणा, गोवा, पुडुचेरी, जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें होमप्रेन्योर (अनिवार्य रूप से उद्यमी जो अपने घरों से अपना व्यवसाय संचालित करते हैं) के रूप में विकसित करने में मदद करने के लिए खोले जाएंगे।
- इस कार्यक्रम के माध्यम से महिला उद्यमियों को यूआईएल के विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा जीवन और उद्यमशीलता कौशल के अलावा, सिलाई मशीनों की सिलाई, रखरखाव और मरम्मत में प्रशिक्षित किया जाता है।
- सिडबी का लक्ष्य देश भर में 5,000 स्कूलों को इस पहल के तहत खोलना एवं इन उद्यमियों को कढ़ाई और फैशन डिजाइनिंग में शामिल करके, रेडीमेड परिधान क्षेत्र में भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना है। अब तक इस पहल के तहत 2700 सिलाई स्कूल स्थापित किये जा चुके हैं।

इस कार्यक्रम के लाभ:

- यह ग्रामीण क्षेत्र में महिला उद्यमिता को बढ़ावा दे सकता है।
- यह समाज के गरीब और हाशिए (marginalized) के वर्ग को लाभान्वित कर सकता है।
- यह समाज के वंचित वर्गों की महिलाओं का उत्थान कर सकता है।

इस कार्यक्रम की सफलता:

- इस पहल ने समाज के वंचित वर्गों की महिलाओं का उत्थान किया है। 2,700 महिला उद्यमियों में से 40 प्रतिशत महिलाएं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी की हैं और 39 प्रतिशत महिलाएं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग की हैं। इसके अलावा, 60 प्रतिशत महिलाएं जिन्होंने सिलाई स्कूल स्थापित किए हैं, वे गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी से हैं।

मिशन स्वावलंबन:

- सिडबी ने 2018 में उद्यमिता संस्कृति का प्रसार करने और युवाओं को नौकरी चाहने वालों से नौकरी निर्माता में बदलने के लिए यह शुरू किया गया था।
- इसके लक्ष्यों में ग्रामीण से शहर के माइग्रेशन को कम करना, ग्रामीण क्षेत्र में सतत विकास करना व सबसे गरीब लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना और MSME को बढ़ावा देना था।

सिडबी के बारे में:

- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक भारत की एक स्वतंत्र वित्तीय संस्था है जिसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के विकास के लक्ष्य से स्थापित किया गया था। यह लघु उद्योग क्षेत्र के संवर्द्धन, वित्तपोषण और विकास तथा इसी तरह की गतिविधियों में लगी अन्य संस्थाओं के कार्यों में समन्वयन के लिए प्रमुख वित्तीय संस्था है। इसका मुख्यालय लखनऊ में है और इसके कार्यालय देश के अन्य क्षेत्रों में भी हैं।
- सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 के तहत की गयी थी।
- यह वित्तपोषण और विकास, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, उद्यमशीलता और एमएसएमई क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए काम करता है।

निष्कर्ष:

- समाज में महिलाओं का समान योगदान है और वे देश के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह समय की आवश्यकता है कि महिलाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित किया जाये जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव हो सके।

5 सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC)

चर्चा में क्यों?

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) जल्द ही डिजिटल रुपया मार्केट में ला सकती है। डिजिटल रुपया जिसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) के रूप में जानते है, इसको सबसे पहले थोक व्यापार में शुरू किया जा सकता है।
- आरबीआई ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन का प्रस्ताव दिया था जिसके तहत आरबीआई डिजिटल रुपया लांच करेगा।

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC):

सीबीडीसी कागजी मुद्रा का एक डिजिटल रूप है जो केंद्रीय बैंक द्वारा जारी और समर्थित कानूनी निविदा हैं। यह फिएट (Fiat) मुद्रा के समान है और फिएट मुद्रा के साथ विनिमय योग्य है। ब्लॉकचेन द्वारा समर्थित वॉलेट का उपयोग करके डिजिटल फिएट मुद्रा या सीबीडीसी का लेन-देन किया जा सकता है।

- **फिएट मुद्राः** वह मुद्रा जिसे कानूनी निविदा द्वारा मान्यता प्राप्त होती है।
- हालांकि सीबीडीसी की अवधारणा सीधे बिटकॉइन से प्रेरित थी, फिर भी यह विकेन्द्रीकृत आभासी मुद्राओं और क्रिप्टो संपत्तियों से अलग है, जो राज्य द्वारा जारी नहीं की जाती हैं।
-

उद्देश्यः

- वास्तविक मुद्रा में आने वाले जोखिम को कम करना।
- नोटों के रख-रखाव से लेकर परिवहन और फटे नोटों को बदलने में आने वाली लगत को कम करना।
- यह मनी ट्रांसफर के साधन के रूप में लोगों को क्रिप्टोकरेंसी से भी दूर करेगा।

वैश्विक परिदृश्यः

- अपना राष्ट्रव्यापी सीबीडीसी सैंड डॉलर लॉन्च करने वाला पहला देश बहमास है।
- अप्रैल 2020 में डिजिटल मुद्रा ई-सीएनवाई का संचालन करने वाला चीन, दुनिया की पहली बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया।

फायदेः

- मुद्रा प्रबंधन लागत को कम करके सीबीडीसी धीरे-धीरे आभासी मुद्रा की ओर एक सांस्कृतिक बदलाव ला सकता है।
- सीबीडीसी एक विश्वसनीय, संप्रभु समर्थित घरेलू भुगतान और निपटान प्रणाली हेतु आसान साधन प्रदान कर सकता है।
- इसका उपयोग सीमा पार से भुगतान के लिए भी किया जा सकता है। यह सीमा पार भुगतानों को निपटाने के लिए संवाददाता बैंकों के महंगे नेटवर्क की आवश्यकता को समाप्त कर सकता है।
- यह वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है।

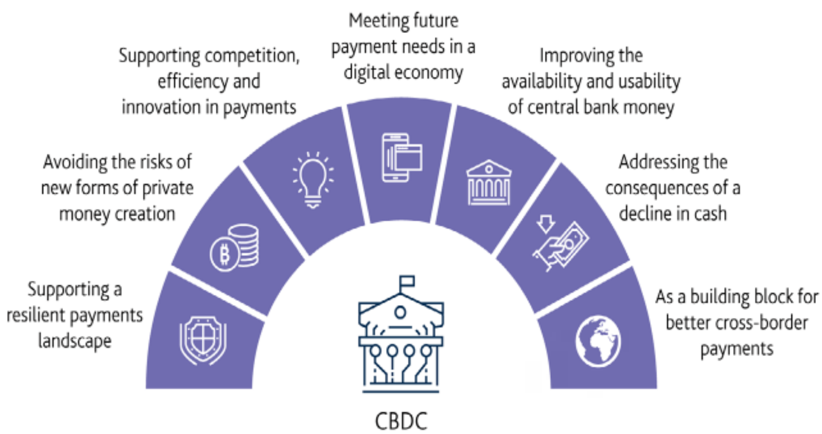

चुनौतियांः

- यह संभावित साइबर सुरक्षा खतरा बढ़ा सकता है।
- जनसंख्या की डिजिटल साक्षरता का अभाव भी इसको अपनाने में मुश्किल पैदा कर सकता है।
- डिजिटल मुद्रा की शुरूआत से विनियमन, निवेश और खरीद पर नजर रखने, व्यक्तियों पर कर लगाने आदि में विभिन्न चुनौतियों आ सकती हैं।
- गोपनीयता के लिए खतरा, एक अहम समस्या है।
- डिजिटल मुद्रा जारी करने से पहले उपयुक्त तकनीकी और कानूनी ढांचे की आवश्यकता भी एक प्रमुख समस्या है।

आगे की राहः

- सीबीडीसी को आरबीआई द्वारा लांच करना, भारत के वित्तीय समावेशन व विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बशर्ते आरबीआई पहले उन चुनौतियों का समाधान करे जो इसके लांच होने से आ सकती हैं।

कला और संस्कृति

1 'गरबा नृत्य' यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची के लिए नामित

चर्चा में क्यों?

- गुजरात के प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य 'रूप गरबा' को भारत द्वारा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया।
- यूनेस्को के अनुसार, भारत के गरबा नृत्य को नवंबर 2022 तक यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कर लिया जाएगा।

गरबा नृत्यः

- गरबा, गुजरात का एक प्रसिद्ध लोकनृत्य है जो देवी दुर्गा के सम्मान में किया जाता है। गरबा शब्द संस्कृत के 'गर्भ-द्वीप' शब्द से लिया गया है। इस नृत्य के लिये कम-से-कम दो सदस्यों का होना अनिवार्य होता है। इस नृत्य में 'डांडिया' का प्रयोग होता है। इस नृत्य को करते समय डांडिया को आपस में टकराकर नृत्य किया जाता है। गरबा नृत्य में ताली, चुटकी, खंजरी, डंडा, मंजीरा आदि का प्रयोग ताल देने के लिये किया जाता है और इसमें स्त्रियां दो अथवा चार के समूह में विभिन्न प्रकार से नृत्य करने के साथ देवी-गीत भी गाती हैं।
- भारत में वर्तमान में 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तत्व इस सूची में अंकित हैं।

(1) वैदिक जप की परंपरा (2) रामलीला, रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन (3) कुटियाट्टम, संस्कृत थिएटर (4) राममन, गढ़वाल हिमालय के धार्मिक त्यौहार और धार्मिक अनुष्ठान, भारत (5) मुदियेट्टू, अनुष्ठान थियेटर और केरल का नृत्य नाटक (6) कालबेलिया लोक गीत और राजस्थान के नृत्य (7) छऊ नृत्य (8) लद्दाख का बौद्ध जपः हिमालय के लद्दाख क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, भारत में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ (9) मणिपुर का संकीर्तन, पारंपरिक गायन, नगाड़े और नृत्य (10) पंजाब के ठठेरों द्वारा बनाए जाने वाले पीतल और तांबे के बर्तन (11) योग (12) नवरोज, नोवरूज, नोवरोज, नाउरोज, नौरोज, नौरेज, नूरुज, नोवरूज, नवरूज, नेवरूज, नोवरूज (13) कुंभ मेला (14) दुर्गा पूजा।

यूनेस्कोः

- यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ की एक इकाई है जिसकी स्थापना 16 नवंबर, 1945 ई. में हुई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान के प्रचार-प्रसार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति, विकास और संबंधों को बढ़ावा देना है। वह साक्षरता बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को प्रायोजित करता है और वैश्विक धरोहर की इमारतों और पार्कों के संरक्षण में भी सहयोग करता है। इसका मुख्यालय पेरिस में है।

यूनेस्को और भारतः

- भारत वर्ष 1946 से यूनेस्को का सदस्य है। भारत को वर्ष 2022-2026 की अवधि के लिये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु यूनेस्को के वर्ष 2003 कन्वेंशन की अंतर-सरकारी समिति के लिये चुना गया है।
- यूनेस्को द्वारा भारत के 12 बायोस्फीयर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव व जैवमंडल (MAB) कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया है।
- अप्रैल, 2022 तक भारत में कुल 40 विश्व धरोहर स्थल मौजूद थे। 'सांस्कृतिक' श्रेणी में 32 हैं, जैसे- अजंता की गुफाएँ, फतेहपुर सीकरी और हम्पी स्मारक आदि और 'प्राकृतिक' श्रेणी में 7 हैं, जैसे- काजीरंगा, मानस और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आदि। भारत का पहला और एकमात्र स्थल 'सिक्किम का कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान' मिश्रित विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल है।
- गुजरात के हड़प्पाकालीन शहर धोलावीरा भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है जबकि तेलंगाना में स्थित रामप्पा मंदिर भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल था।

2 भारतीय राष्ट्रीय आभासी पुस्तकालय (एनवीएलआई)

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी. किशन रेड्डी ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय आभासी पुस्तकालय (एनवीएलआई) में अगस्त, 2022 तक कुल 3.04 लाख डिजिटल कलाकृतियां और 34.91 लाख से अधिक ग्रंथ सूची प्रविष्टियों को शामिल किया जा चुका है।

भारतीय राष्ट्रीय आभासी (वर्चुअल) पुस्तकालय:

भारतीय राष्ट्रीय आभासी (वर्चुअल) पुस्तकालय भारत की सभी मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों को प्रदर्शित करने वाला एक भारतीय संस्कृति पोर्टल (आईसीपी) है जिसे 10 दिसंबर,2019 को लॉन्च किया गया था।

इस पोर्टल की मौजूदा स्थिति का सारांश निम्नलिखित है:-

- इसकी सामग्री को 18 क्यूरेटेड श्रेणियों में प्रस्तुत किया गया है। इनमें दुर्लभ पुस्तकें, ई-पुस्तकें, अभिलेखागार, राजपत्र व गजेटियर, पांडुलिपियां, संग्रहालय संग्रह, पेंटिंग, ओडियो, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, फोटो अभिलेखागार, चित्र, वीडियो, यूनेस्को की सामग्री, शोध पत्र, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, रिपोर्ट व कार्यवाही, संघीय सूची और अन्य सूचियां शामिल हैं।
- इसमें निर्मित विषय सामग्री की 12 श्रेणियां हैं जिनमें कहानियां, स्निपेट्स, फोटो निबंध, भारत के किले, भारत के वस्त्र व कपड़े, भारत के ऐतिहासिक शहर, भारत के संगीत वाद्ययंत्र, खान-पान व संस्कृति, वर्चुअल वॉकथ्रो (Rehearsal), स्वतंत्रता अभिलेखागार-विस्मृत नायक, अजंता गुफाएं और उत्तर-पूर्व पुरालेख हैं। वर्तमान में यह पोर्टल अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है।
- भारतीय राष्ट्रीय आभासी पुस्तकालय के तहत पूरे देश के शैक्षणिक संस्थानों में इंडियन कल्चर पोर्टल को बढ़ावा देने हेतु एक आउटरीच टीम का गठन किया गया है। इंडियन कल्चर (एनवीएलआई परियोजना) को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में दैनिक आधार पर प्रस्तुतियां व कार्यक्रम आदि आयोजित किए जाते हैं।

प्रमुख उद्देश्य :

- इसका प्रमुख उद्देश्य सभी उपलब्ध डिजिटल संपत्तियों और भौतिक संपत्तियों के बारे में डिजिटल जानकारी को आसानी से खोजने योग्य एकत्रित मानकीकृत करके मिलान करना है।

पुस्तकालयों पर राष्ट्रीय मिशन:

- केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने 2012 में पुस्तकालयों पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमएल) योजना तैयार की थी।
- यह पुस्तकालयों और सूचना विज्ञान क्षेत्र के विकास हेतु निरंतर ध्यान देने के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में तैयार किया गया था।

3 संस्कृति मंत्रालय ने 20 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की कथाओं पर आधारित कॉमिक बुक जारी की

चर्चा में क्यों?

- संस्कृति मंत्रालय ने गत 2 अगस्त को नई दिल्ली में तिरंगा उत्सव समारोह के दौरान 20 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की कथाओं पर आधारित तीसरी कॉमिक बुक जारी की।
- इस कथा संग्रह में उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की कथाएं हैं जिन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ संघर्ष के लिए अपने जनजातीय साथियों को प्रेरणा दी और अपने जीवन का बलिदान किया।

स्वतंत्रता सेनानी जिनको कॉमिक बुक में शामिल किया गया:

- **तिलका मांझी:** वे पहाड़िया जनजाति के सदस्य थे और उन्होंने अपने समुदाय को साथ लेकर ब्रिटिश कंपनी के कोषागार पर छापा मारा था।
- **थलक्कल चंथू:** ये कुरिचियार जनजाति के सदस्य थे और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पाजासी राजा के युद्ध में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।
- **बुद्धु भगत:** ये उरांग जनजाति के सदस्य थे। ब्रिटिश अधिकारियों के साथ हुई कई मुठभेड़ों में से एक में इन्हें इनके भाई, सात बेटों और इनकी

जनजाति के 150 लोगों के साथ गोली मार दी गई थी।

- **तीरत सिंह:** खासी समुदाय के प्रमुख तीरत सिंह को अंग्रेजों की दोहरी नीति का पता लग गया था, इसलिए उन्होंने उनके खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया।
- **राघोजी भांगरे:** यह महादेव कोली जनजाति के के सदस्य थे। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उनकी मां को कैद किए जाने के बावजूद उनका संघर्ष जारी रहा।
- **सिद्धू और कान्हू मुर्मू:** यह संथाल जनजाति के सदस्य थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया।
- **रेन्डो मांझी और चक्रा विसोई:** यह खोंड जनजाति के सदस्य थे जिन्होंने अपनी जनजाति के रिवाजों में हस्तक्षेप करने पर ब्रिटिश अधिकारियों का विरोध किया।
- **नीलांबर और पीतांबर:** मेरठ में शुरू हुए भारतीय विद्रोह में खारवाड़ जनजाति के भोगता समुदाय के नीलांबर और पीतांबर ने खुलकर भाग लिया
- **रामजी गोंड:** गोंड जनजाति के रामजी गोंड ने उस सामंती व्यवस्था का विरोध किया जिसमें धनी जमींदार अंग्रेजों के साथ मिलकर गरीबों को सताते थे।
- **तेलंगा खरिया:** खरिया जनजाति के तेलंगा खरिया ने अंग्रेजों की कर व्यवस्था और शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
- **तांतिया भील:** मध्य प्रांत के रोबिन हुड के नाम से मशहूर तांतिया भील ने अंग्रेजों की धन-संपत्ति ले जा रही ट्रेनों में डकैती डाली और उस संपत्ति को अपने समुदाय के लोगों के बीच बांट दिया।
- **पाउना ब्रजवासी:** मणिपुर के मेजर पाउना ब्रजवासी, अपनी मणिपुर की राजशाही को बचाने के लिए लड़े।
- **बिरसा मुंडा:** मुंडा जनजाति के बिरसा मुंडा अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष के महानायक थे। उन्होंने अंग्रेजों के साथ कई संघर्षों में मुंडा लोगों का नेतृत्व किया।
- **मटमूर जमोह:** अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति के मटमूर जमोह ब्रिटिश शासकों की अकड़ के खिलाफ लड़े।
- **ताना भगत:** उरांव जनजाति के ताना भगत अपने लोगों को अंग्रेज सामंतों के अत्याचार के बारे में बताते थे।
- **मालती मीम:** चाय बागान में काम करने वाले समुदाय की मालती मीम महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन से प्रभावित होकर उसमें शामिल हो गई।
- **लक्ष्मण नायक:** भूयां जनजाति के लक्ष्मण नायक भी गांधी जी से प्रेरित थे और उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में शामिल होने के लिए अपनी जनजाति के लोगों को काफी प्रेरित किया।
- **हेलन लेप्चा:** लेप्चा जनजाति की हेलन लेप्चा महात्मा गांधी की महान अनुयायी थीं। अपने लोगों पर उनके प्रभाव से अंग्रेज बहुत असहज रहते थे।
- **पुलिमाया देवी पोदार:** अपने परिवार के कड़े विरोध के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई समाप्त करने के बाद न सिर्फ खुद आंदोलन में हिस्सा लिया बल्कि अन्य महिलाओं को भी इसके लिए प्रोत्साहित किया।

4 रंग स्वाधीनता

चर्चा में क्यों ?

- भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संगीत नाटक अकादमी ने 'रंग स्वाधीनता' उत्सव का आयोजन किया। यह भारत को साम्राज्यवाद की बेड़ियों से मुक्त कराने में अपने प्राण न्यौछावर कर देने वाले, स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृतियों को संजोने का उत्सव था।

रंग स्वाधीनता उत्सव :

- रंग स्वाधीनता में देश भर की लोक संगीत परंपराओं को प्रस्तुत किया जाता है।
- इस वर्ष 'रंग स्वाधीनता' के पहले दिन का शुभारंभ सुभाष नागरा एंड ग्रुप की प्रस्तुति के साथ हुआ है।
- इसमें कहरवा ताल पर अनगिनत विविध ताएं और 'दिल दिया है, जान भी देंगे' जैसे लोकप्रिय देशभक्ति गीतों की धुनों का संयोजन प्रस्तुत किया गया।
- यह उत्सव 27 से 29 अगस्त, 2022 तक मेघदूत सभागार में आयोजित किया गया था।

संगीत नाटक अकादमी:

- संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में संगीत, नृत्य और नाटक के रूप में व्यक्त भारत की विविध संस्कृति की विशाल अमूर्त विरासत के संरक्षण और प्रचार के लिए की गई थी।
- संगीत नाटक अकादमी देश में कला प्रदर्शन के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है। अकादमी का पंजीकृत कार्यालय रवीन्द्र भवन, नई दिल्ली में है।
- संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है।
- **संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार:** यह अभ्यास करने वाले कलाकारों को प्रदान की जाने वाली सर्वोच्च राष्ट्रीय मान्यता है।

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की महत्त्वपूर्ण खबरें

1. रुपया सहकारी बैंक का लाइसेंस निरस्त

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए पुणे के रुपया सहकारी बैंक का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। सहकारी बैंकों का गठन और परिचालन सहकारिता के आधार पर किया जाता है। सहकारी यानी साथ मिलकर काम करना। सहकारी बैंकों का प्राथमिक लक्ष्य अधिक-से-अधिक लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि अपने सदस्यों को बेहतर सेवाएं और उत्पाद प्रदान करना होता है। को-ऑपरेटिव बैंकों की स्थापना "राज्य सहकारी समिति अधिनियम" के मुताबिक किया जाता है। इनका रजिस्ट्रेशन "रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव सोसाइटी" के पास किया जाता है। इनका प्रशासन राज्य सरकार देखती है, जबकि इनको रेग्युलेट करने अर्थात् विनियमित करने का काम भारतीय रिजर्व बैंक करती है।

2. मेडिसिन फ्रॉम द स्काई

हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 'मेडिसिन फ्रॉम द स्काई' नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस प्रोग्राम के तहत ड्रोन के जरिए दवाओं की आपूर्ति की जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत इस ड्रोन सर्विस ने पूर्वी कामेंग जिले के सेप्पा (Seppa) से च्यांग ताजो तक सफलतापूर्वक उड़ान भरी। पायलट प्रोजेक्ट को यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) की ओर से फंड मिला है और बेंगलुरू आधारित स्टार्टअप रेडविंग लैब्स (Redwing Labs) ने इसे बनाया किया है। इस प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार को विश्व आर्थिक मंच का सहयोग मिला है। पिछले वर्ष 'मेडिसिन फ्रॉम द स्काई' प्रोग्राम को सर्वप्रथम तेलंगाना सरकार ने लांच किया था। केंद्र सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक भारत को अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन हब के रूप में विकसित किया जाए।

3. हर घर जल उत्सव

हाल ही में हर घर जल उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने बताया कि देश के 10 करोड़ ग्रामीण परिवार पाइप द्वारा स्वच्छ पानी की सुविधा से जुड़ चुके हैं। गोवा देश का पहला राज्य बन गया है जिसे 'हर घर जल' प्रमाणित किया गया है। दादरा नगर हवेली और दमन व दीव भी हर घर जल प्रमाणित केंद्रशासित प्रदेश बन गया है। उल्लेखनीय है कि जल जीवन मिशन की घोषणा 2019 में की गई थी जिसका उद्देश्य 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता का, नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध कराना है।

Har Ghar Jal
Jal Jeevan Mission

4. उल्ची (Ulchi) फ्रीडम शील्ड अभ्यास

दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने अपना सबसे बडा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। दोनों देशों ने क्षेत्र प्रशिक्षण (Field Training) की बहाली के साथ इस अभ्यास की शुरूआत की है। इस बार वार्षिक ग्रीष्मकालीन अभ्यास का नाम बदलकर उल्ची फ्रीडम शील्ड रखा गया है। चार साल में पहली बार दोनों सेनाएं उत्तर कोरिया के हमले का जवाब देने की तैयारी के लिए यह अभ्यास कर रही हैं। इसके अलावा 22 अगस्त से दक्षिण कोरिया ने अलग से चार दिवसीय उल्ची नागरिक सुरक्षा अभ्यास भी शुरू किया। इसे कोविड महामारी आने के बाद पहली बार सरकार की तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया है। सैन्य और नागरिक अभ्यास का उद्देश्य चिप कारखानों और आपूर्ति श्रृंखलाओं जैसी प्रमुख सुविधाओं पर साइबर खतरों से निपटने के साथ-साथ, युद्ध के बदलते तरीकों के अनुरूप तैयारियों में सुधार करना है।

5. राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल

केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और सरकारी एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल की शुरूआत की है। ऐसा पुरस्कार वितरण में पारदर्शिता लाने और जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक यह साझा पोर्टल पुरस्कारों के लिए व्यक्तियों या संगठनों को नामित करने की सुविधा प्रदान करता है। वर्तमान में पोर्टल पर विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों के लिए नामांकन और सिफारिशें दर्ज की जा रही है। इस पोर्टल को गृह मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाएगा और इसे www.awards.gov.in के जरिए देखा जा सकता है।

6. एक्वा बाजार

हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड की बैठक में केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने **'मत्स्यसेतु'** मोबाइल ऐप में ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर एक्वा बाजार का शुभारंभ किया। इस ऐप को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और सेंट्रल फ्रेशवाटर लिवलीहुड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। ये एक्वा बाजार मछली किसानों और इससे जुड़े अन्य हितधारकों को मत्स्यपालन के लिये आवश्यक सेवाएँ, मछली के बीज, चारा और दवाओं जैसे इनपुट सामग्री की प्राप्ति में मदद करेगा।

7. अंतिम पंघाल ने जीता अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक

हरियाणा की 17 वर्षीय अंतिम पंघाल बुलगारिया के सोफिया में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में, स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। उन्होंने 53 किलोग्राम वर्ग में कजाख्स्तान की एटलिन शागायेवा को आठ-शून्य से हराया। भारत के लिए यह स्वर्ण पदक इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि भारत को अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप की महिला कुश्ती में अभी तक कोई स्वर्ण पदक नहीं मिला था। अंतिम पंघल हरियाणा में हिसार जिले के भगाना गांव की निवासी हैं। इसके अलावा सोनम मलिक ने 62 किलोग्राम और प्रियंका ने 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता।

8. फहमीदा अजीम को पुलित्जर पुरस्कार

अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका इनसाइडर के लिए काम करने वाली बांग्लादेश मूल की चित्रकार और कहानीकार फहमीदा अजीम को 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह पुरस्कार सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी हेतु दिया जा रहा है। पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका में वार्षिक तौर पर दिया जाने वाला एक महत्त्वपूर्ण सम्मान है जो हंगरी के रहने वाले जोसेफ पुलित्जर के नाम पर दिया जाता है। यह समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है। पहली बार इसकी घोषणा 4 जून 1917 ई. को की गई थी। यह पुरस्कार कुल 21 कैटेगरी में दिया जाता है। इसके साथ स्कॉलरशिप भी दी जाती है। इस सम्मान को पाने वाले को एक प्रमाण पत्र के साथ 15 हजार डॉलर की नकद राशि भी प्रदान की जाती है। सम्मान देने का फैसला 5 सदस्यों वाली एक समिति करती है। सम्मान को पाने के लिए प्रवेश शुल्क के रूप में 75 डॉलर देने पड़ते हैं। साथ ही, कमेटी द्वारा तय की गई शर्तों को भी पूरा करना पड़ता है।

9. टोमेटो फ्लू

हैंड फूट एंड माउथ डिजीज यानी टोमेटो फ्लू एक वायरल बीमारी है जिसमें शरीर पर टमाटर के आकार जैसे फफोले हो जाते हैं। ये कॉक्ससैकी (Coxsackie) वायरस A16 के कारण होता है। यह एंटरो (Entero) वायरस फैमिली से संबंधित है। इसके ज्यादातर लक्षण दूसरे वायरल इंफेक्शन जैसे ही रहते हैं। इसमें बुखार, रैशेज, जोड़ों में दर्द, थकावट, जोड़ों का सूजना, गले में खराश शामिल है। यह संक्रामक रोग आँतों के वायरस के कारण होता है जो बच्चों में ज्यादा होता है जबकि वयस्कों में दुर्लभ होता है। वयस्कों के पास आमतौर पर वायरस से बचाव के लिये पर्याप्त प्रतिरक्षा प्रणाली होती है। सरकार ने एक विस्तृत रिपोर्ट जारी कर टोमेटो फ्लू के लक्षण और इसके इलाज को लेकर भी बताया है।

10. एंजेला मर्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार

पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को शरणार्थियों का स्वागत करने के उनके प्रयासों के लिए 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूनेस्को शांति पुरस्कार को फेलिक्स हौफौएट-बोगेन शांति पुरस्कार भी कहा जाता है। यह पुरस्कार 120 देशों द्वारा समर्थित एक प्रस्ताव द्वारा शुरू किया गया था और यूनेस्को के सम्मेलन द्वारा इसके 25वें सत्र में अपनाया गया था। वर्ष 1989 में शुरू किया गया यह पुरस्कार ऐसे जीवित व्यक्तियों और सक्रिय सार्वजनिक या निजी निकायों या संस्थानों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने शांति में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। एंजेला मर्केल का जन्म 17 जुलाई 1954 को जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में हुआ था। उनका नाम एंजेला डोरोथिया कास्नर था जो शादी के बाद बदल गया। जर्मनी की पहली महिला चांसलर, एंजेला मर्केल 2005-2021 तक इस पद पर रहीं।

11. शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट

हाल ही में स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान (HEI) ने शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया। रिपोर्ट में दुनिया भर के 7,000 से अधिक शहरों में वायु प्रदूषण और वैश्विक स्वास्थ्य प्रभावों का व्यापक एवं विस्तृत विश्लेषण शामिल है। यह दो हानिकारक प्रदूषकों जैसे-सूक्ष्म कण पदार्थ (पीएम2.5) और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO_2) पर केंद्रित है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- जब PM 2.5 के स्तर की तुलना की गई तो शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में दिल्ली और कोलकाता क्रमशः पहले एवं दूसरे स्थान पर रहे।
- वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्वास्थ्य प्रभाव एशिया, अफ्रीका, पूर्वी तथा मध्य यूरोप के शहरों में देखा जा सकता है।
- तेजी से शहरीकरण के कारण, वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभावों को कम करना, विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में चुनौतीपूर्ण हो गया है।
- निम्न और मध्यम आय वाले देशों के शहरों में फाइन पार्टिकुलेट या PM2.5 प्रदूषण का एक्सपोजर अधिक है। वहीं उच्च आय वाले शहरों में भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO_2) का जोखिम अधिक है।
- 2019 में, इस रिपोर्ट में 7,000 से अधिक शहरों में से 86% से अधिक NO_2 के लिए जिम्मेदार हैं जोकि WHO के 10 lg/m³ के दिशानिर्देश के विपरीत है। यह लगभग 2.6 बिलियन लोगों को प्रभावित करता है।

12. अभ्यास पिच (Pitch) ब्लैक

भारतीय वायु सेना 16 अन्य देशों के साथ ऑस्ट्रेलियाई वायु सेना द्वारा आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक में शामिल हुई। यह इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने और प्रतिभागियों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए एक द्विवार्षिक अभ्यास है। यह अभ्यास भारतीय वायु सेना को एक गतिशील युद्ध वातावरण में, इन देशों के साथ ज्ञान और अनुभव का आदान-प्रदान करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा। इस वर्ष प्रतिभागी देशों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, भारत, जापान, मलेशिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, यूके और यू.एस आदि शामिल हैं।

समसामयिकी घटनाएं एक नजर में

1. भारत सरकार ने गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया है।
2. जस्टिस उदय उमेश ललित (U. U. Lalit) ने देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
3. अगस्त, 2022 में 'मोक्षधाम योजना' हिमांचल प्रदेश द्वारा शुरू की गयी।
4. केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पुणे में भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ किया।
5. बांग्लादेश की चित्रकार और कहानीकार फहमीदा अजीम को 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए नामित किया गया।
6. भारत की प्रमुख खनन कंपनी NMDC ने FICCI के सहयोग से नई दिल्ली में "Transition Towards 2030 – Vision 2047" थीम पर भारतीय खनिज और धातु उद्योग पर एक सम्मेलन का आयोजन किया।
7. पंजाब और हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद-ए आजम भगत सिंह नाम रखने पर सहमति व्यक्त की।
8. विदेश मंत्रालय के अनुसार, जनवरी 2023 में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन इंदौर में किया जाएगा।
9. अगस्त, 2022 में विस्तारा ने स्पाइसजेट को पीछे करते हुए भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन का दर्जा हासिल किया।
10. मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला NIDAAN नामक पोर्टल NCB द्वारा लांच किया गया।
11. भारत की 20 वर्षीय मनीषा कल्याण यूएफा (UEFA) महिला चौंपियंस लीग में खेलने वाली देश की पहली महिला फुटबॉल खिलाड़ी बनी।
12. जन्माष्टमी के दौरान आयोजित होने वाली 'दही हांडी' प्रतियोगिता को महाराष्ट्र सरकार ने एडवेंचर स्पोर्ट्स का दर्जा देने की घोषणा की।
13. हाल ही में असम सरकार ने 'विद्या रथ: स्कूल ऑन व्हील्स' परियोजना की शुरूआत की।
14. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ग्रेनेडा के पूर्व मंत्री साइमन स्टील को संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की।
15. हाल ही में इंग्लिश हैरिटेज संस्था द्वारा दादाभाई नौरोजी के लंदन स्थित मकान को 'ब्लू प्लैक' सम्मान दिया गया। 'ब्लू प्लैक' सम्मान लंदन की ऐतिहासिक महत्त्व की इमारतों को दिया जाना वाला एक सम्मान है।
16. रतन टाटा ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप 'गुडफेलो' लांच किया।
17. 15 अगस्त, 2022 से जम्मू कश्मीर राज्य में 'ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022' को लागू किया गया।
18. FIDE द्वारा शतरंज ओलम्पियाड का आयोजन वर्ष 2026 में उज्बेकिस्तान में किया जाएगा।
19. हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली बिगटेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बनी।
20. हाल ही में भारत की पहली 'डिजिटल लोक अदालत' जुपिटिस कंपनी के सहयोग से जयपुर में लांच की गयी।
21. भारत का पहला 'हिमालयन मसाला उद्यान' रानीखेत में स्थापित किया गया।
22. 'द लाइन' नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर सऊदी अरब में स्थापित किया जाएगा।
23. हाल ही में संजय बारू ने 'द जर्नी ऑफ ए नेशन: 75 इयर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी' नामक पुस्तक लिखी।
24. ऑनलाइन सरकारी 'ई-टेक्सी सेवा' शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना।
25. हाल ही में विश्व वन्यजीव एवं पर्यावरण संगठन (WWF) द्वारा 'Good For You Good For The Planet' नाम से अभियान शुरू किया गया।

मंडला आर्ट

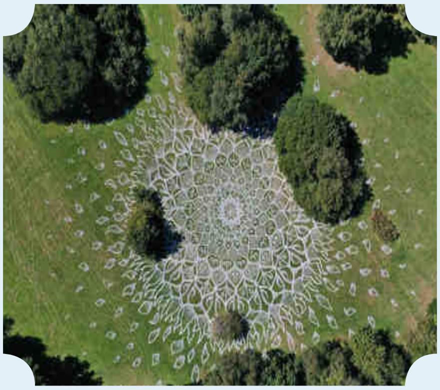

1. चर्चा मे क्यों?

- यूनाइटेड किंगडम स्थित लिवरपूल के हेलवुड पार्क में, 12 अगस्त को मंडला आर्ट की एक सुंदर कृति की स्थापना का अनावरण किया गया।
- जेम्स ब्रंट द्वारा 'द नोजली मंडला' नामक इस भूमि कला को प्राकृतिक तत्वों से तैयार किया गया है।

2. कला रूप (Art Form):

- मंडला पैटर्न सदियों पुराने रूपांकन है जिसे ब्रह्मांड को चित्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- इसे एक वर्ग के आकार में भी बनाया जा सकता है। मंडला पैटर्न अनिवार्य रूप से आपस में जुड़े हुए रहते हैं।
- मंडला कला हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के साथ जुड़ी हुई है।
- मंडला की कल्पना पहली बार वेदों (1500-500 ईसा पूर्व) में की गयी थी। ऐसा माना जाता है कि सिल्क रूट के साथ यात्रा करने वाले बौद्ध भिक्षुओं द्वारा इसे भारत से बाहर ले जाया गया था।
- छठी शताब्दी तक, चीन, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया और तिब्बत में मंडला की पहुंच हो चुकी थी।

3. मंडला का अर्थ:

- मंडला का अर्थ संस्कृत में सर्कल या केंद्र से है। मंडला को एक ज्यामितीय विन्यास द्वारा निरुपित किया जाता है जो आमतौर पर किसी न किसी रूप में गोल आकार को शामिल करता है।
- ऐसा माना जाता है कि मंडला में प्रवेश करने और उसके केंद्र की ओर बढ़ने पर, ब्रह्मांड को बदलने और दुख की भावनाओं से आनंद की ओर बढ़ने की एक ब्रह्मांडीय प्रक्रिया का अनुभव होता है।
- हिंदू दार्शनिक प्रणालियों में मंडला या यंत्र आमतौर पर एक वर्ग के आकार में होता है जिसके केंद्र में एक वृत्त होता है।
- पारंपरिक बौद्ध मंडला एक गोलाकार पेंटिंग है जो इसके निर्माता को उनके स्वयं का सत्य (True Self) खोजने में सहायक होती है।
- मंडला में विभिन्न तत्व शामिल हैं जिनमें से प्रत्येक का अपना अर्थ होता है।
- चक्र की आठ तीलियां (धर्मचक्र) बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है।
- कमल का फूल संतुलन दर्शाता है जबकि सूर्य ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है।

4. आधुनिक भारतीय कला में मंडला:

- मंडला का प्रभाव प्राचीन दर्शन में भी दिखता है किन्तु आधुनिक और सम कालीन भारतीय कलाकारों के हाथों, मंडला ने विविध रूप प्राप्त किया है।
- इसे बौद्ध थंगका चित्रों में अभी भी स्थान प्राप्त है। तांत्रिक और नव-तांत्रिक आध्यात्मिक आंदोलनों से जुड़े मुख्यधारा के कलाकारों के कार्यों में इसका केंद्रीय स्थान है।
- 1960 के दशक में सोहन कादरी और प्रफुल्ल मोहंती जैसे भारतीय कलाकारों ने पिछली पीढ़ियों के अधिक लाक्षणिक चित्रों को नया आयाम प्रदान किया है ।
- उन्होंने अपने उस कार्य के लिए व्यापक मान्यता प्राप्त की जिसमें तांत्रिक प्रतीकों को मंडला के साथ जोड़ा था। इसका उपयोग तांत्रिक दीक्षा के अनुष्ठानों में भी किया जाता है।
- कादरी के कुछ मंडला चित्रों में समरूपता दिखायी देती है जबकि अन्य में उन्होंने मंडला अवधारणा को कुंडलिनी के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के साथ मिला दिया।
- ऐसा माना जाता है कि दैवीय ऊर्जा रीढ़ के आधार पर स्थित कुंडलिनी में स्थित होती है।
- जी.आर. संतोष सामान्यत: मानव आकृतियों को बनाने के लिए मंडला और ज्यामितीय रूप को एक साथ उपयोग में लाते हैं।

5. चिकित्सा में मंडला:

- कला चिकित्सा के एक भाग के रूप में प्रतिभागियों को मंडला बनाने और रंग भरने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- यह समझने के लिए अध्ययन भी किया गया है कि क्या मंडला तनाव को कम करने में मदद कर सकती है?
- स्विस मनोचिकित्सक और मनो-विश्लेषक कार्ल जंग ने मंडला के मनोवैज्ञानिक प्रभावों की खोज करके इसे चिकित्सा के रूप में प्रस्तुत किया है।

ब्रेन-बूस्टर

यूरोप में सूखा

1. चर्चा में क्यों?

यूरोप का दो-तिहाई हिस्सा किसी न किसी प्रकार के सूखे से प्रभावित है जो पिछले 500 वर्षों में इस तरह की सबसे खराब स्थिति को दर्शाता है।

2. वैश्विक सूखा वेधशाला (ग्लोबल ड्रॉट ऑब्जर्वेटरी) रिपोर्ट:

- इस रिपोर्ट में महाद्वीप के करीब 47% उन हिस्से में चेतावनी जारी की गई है जहां मिट्टी तेजी से नमी खो रही है।
- अन्य 17% भू-भाग पर सूखे का खतरा है जहां वनस्पतियों पर सूखे का प्रभाव साफ दिखने लगा है।
- रिपोर्ट में अगाह किया गया है कि शुष्क मौसम से फसल का उत्पादन प्रभावित होगा, जंगल में आग की घटना बढ़ेगी जो यूरोप के दक्षिणी क्षेत्रों में कई महीनों तक बनी रह सकती है।
- पिछले पांच वर्षों के औसत उत्पादन की तुलना में, यूरोपीय संघ द्वारा इस वर्ष मक्का 16%, सोयाबीन 15% और सूरजमुखी के 12% कम उत्पादन का पूर्वानुमान लगाया गया है।
- ग्लोबल ड्रॉट ऑब्जर्वेटरी, यूरोपीय आयोग के अनुसंधान विंग का हिस्सा है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि यूरोप की लगभग सभी नदियों का जलस्तर तेजी से कम हुआ है।
- जल परिवहन पर स्पष्ट प्रभाव के अतिरिक्त सूखी नदियाँ ऊर्जा क्षेत्र को भी प्रभावित कर रही हैं जो पहले से ही संकट में है। रिपोर्ट के मुताबिक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर में 20% की गिरावट आई है।
- गंभीर सूखा पूरे साल कई क्षेत्रों में मौजूद रहा है लेकिन अगस्त के प्रारंभ में स्थिति और भी बिगड़ गयी है।
- शोधकर्ताओं की कड़ी चेतावनी पूरे यूरोप में नदियों के गिरते जल स्तर को उल्लिखित करती है जिसने अतीत के अवशेषों को उजागर किया है। इसमें संभावित अकाल की चेतावनी और द्वितीय विश्व युद्ध के नाजी जहाजों के डूबे हुए अवशेष शामिल हैं।
- यूके के कई क्षेत्रों में आधिकारिक तौर पर सूखा घोषित हुआ है किन्तु कुछ वृक्ष शरद ऋतु की तरह हरे-भरे हैं जिसे गर्मी के कारण झूठी शरद माना जा रहा है।

3. सूखे का प्रभाव:

- कोयले की आपूर्ति में व्यवधान ने बिजली उत्पादन को प्रभावित किया है जिससे बिजली की कमी हो गई है। ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि हुई है जो पहले से ही यूक्रेन में युद्ध से अधिक प्रभावित है।
- कई देशों में खाने का सामान महंगा हुआ है और यूरोप के कुछ क्षेत्रों में पीने के पानी की राशनिंग की जा रही है।
- यूरोप में जलमार्ग द्वारा कोयले सहित बिजली संयंत्रों संबंधी कार्गो और अन्य वस्तुओं को, किफायती तरीके से परिवहन द्वारा पहुंचाया जाता है। नदियों के गिरते जलस्तर नें अधिकांश बड़े जहाजों को अनुपयोगी बना दिया गया है।
- पानी की कमी ने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के संचालन को बुरी तरह प्रभावित किया है क्योंकि वे शीतलक के रूप में बड़ी मात्रा में पानी का उपयोग करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप बिजली की कमी और ऊर्जा की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
- जंगल की आग की घटनाओं में भी वृद्धि दर्ज हुई है।

4. सूखा:

- सूखा एक कम वर्षा वाली अवधि होती है जो सिंचाई और पीने के साथ-साथ अन्य उद्देश्यों के लिए पानी की उपलब्धता को प्रभावित करती है।

5. सूखे के प्रकार:

- सूखे को सामान्यत: तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है-
  - » **मौसम संबंधी सूखा-** यह उस अवधि में लंबे समय तक शुष्क रहने की स्थिति है जब वर्षा की संभावना होती है।
  - » **हाइड्रोलॉजिकल सूखा-** यह वह स्थिति है जब पानी की कमी सामान्य आपूर्ति प्रणाली को प्रभावित करना शुरू कर देती है।
  - » **कृषिगत सूखा-** यह तब होता है जब पानी की कमी कृषि उत्पादन को प्रभावित करना प्रारंभ कर देती है।
- यूरोप में, तीनों प्रकार के सूखे अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग मात्रा में देखे जा रहे हैं।

6. वैश्विक स्थिति:

- चीन के कई क्षेत्र भी सूखे का सामना कर रहे हैं जिसे पिछले 60 वर्षों में सबसे भयानक स्थिति बताया जा रहा है।
- देश की सबसे लंबी नदी, यांग्त्जी और सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलें-पोयांग और डोंगटिंग अपने निम्नतम स्तर को छू रही हैं ।
- संयुक्त राज्य अमेरिका में 40% से अधिक क्षेत्र भी वर्तमान में सूखे की स्थिति में है। अमेरिकी सरकार के अनुसार, इससे लगभग 130 मिलियन लोग प्रभावित हैं।

1. चर्चा में क्यों?

- नासा के नवीनतम और सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप (जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप) ने हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह (बृहस्पति) की नई छवियों को कैप्चर किया है।
- इसमें बृहस्पति की सतह पर विशाल तूफान, शक्तिशाली हवाएं, अरोरा और अत्यधिक तापमान एवं दबाव की स्थिति देखी गई।

2. प्रेक्षणों का नेतृत्व:

- वेब के अर्ली रिलीज साइंस प्रोग्राम के तहत डी पाटर (De Pater) ने पेरिस ऑब्जर्वेटरी के प्रोफेसर थियरी फॉचेट के साथ बृहस्पति के अवलोकन का नेतृत्व किया।
- मोडेस्टो कैलिफोर्निया के जूडी श्मिट ने बृहस्पति से संबंधित नए खोजों को संशोधित किया है।

3. वेब टेलिस्कोप:

- जेम्स वेब टेलिस्कोप को नासा द्वारा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसी की सहायता से विकसित किया गया था।
- इसे 25 दिसंबर, 2021 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था।
- यह वर्तमान में लैग्रेंज बिंदु 2 पर स्थित है जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा से लगभग 1.5 मिलियन किमी दूर है।
- वेब ने 11 जुलाई 2022 को अपनी पहली छवि जारी की थी।

4. तकनीक के बारे में:

- दो छवियां वेधशाला के नियर-इन्फ्रारेड कैमरा (NIRCam) से कैप्चर की जाती हैं जिसमें तीन विशेष इन्फ्रारेड फिल्टर हैं जो ग्रह के विवरण को प्रदर्शित करने में सहायता करते हैं।
- चूंकि इन्फ्रारेड प्रकाश मानव आंखों के लिए अदृश्य है, प्रकाश को दृश्यमान स्पेक्ट्रम पर मैप किया गया।
- सामान्यत: सबसे लंबी तरंगदैर्ध्य लाल दिखाई देती है और सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य नीले रंग के रूप में दिखाई जाती है।
- वेब डेटा को छवियों में रुपान्तरित करने के लिए वैज्ञानिकों ने नागरिक वैज्ञानिक जूडी श्मिट (citizen scientist Judy Schmidt) के साथ अनुबंध किया।

5. जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा अवलोकन:

- बृहस्पति के दृश्य में अरोरा, बृहस्पति के उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों के ऊपर अधिक ऊंचाई तक फैला हुआ है।
- ऑरोरस एक फिल्टर में चमकता है जिसे लाल रंगों में मैप किया जाता है, जो निचले बादलों और ऊपरी धुंध से परावर्तित प्रकाश को भी हाईलाइट करता है।
- एक अलग फिल्टर जो पीले और हरे रंग के लिए मैप किया गया है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के चारों ओर घूमता हुआ धुंध दिखाता है।
- एक तीसरा फिल्टर जिसे ब्लूज में मैप किया गया है, वह प्रकाश दिखाता है जो एक गहरे मुख्य बादल से परावर्तित होता है।
- ग्रेट रेड स्पॉट, एक प्रसिद्ध स्टॉर्म जो इतना बड़ा है कि यह पृथ्वी को निगल सकता है, इन दृश्यों में सफेद दिखाई देता है क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर रहे हैं, जैसा कि अन्य बादल करते हैं।
- वेब बृहस्पति को उसके हल्के छल्लों, अमलथिया और एड्रास्टिया नामक दो छोटे चंद्रमाओं के साथ दिखाया गया है।

जेम्स वेब टेलीस्कोप के लेंस से बृहस्पति

6. बृहस्पति का निरीक्षण करना कठिन क्यों है?

- अधिक दूर ब्रह्मांडीय ग्रहों की तुलना में बृहस्पति पर अध्ययन करना वास्तव में कठिन है क्योंकि यह तेजी से घूमता है।
- छवियों के कलेक्शन को एक दृश्य में संयोजित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है जब बृहस्पति की मुख्य विशेषताएं उस समय के दौरान भी घूमती हैं जब चित्र लिए जा रहे थे।

7. अवलोकन का महत्व:

- एक छवि में बृहस्पति के वलयों, छोटे उपग्रहों और यहां तक कि आकाशगंगाओं के साथ विवरण देख सकते हैं।
- जेम्स वेब के बृहस्पति अवलोकन में वैज्ञानिकों को बृहस्पति के आंतरिक जीवन के बारे में और भी अधिक साक्ष्य प्राप्त हो सकता है।

CSAM कार्यों के विरुद्ध GOOGLE

1. चर्चा में क्यों?

- सैन फ्रांसिस्को और टेक्सास में, अपने बच्चों की प्राइवेट फोटो लेने के कारण Google ने अभिभावकों के Google Account के एक्सेस को निलंबित कर दिया। Google ने उसको बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) के रूप में माना।

2. पृष्ठभूमि:

- सैन फ्रांसिस्को में एक पिता ने डॉक्टर को भेजने के लिए अपने बेटे के जननांग की तस्वीर ली थी। वे एक Android फोन का उपयोग कर रहे थे। तस्वीर का Google Image खाते में बैकअप कर लिया गया था।
- लेकिन Google के सिस्टम ने इसे CSAM के रूप में फ्लैग किया और उनके खाते का एक्सेस निलंबित कर दिया गया।
- यह पहली बार नहीं है जब Google ने स्वत: फोटो स्कैन करके CSAM का पता लगाया।
- 2020 में, फोर्ब्स ने बताया कि Google द्वारा CSAM के रूप में कुछ कलाकृतियों की पहचान करने के बाद कंसास (Kansas) स्थित एक कलाकार के खिलाफ वारंट जारी किया गया था।
- Google की अपनी पारदर्शिता रिपोर्ट के अनुसार, जून से दिसंबर, 2021 की अवधि के दौरान 3.2 मिलियन से अधिक सामग्री की सूचना दी। साथ ही, इसी अवधि के दौरान 1,40,868 खाते निष्क्रिय (Inactive) कर दिए गए।

3. Google कैसे CSAM को स्कैन करता है?

- सीएसएएम का पता लगाने, हटाने और उनके प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करने के लिए हमारे उपयोगकर्ताओं और गैर-सरकारी संगठनों जैसे तृतीय पक्षों द्वारा सबमिट की गई रिपोर्ट पर भरोसा करने के अतिरिक्त, Google स्वचालित पहचान और मानव समीक्षा पर निर्भर करता है।
- यह मुख्य रूप से CSAM को स्कैन और टैग करने के लिए दो प्रकार की तकनीकों का उपयोग करता है।
- पहली तकनीक हैश मैचिंग है जिसमें यूट्यूब की CSAI (बाल यौन शोषण इमेजरी) मैचिंग तकनीक शामिल है।
- CSAI मैच बाल शोषण के वीडियो से लड़ने के लिए यूट्यूब पर तैनात तकनीक है जो वीडियो में पहले से पहचाने गए बाल यौन शोषण सामग्री के पुन: अपलोड को देख सकता है।
- मूल रूप से, हर बार जब Google संभावित रूप से CSAM के रूप में पहचानी गई किसी छवि का पता लगाता है तो उसे एक हैश या संख्यात्मक मान दिया जाता है और फिर उसका मिलान मौजूदा डेटाबेस से पहले वाले हैश से किया जाता है।
- Microsoft, Facebook, Apple जैसी कंपनियाँ भी इसी तरह की तकनीकों का प्रयोग करती हैं।
- सीएसएएम की खोज करने के लिए Google द्वारा उपयोग की जाने वाली दूसरी तकनीक मशीन लर्निंग टूल है।
- तकनीक इमेज प्रोसेसिंग के लिए मशीन लर्निंग और डीप न्यूरल नेटवर्क पर निर्भर करती है।
- इस तकनीक का लाभ यह है कि हम ऐसी सामग्री ढूंढ सकते हैं जो हैश किए गए डेटाबेस का हिस्सा न हो।

4. इस मामले पर Google की नीति:

- Google के पॉलिसी पेज में प्रतिबंधित सामग्री की सूची का उल्लेख है जिससे आप इसकी सेवाओं तक पहुंच खो सकते हैं।
- चाइल्ड पोर्नोग्राफी की परिभाषा के संबंध में, Google अमेरिकी सरकार द्वारा निर्धारित नीति का उपयोग करता है।
- इसमें किसी नाबालिग (18 वर्ष से कम) की यौन शोषण करने वाली किसी भी छवि को चाइल्ड पोर्नोग्राफी के रूप में परिभाषित किया गया है।

5. पहुंच बहाल करने में देरी:

- सीएसएएम एक गंभीर समस्या बनी हुई है। उपयोगकर्ता की गोपनीयता को संतुलित करना और समस्याग्रस्त सामग्री से स्पष्ट रूप से निपटना आसान नहीं हैं।
- आज की दुनिया में माता-पिता, दादा-दादी अपने बच्चे की प्रत्येक गतिविधि को रिकॉर्ड करने और उसका दस्तावेजीकरण करने की आवश्यकता महसूस करते हैं।
- इससे संभव है कि कुछ ऐसे क्षण रिकॉर्ड और क्लाउड पर अपलोड किए जायें जिन्हें बाद में CSAM के रूप में चिह्नित किया जा सकता हो।
- यह दिखाता है कि हम क्लाउड पर बहुत निर्भर हैं। किसी के Google खाते तक पहुंच खोने का अर्थ फोटो, यादें, मेल आदि तक पहुंच खोना है।
- शायद यह एक संदेश है कि उपयोगकर्ताओं को अपनी कुछ सामग्री ऑफलाइन भी सहेजनी चाहिए क्योंकि वह सबसे खराब स्थिति होती है जब गूगल खाते की एक्सेस छीन ली जाती है।

1. चर्चा में क्यों?

- राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड (एनसीजी) ने भारत में कैंसर देखभाल में सुधार के लिए, डिजिटल तकनीकों और उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल ऑन्कोलॉजी कोइता केंद्र (केसीडीओ) स्थापित किया है।
- टाटा मेमोरियल सेंटर और कोइता फाउंडेशन ने मुंबई में टाटा मेमोरियल अस्पताल में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके इस सहयोग को औपचारिक रूप प्रदान किया।

2. राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड (एनसीजी):

- पूरे भारत में कैंसर केंद्रों को जोड़ने के उद्देश्य से अगस्त 2012 में राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड (एनसीजी) का गठन किया गया था।
- एक छोटी सी पहल जिसमें मूल रूप से 14 कैंसर केंद्र शामिल थे, अब 50 से अधिक कैंसर केंद्रों को शामिल करते हुए तेजी से विकसित हुई है।
- यह विश्व के सबसे बड़े कैंसर नेटवर्कों में से एक है।
- यह भारत सरकार द्वारा परमाणु ऊर्जा विभाग के माध्यम से वित्त-पोषित है।

3. अधिकार-पत्र (Mandate):

- एनसीजी के पास साक्ष्य-आधारित प्रबंधन दिशानिर्देशों को अपनाकर पूरे भारत में कैंसर देखभाल में उन समान मानकों की दिशा में काम करने का प्राथमिक अधिकार है जो इन केंद्रों में लागू करने योग्य हैं।
- इसका उद्देश्य केंद्रों के बीच विशेषज्ञता के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना और कैंसर में सहयोगात्मक अनुसंधान के लिए केंद्रों का एक नेटवर्क बनाना भी है।
- आज पूरे भारत में एनसीजी के अपने नेटवर्क में 270 से अधिक अस्पताल हैं।

4. एनसीजी का महत्त्व:

- कैंसर केयर तेजी से विकसित हो रहा है जिससे दुनिया भर में कैंसर देखभाल को बढ़ाने के लिए डिजिटल उपकरण अपरिहार्य होते जा रहे हैं।
- एनसीजी भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रोगी देखभाल के मानकों में असमानताओं को कम करने का प्रयास करता है।
- प्रशिक्षित मानव संसाधन का सृजन करना एनसीजी का एक महत्त्वपूर्ण अधिदेश है।
- इसमें लक्ष्य के तहत केंद्रों के बीच विशेषज्ञता का आदान-प्रदान करना और सलाह देना शामिल है।
- एनसीजी अनुसंधान नेटवर्क के निर्माण के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करता है जिसका उद्देश्य है: -
  - » बहु-केंद्र आधारित अध्ययनों पर ध्यान केंद्रित करना।
  - » ट्रांसलेशनल और क्लिनिकल कैंसर रिसर्च (भारत में सामान्य या विशिष्ट कैंसर के अध्ययन) पर जोर देना।
- इसका उद्देश्य लागत प्रभावी प्रबंधन रणनीतियों की पहचान करना भी होगा जिन्हें सभी केंद्रों में लागू किया जा सकता है और समाज के सबसे गरीब लोगों के लिए सुलभ हो सकता है।
- एनसीजी भारत में कैंसर नीति को आकार देने के लिए विशिष्ट रूप से तैनात है। भारत में कैंसर देखभाल, शिक्षा और अनुसंधान में अग्रणी संस्थान एनसीजी के सदस्य हैं।
- यह भारत, चीन और रूस में प्रभावी कैंसर नियंत्रण की चुनौतियों पर एक लैंसेट ऑन्कोलॉजी आयोग के लिए प्रमुख योगदान को दर्शाता है।

राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड

5. केसीडीओ की भूमिका:

- यह कैंसर देखभाल की निरंतरता में डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- केसीडीओ एनसीजी अस्पतालों को डिजिटल स्वास्थ्य में सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को साझा करने, डिजिटल स्वास्थ्य उपकरणों और ईएमआर को अपनाने, हेल्थकेयर डेटा इंटर ऑपरेबिलिटी, रिपोर्टिंग और एनालिटिक्स सहित कई सामान्य प्रौद्योगिकी पहलों के संचालन में सहायता करेगा।
- केसीडीओ एनसीजी और एनसीजी अस्पतालों को एआई, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, ऑटोमेशन, क्लाउड और मोबाइल सहित नई तकनीकों को अपनाने में सक्षम बनाएगा।
- टेली-मेडिसिन और दूरस्थ रोगी निगरानी जैसे डिजिटल उपकरणों को अपनाने से (विशेष रूप से अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में) देखभाल को अधिक सुलभ बनाने में मदद मिलेगी।
- इसी तरह यह, अस्पतालों में हेल्थकेयर डेटा एनालिटिक्स का उपयोग नैदानिक परिणामों की ट्रैकिंग और बेंचमार्किंग, विभिन्न उपचार और देखभाल मार्गों की प्रभावशीलता को सक्षम करेगा।
- केसीडीओ कैंसर देखभाल में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए, अकादमिक और अनुसंधान संगठनों के साथ भी भागीदारी में सहायक होगा।

प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2022

1. चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 पेश किया।

यह संशोधन प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव करता है।

2. नए विधेयक का उद्देश्य:

- भारतीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं में वृद्धि और एकाधिकार से निपटने के लिए।
- विलय, अधिग्रहण और गैर-नैतिक बाजार गतिविधियों से निपटने के लिए एक संरचनात्मक ढांचा प्रदान करना।
- इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में ई-कॉमर्स बाजार 2022 तक 21.5% बढ़कर 74.8 बिलियन डॉलर पहुंच जाएगा। इस प्रकार यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स बाजार होगा।
- देश का ई-कॉमर्स बाजार 2030 तक 350 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।

3. संयोजन (Combination) के लिए नए मानदंड:

- कोई भी अधिग्रहण, विलय (Merger) या समागम (Amalgamation) संयोजन हो सकता है।
- विधेयक की धारा-5 में कहा गया है कि विलय, अधिग्रहण या समामेलन में शामिल पक्षों को केवल परिसंपत्ति या 'टर्नओवर' के आधार पर संयोजन के आयोग (Commission of the Combination) को सूचित करने की आवश्यकता है।
- नए विधेयक में सौदा मूल्य (Deal Value) सीमा जोड़ने का प्रस्ताव है।
- 2,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य वाले किसी भी लेनदेन के बारे में आयोग को सूचित करना अनिवार्य होगा।

4. संयोजनों के अनुमोदन की समय सीमा:

- विधेयक में संयोजन के मूल्यांकन की समग्र समय-सीमा को 210 दिनों से घटाकर 150 दिन करके, विस्तार हेतु 30 दिनों की संरक्षिका अवधि (conservatory period) के साथ कम करने का प्रयास करना।

5. भुगतान और प्रतिबद्धता तंत्र:

- विधेयक वर्टिकल एग्रीमेंट और प्रभुत्त्व के दुरुपयोग से संबंधित मामलों में निपटान संबंधी प्रतिबद्धताओं के लिए एक रूपरेखा का प्रस्ताव करता है।
- महानिदेशक द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले सभी पक्ष 'प्रतिबद्धता' के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद और आयोग के निर्णय से पहले निपटान पर विचार किया जाएगा।
- मामले में सभी हितधारकों को सुनने के बाद प्रतिबद्धता या निपटान के संबंध में आयोग के निर्णय के खिलाफ अन्य कही अपील नहीं की जा सकेगी ।

6. महानिदेशक की नियुक्ति:

- अधिनियम केंद्र सरकार को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के लिए एक महानिदेशक नियुक्त करने का अधिकार देता है।
- विधेयक सीसीआई को सरकार के पूर्वानुमोदन से अन्य महानिदेशक की नियुक्ति करने का अधिकार देता है।
- विधेयक अधिनियम की धारा-41 में संशोधन करने का भी प्रयास करता है जो महानिदेशक को विधि के उल्लंघनों से संबंधित मामलों की जांच करने की शक्ति प्रदान करता है।

7. अन्य प्रमुख संशोधन:

- विधेयक में 'लेनिएंसी प्लस (Leniency Plus)' नामक एक प्रावधान आयोग को उस आवेदक को दंड की अतिरिक्त छूट देने की अनुमति देता है जो बाजार में किसी अन्य कार्टेल के अस्तित्व का खुलासा करता है।
- किसी भी गलत जानकारी को दर्ज कराने के लिए पांच करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा और आयोग के निर्देशों का पालन न करने में रु. 10 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा।
- आयोग के आदेश के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) द्वारा सुनवाई के लिए, एक अपील करनें से पहले संबंधित पार्टी को जुर्माना राशि का 25% जमा करना होगा।

8. आगे की राह:

- इन संशोधनों को लागू करने से, आयोग नए युग के बाजार के कुछ महत्त्वपूर्ण पहलुओं को संभालने और कम्पनियों के कामकाज को बेहतर ढंग से नियंत्रित करेगा।
- सरकार को यह भी स्वीकार करने की आवश्यकता है कि बाजार की गतिशीलता लगातार बदलती रहती है। इसलिए कानूनों को नियमित रूप से अपडेट करना आवश्यक है।

1. चर्चा में क्यों?

विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसे ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है।

2. इतिहासः

16 सितंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र और 45 अन्य देशों ने 'ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल' पर हस्ताक्षर किए।

19 दिसंबर, 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया।

3. ओजोन परत के बारे में:

ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों से ग्रह की रक्षा करती है।

ओजोन गैस ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं (O_2+O) से मिलकर बनाती है।

यह एक अत्यधिक क्रियाशील गैस है और इसे O_3 द्वारा दर्शाया जाता है।

यह प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल यानी समताप मंडल में और साथ ही निचले वायुमंडल यानी क्षोभमंडल में मानव निर्मित उत्पाद के रूप में पायी जाती है।

ओजोन परत समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी के वायुमंडल (पृथ्वी से 15-35 किमी के बीच) में मौजूद है और इसमें ओजोन (O_3) की अपेक्षाकृत उच्च सांद्रता है।

स्ट्रैटोस्फेरिक ओजोन प्राकृतिक रूप से आणविक ऑक्सीजन (O_2) के साथ सौर पराबैंगनी (UV) विकिरण के संपर्क के माध्यम से बनता है।

यह पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले हानिकारक यूवी विकिरण को कम करता है।

4. ओजोन क्षरण के कारण:

ओजोन डिप्लीशन और ओजोन छिद्र का मुख्य कारण मानव निर्मित रसायन हैं, विशेष रूप से हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट, सॉल्वैंट्स, प्रणोदक, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी, एचसीएफसी) जैसे फोम-ब्लोइंग एजेंट आदि।

1970 के दशक की शुरुआत से वैज्ञानिकों ने समतापमंडलीय ओजोन में कमी देखी थी। इसमें मुख्यतः ध्रुवीय क्षेत्रों में अधिक कमी पाई गई थी।

ओजोन क्षयकारी पदार्थों का जीवनकाल लगभग 100 वर्षों का होता है।

5. वियना कन्वेंशन:

1985 में अपनाया गया वियना सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का अग्रगामी (Precursor) है।

इसे फ्रेमवर्क कन्वेंशन कहा जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी के ओजोन परत की रक्षा के प्रयासों के लिए एक फ्रेमवर्क के रूप में कार्य करता है।

विश्व ओजोन दिवस

6. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में:

यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ओजोन परत के क्षरण हेतु जिम्मेदार पदार्थों के उत्पादन को कम करके, ओजोन परत की रक्षा करना है।

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विकसित और विकासशील देशों के लिए अलग-अलग समय सारिणी के साथ, चरणबद्ध तरीके से विभिन्न ओजोन क्षयकारी पदार्थों (ओडीएस) की खपत और उत्पादन को कम करने का मानक तय करता है।

भारत 19 जून 1992 को ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक पक्षकार बना था।

भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में सभी संशोधनों की पुष्टि भी की है।

7. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में प्रमुख संशोधनः

लंदन संशोधन (1990): इसने विकसित देशों में 2000 तक और विकासशील देशों में 2010 तक सीएफसी, हैलोन और कार्बन टेट्राक्लोराइड को पूर्ण रूप से समाप्त करने का आह्वान किया।

कोपेनहेगन संशोधन (1992): इसमें विकसित देशों के लिए हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (एचसीएफसी) को पूर्ण रूप से समाप्त करने हेतु निर्धारित चरणों को शामिल किया गया।

मॉन्ट्रियल संशोधन (1997): इसमें विकासशील देशों में एचसीएफसी के पूर्ण रूप से समाप्ति करने को शामिल किया गया था।

बीजिंग संशोधन (1999): इसने एचसीएफसी के उत्पादन और व्यापार पर नियंत्रण को कड़ा कर दिया गया ।

किगाली संशोधन (2016): इसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) के उत्पादन और खपत को कम करने का लक्ष्य रखा गया।

8. विश्व ओजोन दिवस 2022: थीम

ओजोन परत के संरक्षण के लिए विश्व ओजोन दिवस 2022 का विषय है- मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल@35: पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग।

9. ओजोन दिवस का महत्त्वः

विश्व ओजोन दिवस ओजोन परत के ह्रास के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाता है और इसे संरक्षित करने के लिए संभावित समाधान ढूंढता है।

इस दिन दुनिया भर से लोग ओजोन परत पर वार्ता और सेमिनार करते हैं।

मुख्य परीक्षा विशेष

नैतिकता, अखंडता और अभिक्षमता [दर्शन और सामाजिक मनोविज्ञान] नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और शासन में नैतिकता

1. **नैदानिक (Clinical) परीक्षण दवा/वैक्सीन के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लेकिन परीक्षण विषयों के जीवन और कल्याण के लिए भी गंभीर जोखिम होता है। नैदानिक परीक्षणों में शामिल नैतिक मुद्दों की पहचान करें और यह भी चर्चा करें कि नैतिक रूप से रक्षात्मक नैदानिक परीक्षण कैसे किया जा सकता है?**

उत्तर:

नैदानिक परीक्षण मानव शरीर (विषयों) पर नई दवाओं के परीक्षण को संदर्भित करता है ताकि दवाओं की प्रभावकारिता का परीक्षण किया जा सके और उनके दुष्प्रभावों की पहचान की जा सके। यह दवाओं के विकास का सबसे महत्त्वपूर्ण, साथ ही नैतिक रूप से संवेदनशील चरण है क्योंकि इसमें मानव पर परीक्षण किया जाता है जिसकी क्षति अपरिवर्तनीय हो सकती है। नैदानिक परीक्षणों में कई नैतिक मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता होती है और उन्हें उचित दवा विकास के लिए पर्याप्त रूप से समाधान किया जाना चाहिए। जैसे :

1. विषयों, ड्रग डेवलपर और दवाओं के लक्षित उपयोगकर्ताओं के बीच लाभ और जोखिम का उचित वितरण होना चाहिए।
2. परीक्षण के दौर से गुजर रहे व्यक्तियों की स्वतंत्र इच्छा और उचित सहमति होनी चाहिए।
3. बड़ी दवा कंपनियों की प्रवृत्ति अल्प विकसित और विकासशील देशों में वहां के खराब नियमन और भ्रष्टाचार के कारण जानबूझकर परीक्षण करने की होती है।
4. जीवन के अधिकार से संबंधित मामलों में उपयोगितावादी अवधारणाओं को लागू करने की नैतिकता का परीक्षण होना चाहिए।
5. परीक्षण विषयों के लिए पर्याप्त बीमा कवर, मुआवजा और पुनर्वास पैकेज होना चाहिए।
6. दवा विकासकर्ता की ओर से नैदानिक परीक्षणों की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।
7. नैतिकता के न्यूनतम मानदंडों के पालन की बजाय नैतिक और मानवीय मूल्यों का व्यापक पालन सुनिश्चित करने वाले कानूनी उपायों की आवश्यकता है।

नैदानिक परीक्षण करना सामान्य भलाई के लिए आवश्यक बुराई प्रतीत होती है। हालाँकि, उन्हें निश्चित रूप से मानवीय बनाया जा सकता है और निम्नलिखित उपायों के माध्यम से नैतिक रूप से रक्षात्मक बनाया जा सकता है:

1. विषयों का चयन यादृच्छिक (Random) होना चाहिए, न कि केवल गरीब, वंचित और निराश्रित या केवल अल्प विकसित/विकासशील देशों से।
2. परीक्षण विषयों (लोगों) की सहमति होने के साथ-साथ उन्हें पूरी तरह से सूचना भी होनी चाहिए। उन्हें इसमें

शामिल जोखिमों के बारे में पता होना चाहिए।

3. नशीली दवाओं से संबंधित बीमारी, विकलांगता या मृत्यु के मामले में ड्रग डेवलपमेंट कंपनी के पास विषय और उनके आश्रित की भलाई के लिए बिना शर्त आजीवन जिम्मेदारी होनी चाहिए।
4. परीक्षणों की संख्या को कम करने के प्रयास होने चाहिए क्योंकि इसमें मानव जीवन पर जोखिम निहित है। यह नैदानिक परीक्षण डेटा को साझा करने, परीक्षणों की पूलिंग आदि के माध्यम से संभव है।
5. सम्बन्धित व्यक्ति को दिया जाने वाला मुआवजा पर्याप्त होना चाहिए और यदि संभव हो तो विकसित दवा में एक हितधारक बनाया जाना चाहिए। इससे सभी को न्याय सुनिश्चित होगा।

इस प्रकार, उपरोक्त उपायों को अपनाने से न केवल मानव जाति

कोविड -19 जैसी उभरती बीमारियों और महामारियों का सामना करने में सक्षम होगी, बल्कि नैदानिक परीक्षणों की प्रक्रिया का मानवीकरण और लोकतंत्रीकरण भी करेगी। हालांकि इन कदमों से अल्पावधि में दवा विकास की लागत में वृद्धि हो सकती है, लेकिन लंबी अवधि में यह कंपनी के ब्रांड निर्माण में मदद करेगा और इस प्रकार नैदानिक परीक्षणों के लिए स्वयंसेवकों को आकर्षित करना आसान होगा।

2. आर्थिक नुकसान और बुनियादी ढांचे की तबाही के अलावा, रूस-यूक्रेन संघर्ष में घोर मानवाधिकार उल्लंघन हुआ है। इस संदर्भ में 'न्यायसंगत युद्ध' के सिद्धांतों की चर्चा कीजिए।

उत्तर:

पृथ्वी पर अपने उद्भव के बाद से मानव जाति ने कई युद्ध लड़े हैं, इनमें कई छोटे और कुछ बड़े युद्ध भी रहे हैं। उदाहरण के लिए दो विश्व युद्ध हुए जिसमें लगभग पूरा विश्व शामिल था। इन सभी युद्धों से मानव ने जो एक सामान्य सबक सीखा है, वह यह है कि युद्ध में कोई विजेता नहीं होता है। उदाहरण के लिए परमाणु युद्ध में दोनों पक्षों का विनाश सुनिश्चित है।

इस ज्ञान के बावजूद समुदायों और राष्ट्रों के बीच युद्ध आम है। युद्धों का सबसे आम कारण सीमित संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्द्धा, संकीर्ण रूप से परिभाषित राष्ट्रीय हित और वैश्विक व्यवस्था में प्रभुत्व की चाह शामिल है। रूस और यूक्रेन जैसे दो विकसित और सभ्य राष्ट्रों का आपस में लड़ना एक द्वेष की ही अभिव्यक्ति है।

युद्धों में प्राय: निम्नलिखित नैतिक और मानवाधिकार मुद्दे शामिल होते हैं:

1. दोनों पक्षों में महत्त्वपूर्ण मानव जीवन का नुकसान होता है।
2. लोग सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार खो रहे होते हैं।
3. युद्धों की सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं होती हैं। युद्धों के दौरान महिलाओं का अपहरण, गुलामी और बलात्कार किया जाता है।
4. संयम की कमी से युद्ध होता है जो शांति और सद्भाव के लिए खतरा है।
5. महत्त्वपूर्ण संसाधनों को शस्त्रीकरण और सैन्यीकरण की ओर मोड़ना। अन्यथा यह गरीबी, भूख, अशिक्षा आदि को मिटाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था जो मानव जाति के लिए अभिशाप है।
6. युद्ध के दौरान और बाद में बच्चे शिक्षा और स्वस्थ विकास का अधिकार खो देते हैं।

उपरोक्त मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सभी राष्ट्रों को युद्धों से बचने की सलाह दी जाती है। यदि युद्ध अपरिहार्य लगता है तो उसे न्यायसंगत युद्ध कहे जाने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों को पूरा करना चाहिए:

1. सभी अहिंसक विकल्पों के समाप्त हो जाने के बाद ही युद्ध के विकल्प का चयन होना चाहिए क्योंकि एक न्यायपूर्ण युद्ध केवल अंतिम उपाय के रूप में ही छेड़ा जा सकता है।

2. युद्ध को केवल तभी कहा जा सकता है जब वह किसी वैध प्राधिकारी द्वारा छेड़ा गया हो।
3. एक न्यायपूर्ण युद्ध का कारण केवल गलत या पीड़ित का निवारण हो सकता है। उदाहरण के लिए-सशस्त्र हमले के खिलाफ आत्मरक्षा।
4. युद्ध को तभी उचित ठहराया जा सकता है जब जीत की उचित संभावना हो।
5. एक न्यायपूर्ण युद्ध का अंतिम लक्ष्य शांति को फिर से स्थापित करना होना चाहिए।
6. युद्ध के साथ इस्तेमाल की गई हिंसा को हुई चोट (Injury Suffered) के अनुपात में होना चाहिए।
7. युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियारों को लड़ाकों और गैर-लड़ाकों के बीच भेदभाव करना चाहिए।
8. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत सम्मेलनों, जैसे जिनेवा सम्मेलन, युद्ध को विनियमित करने वाले सम्मेलनों का पालन किया जाना चाहिए।
9. युद्ध के दौरान सुलह की संभावना को खुला रखना चाहिए। संघर्षों के संबंध में समुदायों और राष्ट्रों को अशोक महान के आदर्शों को याद रखना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए, हमें ''भेरीघोष'' (युद्ध के ढ़ोल की आवाज) के बजाय ''धम्मघोष'' (शांति की ध्वनि) पर भरोसा करना चाहिए। इसमें अशोक ने युद्ध के बजाय धम्म के माध्यम से विजय पर जोर दिया है।

3. 'सकारात्मक अभिवृत्ति पहाड़ों को हिला सकती है', इस कथन की पुष्टि करें। साथ ही जीवन में सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करने के उपाय भी सुझाएं।

उत्तरः

मनोवृत्ति/अभिवृत्ति लोगों, वस्तुओं, स्थान या घटनाओं के एक वर्ग के प्रति विशेष तरीके से कार्य करने, सोचने और महसूस करने की एक सीखी हुई प्रवृत्ति है। उपरोक्त कथन असंभव प्रतीत होने वाले कार्यों को भी पूरा करने के लिए, जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करता है।

सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति का मानना होता है कि सबसे खराब स्थिति में भी कुछ सकारात्मक हो सकता है। उनके लिए संकट की हर स्थिति एक अवसर प्रदान करती है। उदाहरण के लिए - कोविड - 19 महामारी के दौरान कई लोगों को अपना व्यवसाय बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भी सकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति दृढ़ रहा और व्यवसाय को चालू रखने के लिए मास्क, पीपीई किट आदि बनाने जैसे अन्य रास्ते तलाशे।

कोई भी परिवर्तन सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वालों के लिए विकास का एक संकेत है। जैसे कि वे अपने पर्यावरण में किसी भी बदलाव से कभी भी डरते या परेशान नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए एक आशावादी छात्र के लिए पाठ्यक्रम में कोई भी बदलाव उसे नई चीजें सीखने और इस तरह आगे बढ़ने का मौका देता है। सकारात्मक दृष्टिकोण द्वारा होने वाले अन्य लाभ हैं:

1. उत्पादकता बढ़ाता है क्योंकि व्यक्ति की सकारात्मक अभिवृत्ति वस्तु में अधिक रुचि को प्रेरित करती है।
2. एक नेता के रूप में स्वीकृति प्राप्त करने में मदद करता है और इस प्रकार महत्त्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए टीम के प्रयास को जुटाने में मदद करता है। जैसे - खेल के प्रति एमएस धोनी के सकारात्मक रवैये ने उन्हें सम्मान हासिल करने में मदद की।
3. सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्ति को लक्ष्य पर केंद्रित रहने में मदद करता है और इस प्रकार उसकी उपलब्धि के लिए विचारों और दृष्टिकोण के लिए खुला रहता है।
4. सकारात्मक दृष्टिकोण किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए निरंतर प्रेरणा के स्रोत के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के लिए-एक महत्त्वाकांक्षी सिविल सेवक सेवाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण बार-बार असफल होने के बाद भी प्रेरित रहता है।
5. यह केवल सकारात्मक दृष्टिकोण है जो कार्य के मार्ग में लगातार बाधाओं और तनाव को दूर करने में मदद करता है। यह सब एक सिविल सेवक के लिए सामान्य है।

सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के तरीके हैं:

1. जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण विकसित करें।
2. महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, स्वामी विवेकानंद आदि महान नेताओं की जीवनियां और आत्मकथाएँ पढ़ना।
3. सकारात्मक आत्म-चर्चा और सकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों के साथ बातचीत।
4. पूर्वाग्रहों को दूर करना और दृष्टिकोण के संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारिक घटक में सामंजस्य लाना।

इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामान्य रूप से और विशेष रूप से सिविल सेवा में सफलता प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण होना आवश्यक है क्योंकि उन्हें प्रायः सीमित संसाधनों और बहुत सारी बाधाओं के साथ महामारी के सुरक्षित प्रबंधन जैसे विशाल कार्य को पूरा करने की आवश्यकता होती है।

4. अभिवृत्ति और अभिक्षमता के बीच क्या अंतर है? क्या सिविल सेवक में अभिवृत्ति और अभिक्षमता दोनों का होना पूर्व-आवश्यकता है?

उत्तर :

किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में अभिक्षमता और सकारात्मक अभिवृत्ति दोनों होनी चाहिए। हालाँकि, वे समाज को कैसे प्रभावित करते हैं, इसके कारण वे सिविल सेवा में अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं? इसके बावजूद, अभिक्षमता और अभिवृत्ति के बीच कुछ महत्त्वपूर्ण अंतर हैं।

अभिवृत्ति और अभिक्षमता के बीच अंतरः

- अभिक्षमता किसी व्यक्ति की कुछ सीखने की स्वाभाविक क्षमता है जबकि अभिवृत्ति किसी व्यक्ति की भावनाओं, विचारों या किसी चीज के बारे में दृष्टिकोण है।
- अभिक्षमता किसी व्यक्ति की एक नया कौशल या क्षमता हासिल करने की क्षमता को मापती है। दूसरी ओर मनोवृत्ति किसी विशेष मुद्दे या व्यक्ति के बारे में किसी का मानसिक दृष्टिकोण है।
- अभिक्षमता जहां प्रतिभा से संबंधित है वहीं अभिवृत्ति चरित्र और व्यक्तित्व से संबंधित है।
- अभिक्षमता मानसिक या शारीरिक हो सकती है जबकि अभिवृत्तियाँ मानसिक होती हैं।

क्या सिविल सेवक के लिए अभिवृत्ति और अभिक्षमता दोनों का होना पूर्व-आवश्यकता है?

- एक सिविल सेवक के लिए इन दोनों गुणों अर्थात अभिक्षमता और अभिवृत्ति का समान महत्त्व है क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्तित्व के विकास में साथ-साथ चलते हैं जो सेवा की भावना पैदा करता है।
- एक सिविल सेवक के अपने कार्यकाल के दौरान राजनीतिक दबाव, विद्रोह प्रभावित क्षेत्र में पोस्टिंग आदि

जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण और बौद्धिक, भावनात्मक और नैतिक योग्यता के संयोजन के साथ चुनौतियों का सामना करने में एक सही प्रकार के दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।

- प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के साथ नए लोक प्रशासन के गतिशील क्षेत्र में न केवल स्वयं को बदलते परिवेश के अनुकूल बनाने के लिए एक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, बल्कि सबसे कुशल तरीके से अपना काम करने के लिए जल्दी से सीखने की योग्यता भी है।
- लोक सेवा में, एक सिविल सेवक विभिन्न प्रकार के हितधारकों (वरिष्ठ, राजनेता, अधीनस्थ, आदि) के साथ अलग-अलग स्वभाव में व्यवहार करता है। यहां, लचीलेपन, धैर्य, दृढ़ता जैसे व्यवहार संबंधी गुण उतने ही महत्त्वपूर्ण हैं जितने कि योग्यता से संबंधित गुण जैसे फोकस, विवेक और कर्त्तव्य के कुशल निर्वहन के लिए बातचीत की क्षमता।
- भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में जहां सामाजिक और धार्मिक तनाव एवं टकराव बहुत अधिक हैं वहां सकारात्मक अभिवृत्ति अत्यंत आवश्यक है।
- भारत जैसे विविध देश में, एक सिविल सेवक को न केवल सहिष्णुता के दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है बल्कि शांति और व्यवस्था स्थापित करने के लिए नेतृत्व और अनुनय के कौशल की भी आवश्यकता होती है।

अभिक्षमता और अभिवृत्ति प्रायः एक दूसरे को सुदृढ़ करते हैं। एक की कमी वाला व्यक्ति अक्सर दूसरे के पूरक के लिए प्रेरित होता है। लोक कल्याण के अपने जनादेश को पूरा करने के लिए एक सिविल सेवक को इन दोनों महत्त्वपूर्ण मापदंडों पर उच्च होना चाहिए।

5. डिजिटल मीडिया व्यक्तियों को विभिन्न माध्यमों से सक्षम कर रहा है और ज्ञान के लोकतंत्रीकरण को तेज कर रहा है। हालांकि, हाइपरकनेक्टिविटी में सामाजिक संपर्क के पैटर्न को बदलने की क्षमता है। उपरोक्त कथन के आलोक में व्यक्ति के नैतिक व्यवहार पर डिजिटल मीडिया के प्रभाव का समालोचनात्मक विश्लेषण करें।

उत्तरः

डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म ने ज्ञान साझा करने के साथ-साथ सामाजिक संपर्क के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है। संपर्क रहित पहुंच, गुमनामी, बड़ी मात्रा में डेटा साझा करने की उच्च गति के कारण, दूरी, वर्ग, जाति और लिंग संबंधी बाधाओं और ज्ञान तक पहुंच जैसी बाधाओं को काफी हद तक सीमित कर दिया है।

व्यक्ति के नैतिक व्यवहार पर डिजिटल मीडिया के अच्छे प्रभाव हैं:

1. बढ़ती जागरूकता के कारण लिंग अधिकार, यौन अभिविन्यास, जातिगत भेदभाव आदि जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों के प्रति लोगों की संवेदनशीलता में वृद्धि हुई है।
2. मूल्यों के वैश्विक प्रसार के कारण एक पारंपरिक समाज में उदार दृष्टिकोण का विकास होता है। उदाहरण के लिए-भारतीय समाज में समान लिंग संबंधों की स्वीकृति।
3. डिजिटल मीडिया ने पूर्वाग्रहों को कम करने के लिए संचार चैनल स्थापित करने में मदद की है। उदाहरण के लिए-अफ्रीकी लोगों, उत्तर-पूर्व के लोगों के प्रति पूर्वाग्रहों में कमी आयी है।
4. डिजिटल मीडिया ने क्राउड फंडिंग जैसी नई पहलों को सक्षम और सुगम बनाया है जिससे दयालु और परोपकारी व्यवहार को बढ़ावा मिला है।
5. ''मी टू'' जैसे डिजिटल अभियानों ने महिलाओं को न्याय पाने और समाज की बुराइयों का सामना करने के लिए आवाज और साहस दिया।

नैतिक व्यवहार पर डिजिटल मीडिया के प्रतिकूल परिणाम हैं:

1. व्यक्तिगत गोपनीयता के प्रति सम्मान में कमी, पीछा करने, चोरी करने और संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी के रिसाव के कई मामले आए हैं।
2. स्क्रीन टाइम बढ़ने से हमारे आसपास की वास्तविक दुनिया में बुजुर्गों और अन्य जरूरतमंद लोगों की देखभाल में कमी आई है।
3. बंद कक्ष (क्लोज्ड चैंबर) जैसे विकल्प और फीड की एआई आधारित सुझाव ने सांप्रदायिकता, घृणा, कुप्रथा आदि जैसी भावनाओं को और भी तेज कर दिया है।
4. आयु-अनुचित सामग्री तक अनियंत्रित पहुंच व्यक्ति के साथ-साथ सामाजिक नैतिक ताने-बाने के लिए खतरा है।
5. फेक न्यूज, पेड न्यूज आदि लोगों को अनैतिक व्यवहारों के लिए गुमराह कर रहे हैं।
6. डिजिटल मीडिया के माध्यम से फैली नफरत के कारण भाईचारे और सद्भाव की भावना कम हुई है।

डिजिटल मीडिया व्यक्तियों की नैतिक क्षमता के लिए मिश्रित अवसर प्रदान करता है। बुद्धिजीवियों द्वारा प्रौद्योगिकी को हमेशा से दो धारी तलवार के रूप में वर्णित किया गया है। इसलिए समाज और सरकार का प्रयास डिजिटल मीडिया का नियमन होना चाहिए। यह पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ-साथ डिजिटल मीडिया के विकास की सुविधा प्रदान करेगा।

6. निम्न के बीच अंतर स्पष्ट करें (i) अनुनय (Persuasion) और सामाजिक प्रभाव (ii) सुशासन और नैतिक शासन।

उत्तर:

अनुनय और सामाजिक प्रभाव :

सामाजिक प्रभाव:

- इसे व्यक्ति के व्यवहार, विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण में परिवर्तन के रूप में वर्णित किया जाता है जो समाज में किसी अन्य व्यक्ति के साथ बातचीत के परिणामस्वरूप होता है। यह जानबूझकर या अनजाने में हो सकता है।
- कई मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सामाजिक प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने दृष्टिकोण और व्यवहार में वास्तविक परिवर्तन, दूसरों के साथ संचार के परिणाम-स्वरूप करते हैं जिन्हें समान, वांछनीय या विशेष माना जाता है।
- लोग अपने विचारों को दूसरों के संबंध में समायोजित करते

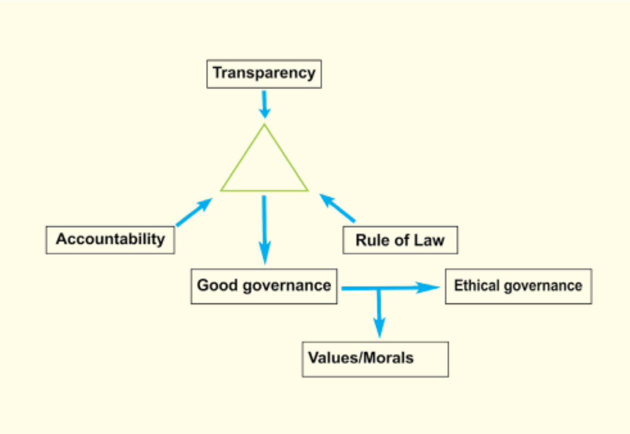

हैं जिनके साथ वे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार समान महसूस करते हैं।

अनुनय:

- अनुनय एक प्रतीकात्मक प्रक्रिया है जिसमें संचारक दूसरों के दृष्टिकोण या व्यवहार को बदलने के लिए संदेश के प्रसारण के माध्यम से अन्य लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं।
- अत: अनुनय, मनोवृत्ति पर सामाजिक प्रभाव का एक रूप है। वास्तव में यह सामाजिक सोच और रोजमर्रा की जिंदगी के सामाजिक प्रभाव के प्रतिच्छेदन का प्रतिनिधित्व करता है।
- इसमें दूसरों को प्रभावित करने का प्रयास शामिल है।

सामाजिक प्रभाव वह तरीका है जिससे बाहरी कारक किसी व्यक्ति में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। यह उस तरीके का मार्गदर्शन करता है जिस तरह से व्यक्ति अपने विचारों को बनाता है और कार्यों को व्यवस्थित करता है। अनुनय के साथ-साथ यह व्यक्तियों के नैतिक मूल्यों को निर्धारित कर नये परिणाम सुनिश्चित करता है।

सुशासन और नैतिक शासन:

सुशासन का तात्पर्य है -

- सामान्य अर्थों में इसका तात्पर्य सभी स्तरों पर उत्तरदायी, जवाबदेह, टिकाऊ और कुशल प्रशासन देने से है।
- पारदर्शिता, जवाबदेही, कानून का शासन और नागरिक सहभागिता एवं सशक्तिकरण सुशासन की मूल बातें हैं।
- इसके विभिन्न लाभ होंगे, उदाहरण के लिए- पीडीएस जैसी सेवाओं का वितरण त्वरित, बिचौलियों से रहित और न्यूनतम लागत पर सबसे अधिक वंचित लोगों तक पहुंच सकेगा।

जबकि, 'नैतिक शासन' की अवधारणा मूल्यों से निर्धारित है। इसका अर्थ है-

- प्रशासनिक प्रक्रियाएं और नीतियां सार्वजनिक मामलों के नैतिक संचालन के मानदंडों को पूरा करेंगी।
- नैतिक शासन के लिए कई दृष्टिकोण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए: उपयोगितावादी दृष्टिकोण (बेंथम का दृष्टिकोण) जिसे अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की अवधारणा के रूप में प्रयोग किया जाता है।
- गुड गवर्नेंस और एथिकल गवर्नेंस दोनों को एक दूसरे पर निर्भर है अर्थात बिना एथिकल गवर्नेंस के गुड गवर्नेंस नहीं हो सकता।

अनुनय और सामाजिक प्रभाव किसी के व्यवहार के निर्माण के लिए महत्त्वपूर्ण उपकरण हैं। एक अच्छी और नैतिक सरकार नागरिकों के नैतिक व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए अनुनय का उपयोग कर सकती है।

7. हाल ही में दो वरिष्ठ सिविल सेवकों द्वारा शाम को अपने कुत्ते के साथ जॉगिंग के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम का उपयोग करने की सूचना मिली थी जहां उन्होंने अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों को बाहर कर दिया था। इस संदर्भ में, किन्हीं चार सिविल सेवा मूल्यों की चर्चा कीजिए जिनकी उनमें कमी थी?

उत्तर:

एक सिविल सेवक समाज के हर वर्ग की सेवा करता है। कार्यालय में रहते हुए उन्हें जो शक्ति और अधिकार मिलता है, उसका उपयोग लोगों के कल्याण के लिए किया जाना अपेक्षित है। हालाँकि, हम प्राय: समाज की हानि के लिए उन शक्तियों के घोर दुरुपयोग को देखते हैं। उपरोक्त प्रश्न में भी ऐसी ही स्थिति है। ऐसी स्थिति को ठीक करने के लिए, हमें सिविल सेवकों में कुछ मूल्यों को विकसित करने की आवश्यकता है। जैसे:

1. **नि:स्वार्थता:** इसका अर्थ है कि सार्वजनिक पद धारक को केवल जनहित में कार्य करना चाहिए। भगवद गीता

में भी इसका उल्लेख है – ''कर्मन्ये वाधिकारस्ते मा फलेशु कदाचन'' जिसका अर्थ है कि हमें फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करते रहना चाहिए। ऐसा दृष्टिकोण उत्तरदायी और सहानुभूतिपूर्ण सिविल सेवक को जन्म देगा। नि:स्वार्थ सेवा से लोगों और समाज विशेषकर दलितों का कल्याण होगा।

2. **जवाबदेही:** इसका तात्पर्य यह है कि सार्वजनिक पद का धारक अपने निर्णयों और कार्यों के लिए जनता के प्रति जवाबदेह होता है और इसे सुनिश्चित करने के लिए उसे खुद को आवश्यक जांच के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। जवाबदेही विफलताओं के कारण अनुपस्थिति, अक्षमता और भ्रष्टाचार हर उस मुख्य सेवा की विशेषता है जो राज्य अपने नागरिकों को देने के लिए बाध्य है। जवाबदेही की कमी शक्ति के अनियंत्रित उपयोग की दिशा में पहला कदम है और यह भ्रष्टाचार का आधार है।
3. **वस्तुनिष्ठता:** इसका तात्पर्य है कि सार्वजनिक पद के धारक को बिना किसी भेदभाव या पूर्वाग्रह के निष्पक्ष और योग्यता के आधार पर कार्य करना तथा निर्णय लेना चाहिए। एक वस्तुनिष्ठ व्यक्ति तथ्यों के आधार पर स्थिति का आकलन करता है और इससे लिया गया निर्णय प्राय: सामान्य भलाई के लिए काम होता है। कई खिलाड़ियों को मैदान में प्रशिक्षण से केवल इस लिए हटा दिया गया कि सिविल सेवक अपने कुत्ते को टहलाना चाहते थे। यह सिविल सेवक में निष्पक्षता की स्पष्ट कमी को दर्शाता है।
4. **सत्यनिष्ठा :** सत्यनिष्ठा भरोसेमंद होने और उच्च नैतिक मानकों को रखने का गुण है। विवेक, विचार, मूल्य, शब्द और कर्म की संगति इसी में निहित है। एक लोक सेवक को अपने विवेक के अनुसार कार्य करना चाहिए और सभी परिस्थितियों में अपनी सत्यनिष्ठा बनाए रखनी चाहिए। निजी लाभ के लिए सार्वजनिक संसाधन का उपयोग करने का तात्पर्य सिविल सेवक की ओर से सत्यनिष्ठा की कमी है। लोक सेवक बड़े पैमाने पर जनता की सेवा करने के लिए हैं। इसलिए उनके कार्यों, भाषण और विचारों को इसी उद्देश्य से जोड़ा जाना चाहिए।

जब किसी व्यक्ति को कोई अधिकार मिल जाता है, तो उसके दुरुपयोग की संभावना रहती है। अगर जवाबदेही तय न की जाए तो सत्ता भ्रष्ट कर देती है और पूर्ण सत्ता पूर्णत: भ्रष्ट कर देती है। इसलिए, संयम बनाए रखने की आवश्यकता महत्त्वपूर्ण हो जाती है। इस संबंध में सिविल सेवक के लंबे करियर के दौरान सही मूल्यों का समावेश समाज के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

8. **यह प्राय: कहा जाता है कि नागरिक चार्टर सार्वजनिक सेवा वितरण के मांग पक्ष को मजबूत करने में मदद करता है, उपयुक्त उदाहरण देकर समझाइए। एक आदर्श नागरिक चार्टर की विशेषताओं को भी सूचीबद्ध करें।**

उत्तर:

नागरिक चार्टर सरकारी एजेंसी द्वारा नागरिकों को प्रदान की जा रही सेवाओं के संबंध में की गई प्रतिबद्धताओं का एक दस्तावेज है। यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन मेजर ने नागरिक चार्टर योजना की शुरुआत करते हुए कहा था कि इस योजना का उद्देश्य नागरिक को सशक्त बनाकर सार्वजनिक सेवा वितरण के मांग पक्ष को मजबूत करना है। सार्वजनिक सेवा वितरण में प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता प्राय: बहुत खराब होती है और मुख्य कारणों में से एक नागरिकों के साथ केवल लाभार्थी के रूप में व्यवहार करना है। नागरिक चार्टर इस विसंगति को खत्म करने और नागरिकों को निम्नलिखित तरीकों से सशक्त बनाने का प्रयास करता है:

- सेवा वितरण के लिए अधिकार-आधारित दृष्टिकोण पेश करके, यह नागरिक को निष्क्रिय लाभार्थी से सेवा के सक्रिय उपभोक्ता में बदल देता है।
- यह सेवा की तुलना में समयसीमा और गुणवत्ता का पूरा विवरण प्रदान करने की परिकल्पना करता है और इसलिए नागरिक किसी भी बदलाव के लिए स्पष्टीकरण और मुआवजे की मांग कर सकते हैं।
- फीडबैक तंत्र सेवा वितरण में मांग पक्ष की अपेक्षा को समायोजित करने में सक्षम बनाता है। इस प्रकार इसकी गुणवत्ता में सुधार होता है।
- यह सार्वजनिक सेवा के एक जिम्मेदार उपभोक्ता के कर्त्तव्यों को भी सूचीबद्ध करता है ताकि भविष्य में एजेंसी यह बहाना न बना सके कि नागरिक ने अपनी प्रतिबद्धता को पूरा नहीं किया है।
- एक सक्रिय उपभोक्ता के रूप में नागरिक मांग करना जारी रख सकते हैं और इस प्रकार सरकारी एजेंसियों को सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मजबूर कर सकते हैं।
- नागरिक चार्टर का उद्देश्य सार्वजनिक सेवा वितरण में जवाबदेही, समयबद्धता को बढ़ावा देना है।

एक आदर्श नागरिक चार्टर की विशेषताएं हैं:-

1. सहभागी तरीके से तैयार किया गया यह, केवल एक ऊपर से नीचे का प्रबंधकीय चार्टर नहीं है।

2. सेवाओं की स्पष्ट समय-सीमा होनी चाहिए। उदाहरण के लिए-कई चार्टर 'जल्द से जल्द' का उल्लेख करते हैं, यह अस्पष्ट है।
3. नागरिकों की अपेक्षाओं के अनुकूल होने के लिए चार्टर को नियमित रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए।
4. यह मॉडल चार्टर की प्रति नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक एजेंसी को अपना अलग चार्टर तैयार करना होगा। उदाहरण के लिए - युवा और खेल मामलों के मंत्रालय

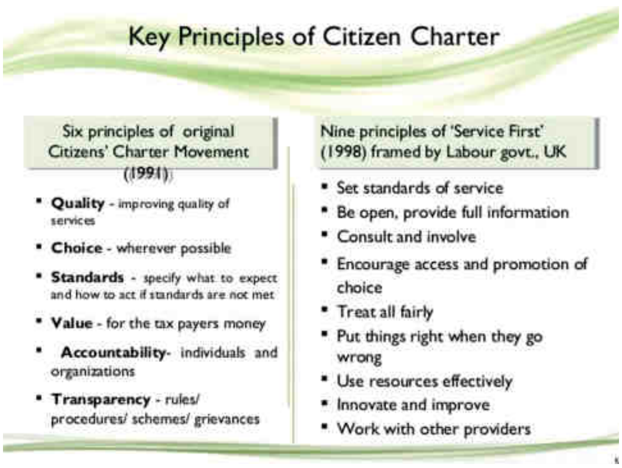

Key Principles of Citizen Charter

Six principles of original Citizens' Charter Movement (1991)	Nine principles of 'Service First' (1998) framed by Labour govt., UK
• **Quality** - improving quality of services • **Choice** - wherever possible • **Standards** - specify what to expect and how to act if standards are not met • **Value** - for the tax payers money • **Accountability**- individuals and organizations • **Transparency** - rules/ procedures/ schemes/ grievances	• Set standards of service • Be open, provide full information • Consult and involve • Encourage access and promotion of choice • Treat all fairly • Put things right when they go wrong • Use resources effectively • Innovate and improve • Work with other providers

ने डीएआरपीजी द्वारा प्रस्तावित मॉडल चार्टर की नकल की है।
5. किसी भी विचलन या अक्षमता को ठीक करने के लिए आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए।
6. यदि संभव हो तो नागरिक चार्टरों को कानूनी समर्थन दिया जाना चाहिए ताकि सभी संगठनों में अनिवार्य चार्टर हो।
7. इसके साथ ही एजेंसी को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वोत्तम चार्टर का मूल्यांकन करने और पुरस्कृत करने के लिए कुछ तंत्र होना चाहिए।

अत: प्रत्येक सरकारी संगठन में एक अद्यतन और उत्तरदायी नागरिक चार्टर होने से सार्वजनिक सेवा वितरण की गुणवत्ता में सुधार, कार्य संस्कृति में सुधार और प्रशासन में सार्वजनिक सेवा के प्रति जवाबदेही और प्रतिबद्धता के मूल्यों को स्थापित करने में काफी मदद मिल सकती है।

9. भारत सरकार ने मिशन कर्मयोगी - सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है। सिविल सेवा के किन्हीं पांच मूल्यों की चर्चा कीजिए जिन्हें इसके द्वारा बढ़ावा दिया जाएगा?

उत्तर:

मिशन कर्मयोगी सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण की नींव रखने के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है ताकि वे विश्व की सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखते हुए भारतीय संस्कृति को बनाए रखें और बेहतर करे।

कर्मयोगी द्वारा पांच सिविल सेवा मूल्यों को बढ़ावा और मजबूत किया गया है:

1. **जवाबदेही:** इसका उद्देश्य वास्तविक समय मूल्यांकन और शासन में प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से जवाबदेह तंत्र बनाना है। यह एक अधिकारी को अपने पेशेवर ज्ञान को सीखने की यात्रा का प्रभार स्वयं लेने के लिए उपकरणों के साथ सशक्त करता है जिससे

अधिकारियों को अपने स्वयं के कैरियर प्रोफाइल के लिए जवाबदेह बनाया जा सकेगा।
2. **नागरिक केंद्रितता:** इसका उद्देश्य नागरिकों और सरकार के बीच की खाई को कम करना है। सिविल सेवक व्यवहारिक दक्षताओं के विकास के साथ-साथ लक्ष्य से प्रेरित होंगे। यह सिविल सेवकों को नागरिकों की मांगों और जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाएगा।
3. **सत्यनिष्ठा:** मिशन कर्मयोगी सिविल सेवक को आचरण और व्यवहार का एक बहुत ही उच्च स्तर बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि वह लोगों का विश्वास अर्जित करे और अपने साथियों और अधीनस्थों द्वारा उसका अनुकरण किया जाए।
4. **दक्षता और प्रभावशीलता:** इसका उद्देश्य सिविल सेवा को उद्देश्य के लिए उपयुक्त और भविष्य के लिए उपयुक्त बनाना है। इसके लिए सक्षमता संचालित दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है।
5. **पारदर्शिता:** इसका उद्देश्य एक पारदर्शी सिविल सेवा लाना है। बहु-प्रौद्योगिकी का उपयोग पारदर्शी शासन लाने में मदद करेगा।

सिविल सेवक शासन की रीढ़ हैं इसलिए उनके कामकाज का नागरिकों के कल्याण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। मिशन कर्मयोगी सिविल सेवक को अधिक कुशल, प्रभावी, जवाबदेह और नागरिक की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी बनाने में मदद करेगा क्योंकि बेहतर शासन प्राप्त करने में सिविल सेवाओं की क्षमता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

10. भारत में सार्वजनिक खरीद, सार्वजनिक या सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजना वित्त पोषण में आमतौर पर रिसाव और अनियमितताएं देखी जाती हैं। सार्वजनिक धन के उपयोग में इसे नियंत्रित करना न केवल एक प्रशासनिक मुद्दा है बल्कि इसमें कई नैतिक मुद्दे भी शामिल हैं। सोदाहरण स्पष्ट करें।

उत्तर:

सार्वजनिक परियोजनाओं, सरकारी योजनाओं और नीतियों की सफलता आवंटित निधि के कुशल और प्रभावी उपयोग पर निर्भर करती है। इस प्रकार योजनाओं, खरीद और पीपीपी परियोजनाओं से संबंधित निधि विनियोग और उपयोग में अत्यधिक ईमानदारी सुनिश्चित करना सिविल सेवकों का कर्तव्य है। यह इसलिए और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पीपीपी परियोजनाओं और सार्वजनिक खरीद में उच्चतम स्तर के भ्रष्टाचार की सूचना मिलती है।

सार्वजनिक निधियों के उपयोग में प्रशासनिक मुद्दे:-

- यह सुनिश्चित करना कि उपयोग की गई धनराशि इस उद्देश्य के लिए आवंटित धन से मेल खाती है।
- विभिन्न मदों के अंतर्गत निधि के उपयोग की विस्तृत एवं सटीक रिपोर्ट तैयार करना।
- कोषागार से निधियों का उपयोग करते समय संवैधानिक प्रावधानों और सेवा नियमों का पालन करना।
- खरीदे जाने वाले माल की बेहतर कीमत और परियोजनाओं की लागत अनुमान के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष बोली (बिडिंग) सुनिश्चित करना।

उचित धन उपयोग में शामिल नैतिक मुद्दे:

- सार्वजनिक धन का कोई भी रिसाव या दुरुपयोग भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है।
- सार्वजनिक खरीद के साथ-साथ निजी बोली लगाने वालों को ठेके देने में पारदर्शिता सुनिश्चित करना सरकार का नैतिक कर्त्तव्य है।
- उचित निधि उपयोग के लिए संबंधित प्राधिकारी की पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता होती है।
- सार्वजनिक निधि की हेराफेरी भारत के नागरिकों के साथ धोखाधड़ी है क्योंकि उन्होंने सरकार को निधि सौंपी है जो एक निष्पक्ष और ईमानदार संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक है।
- लीकेज या हेराफेरी का हर कार्य पीपीपी परियोजना की गुणवत्ता से एक समझौता होगा। यह सार्वजनिक सेवा वितरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
- चूंकि भ्रष्टाचार लत लगने और संक्रामक प्रकृति का है, इसलिए इस तरह की अनियमितताओं का कई गुना प्रभाव होने की संभावना है। इससे निधि के दुरुपयोग होने और कार्य संस्कृति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- इस तरह की घटना काले धन की उत्पत्ति, राजनेताओं-कॉर्पोरेट-नौकरशाहों आदि के गठजोड़ के लिए भी जिम्मेदार है।
- यह फंड के उपयोग में अपेक्षित पारदर्शिता और जवाबदेही की संस्कृति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कोष और उसके उपयोग को बहुत महत्त्व दिया है। उन्होंने फंड के उपयोग में किसी भी तरह की अनियमितता के लिए सख्त दंड और सजा का भी प्रावधान किया है। उन्होंने लोगों के कल्याण और राज्य की समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए खजाने के उचित और कुशल उपयोग के महत्त्व पर प्रकाश डाला है। वर्तमान में भी इसे अपनाया जाना चाहिए।

11. एक मजबूत कार्य संस्कृति सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है। सार्वजनिक संगठन में मजबूत और सकारात्मक कार्य संस्कृति के महत्त्व पर चर्चा करें। सकारात्मक कार्य संस्कृति बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाए गए कुछ उपायों को भी सूचीबद्ध करें।

उत्तर:

कार्य संस्कृति संगठन के नेतृत्त्व, मूल्यों, परंपराओं, विश्वासों, अंत:क्रियाओं, व्यवहारों और दृष्टिकोणों का मिश्रण है जो कार्यस्थल के भावनात्मक और संबंधपरक वातावरण में योगदान करते हैं।

यह कार्य संस्कृति तय करती है कि कर्मचारी एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं और एक संगठन कैसे कार्य करता है?

सार्वजनिक संगठन में मजबूत और सकारात्मक कार्य संस्कृति का महत्त्व:

- यह एक संगठन में पारदर्शिता, नवाचार और अनुशासन को बढ़ावा देगा ।
- संचार को बढ़ावा देकर काम के दौरान व्यक्तियों/टीम के बीच संघर्ष को कम करने में मदद करेगा ।
- यह व्यक्तियों और टीमों को स्व-संगठित बनने में

सक्षम करेगा जो बदले में गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करेगा।

- यह अच्छी कार्य संस्कृति (साथियों का सम्मान, कड़ी मेहनत की मान्यता और नए विचारों को लाने की स्वतंत्रता) को बढ़ावा देगा। यह संगठन की दीर्घकालिक संभावनाओं को साकारित करने में मदद करेगा।
- यह कर्मचारियों को बेहतर ढंग से समझने की अनुमति देगा कि उनसे क्या अपेक्षा की जाती है और वे अपने पेशेवर लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
- यह खुलेपन को भी बढ़ावा देगा और कर्मचारियों को अपनी राय देने और उन मूल्यों का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा जिनमें वे विश्वास करते हैं।

सकारात्मक कार्य संस्कृति को लागू करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपाय:

- **मिशन कर्मयोगी-** सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण की नींव रखना।
- **सूचना का अधिकार अधिनियम-** नागरिकों के सूचना के अधिकार के संबंध में नियमों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है।
- **ई-गवर्नेंस-** शासन की दक्षता व पहुँच बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न स्तरों पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (आईसीटी) का उपयोग।

भारत में लोक प्रशासन को अत्यधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लोक प्रशासन या सरकारी कार्यालयों में नैतिक मूल्यों से भरपूर सकारात्मक कार्य संस्कृति का विकास सभी चुनौतियों का समाधान करने के लिए महत्त्वपूर्ण है।

12. ''राष्ट्रवाद शांति का सबसे बड़ा दुश्मन है''। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? वैश्विक शांति और सद्भाव के साथ ''राष्ट्रीय हित'' को सम्मिलित करने के तरीके सुझाएं।

उत्तर:

20वीं सदी के पहले भाग के एक लोकप्रिय अंग्रेजी उपन्यासकार जॉर्ज ऑरवेल ने राष्ट्रवाद से उत्पन्न होने वाले खतरों से दुनिया को सावधान करने के लिए उपरोक्त कथन कहा था। उस समय के राष्ट्रवाद और भाषावाद की संबद्ध घटनाओं के कारण राष्ट्र एक-दूसरे के बीच तीव्र प्रतिद्वंद्विता में लिप्त थे।

यह सच प्रतीत होता है कि देशभक्ति के संबंधित विचार के विपरीत समझा जाने पर राष्ट्रवाद शांति का सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। राष्ट्रवाद एक भावना है कि अपना देश दूसरे से हर तरह से श्रेष्ठ है। जबकि देशभक्ति जीवन के एक तरीके के रूप में देश के प्रति प्रेम व प्रशंसा की भावना मात्र है।

राष्ट्रवाद दूसरों के साथ प्रतिद्वंद्विता की भावना और दूसरों के प्रति अनादर और असहिष्णुता की ओर ले जाता है जिसे राष्ट्रवादी ''अधीनस्थ'' मानते हैं। जबकि देशभक्ति सहानुभूति पर आधारित है और अपने राष्ट्र के प्रति एक मूल्य प्रणाली को महत्त्व देती है। सीधे शब्दों में कहें तो एक देशभक्त अपने लोगों से प्यार करता है, साथ ही दूसरों का सम्मान करता है, विविधता का सम्मान करता है जबकि एक राष्ट्रवादी अपने से इतना प्यार करता है कि वह दूसरों के बारे में सोच भी नहीं सकता।

देशभक्ति के विपरीत राष्ट्रवाद थोड़ा आक्रामक हो सकता है। कभी-कभी राष्ट्रवाद प्रतिद्वंद्विता और आक्रोश में निहित होता है। तब यह प्रकृति में उग्रवादी प्रतीत होता है।

हालांकि, इन बातों के बावजूद राष्ट्रवाद अपने आप में गलत नहीं है बल्कि अच्छा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राष्ट्रवाद हम सभी को अपने मतभेदों को दूर करने और बंधुत्व के एक साझा बंधन को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह राष्ट्र की अधिक भलाई के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक प्रतिद्वंद्विता को समाहित करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए – सभी लोग अपनी जाति, धर्म, भाषा, राज्य, लिंग आदि के बावजूद राष्ट्रमंडल खेलों जैसे खेल आयोजन में हमारे खिलाड़ियों को खुश करने के लिए एक साथ आते हैं। यह राष्ट्रवाद के प्रभाव के कारण ही है।

13. राजा एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में द्वितीय वर्ष का छात्र है। वह एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है और उसने पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लिया है। वह अपने परिवार के लिए एक सम्मानजनक भविष्य की एकमात्र आशा है। कॉलेज में किसी मामूली निजी बात को लेकर सेकेंड और थर्ड ईयर के छात्रों के बीच मारपीट हो गई। राजा ने अपने बैच के दोस्तों के साथ लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लिया। लड़ाई में कॉलेज की संपत्ति भी नष्ट हुई और प्रतिष्ठित कॉलेज भी बदनाम हुआ। प्रशासन द्वारा सीसीटीवी फुटेज में कॉलेज की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए राजा को रंगे हाथ पकड़ा गया है। हालांकि, उनके अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड के कारण उन्हें एक अवसर दिया गया है। अगर राजा अपनी गलती मान लेता है और अपने दोस्तों के खिलाफ गवाह बन जाता है, तो उसे बाहर नहीं किया जाएगा और केवल मामूली सजा दी जाएगी। हालांकि, राजा के उन दोस्तों को

कड़ी सजा दी जाएगी जिनके खिलाफ पहले से ही कई गंभीर शिकायतें हैं और कॉलेज प्रशासन उन्हें कॉलेज से निकालने का मौका ढूंढ रहा है।

(a) राजा के पास क्या विकल्प हैं?

(b) प्रत्येक विकल्प के गुण-दोषों पर चर्चा करते हुये बताइये कि राजा को क्या करना चाहिए?

(c) क्या मित्रता किसी अनुचित गतिविधि को नैतिकता प्रदान करने का वैध आधार हो सकता है? उपयुक्त उदाहरण दीजिए।

उत्तर:

मामला राजा द्वारा सामना की गई एक नैतिक दुविधा का प्रदर्शन करता है जिसमें उसे अपने व्यक्तिगत लाभ और अपने दोस्तों के विश्वास के बीच एक कठिन चुनाव करना है। मामले के अन्य हितधारकों में शामिल हैं:

a. राजा का गरीब परिवार
b. राजा के दोस्त - लड़ाई में शामिल
c. कॉलेज प्रशासन
d. कॉलेज के अन्य छात्र
e. प्रतिष्ठित कॉलेज

दिए गए परिदृश्य में राजा के सामने निम्नलिखित संभावित विकल्प हैं:

i) प्रस्ताव स्वीकार करें
ii) अपने दोस्तों के साथ प्रस्ताव पर चर्चा करें और फिर निर्णय लें
iii) प्रस्ताव को अस्वीकार करें

प्रत्येक विकल्प के गुण और दोष हैं:

A. प्रस्ताव स्वीकार करें-

गुण:

- प्रशासन के सहयोग से महाविद्यालय में अनुशासन एवं व्यवस्था सुनिश्चित होगी।
- कॉलेज पूरा करने और बाद में नौकरी पाने एवं ऋण की अदायगी करने में सक्षम होगा।
- राजा को अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की अनुमति देगा।
- राजा के दोस्तों के खिलाफ कार्यवाही, जो उनके कुख्यात व्यवहार के लिए जाने जाते हैं, कॉलेज की प्रतिष्ठा को बहाल करने में मदद कर सकते हैं।

अवगुण:

- मित्रों के प्रति अरुचि का कार्य होगा।
- अपने मित्रों के प्रति विश्वासघात के कारण राजा के भीतर अंतरात्मा के संकट की संभावना है।
- भाईचारे के बंधन को तोड़ने के लिए राजा को अपने वर्ष के अन्य छात्रों की शत्रुता का सामना करना पड़ सकता है।

B. दोस्तों के साथ सौदे पर चर्चा करें

गुण:

- राजा को सभी हितधारकों से इनपुट इकट्ठा करने में सक्षम करेगा, इस प्रकार निर्णय लेने में एक लोकतांत्रिक भावना होगी।
- मित्रों से कोई नवोन्मेषी समाधान मिलने की संभावना है। जैसे कि वे प्रशासन से बिना शर्त क्षमा याचना के साथ-साथ जुर्माने की पेशकश करते हैं।
- यह राजा को एक संभावित मध्य मार्ग प्रदान करेगा और खुद प्रस्ताव पर कड़ा फैसला लेने से बच जाएगा।

अवगुण:

- कॉलेज सौदा रद्द कर सकता है।
- मित्र राजा के ईमानदार इरादे की सराहना नहीं कर सकते हैं और राजा के प्रति शत्रुता विकसित कर सकते हैं।
- सौदे को अस्वीकार करें

गुण:

- न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप समान परिस्थितियों में उपचार की समानता।
- राजा को विश्वास और दोस्ती के जीवन भर के बंधन को बनाए रखने में मदद करेगा।
- राजा को क्षमा मांगने के लिए आवश्यक अपनी गलती और गलत कार्य को स्वीकार करने देगा।
- राजा अपनी सत्यनिष्ठा को सफलतापूर्वक बनाए रखेंगे जो स्वाभिमान के लिए महत्त्वपूर्ण है।

अवगुण:

- राजा को कॉलेज से निकाल दिया जाएगा।
- राजा के परिवार के लिए आर्थिक और भावनात्मक पीड़ा।
- कॉलेज छात्रों के बीच अनुशासन स्थापित करने में विफल रहेगा।

उपरोक्त गुणों और दोषों को ध्यान में रखते हुए मेरा मानना है कि राजा के लिए इस प्रस्ताव को अस्वीकार करना विवेकपूर्ण और सीधा होगा:

- इससे राजा को आत्म-सम्मान और विश्वास की आजीवन संपत्ति बनाए रखने में मदद मिलेगी।
- राजा को मूल्यों की दृढ़ता विकसित करने और विरोधी के सामने भी अपने विश्वास के लिए खड़े होने में सक्षम बनाएगा।
- इसके अलावा वह एक मेधावी छात्र है और इसलिए अपना पाठ्यक्रम पूरा करने के अन्य तरीके खोज सकता है।

प्रस्ताव को खारिज करने के अलावा, उन्हें कॉलेज प्रशासन से बिना शर्त माफी भी मांगनी होगी। वह कॉलेज प्रशासन को यह याद दिला सकता है कि गलती सभी से हो सकती है। इसलिए कॉलेज प्रशासन को कुछ दया दिखानी चाहिए और निष्कासन

के स्थान पर कोई और सजा देनी चाहिए।

इसके अलावा, राजा को भी इसे अपने मित्रों को सुधारने के अवसर के रूप में मानना चाहिए। यह राजा का नैतिक कर्तव्य भी है। राजा को चाहिए कि वह अपने दोस्तों को कॉलेज प्रशासन से ईमानदारी से माफी मांगने के लिए प्रोत्साहित करे और कॉलेज से खुद को सुधारने का आखिरी मौका मांगे।

निश्चित रूप से, किसी निर्णय के नैतिक औचित्य के लिए मित्रता एक वैध नैतिक आधार हो सकती है। हालांकि, इस तरह की मित्रता को अरस्तू द्वारा समझाया गया गुणी की मित्रता होनी चाहिए। यह सुख या उपयोगिता की मित्रता नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए-दुर्योधन के अनैतिक कृत्यों के लिए कर्ण के बिना शर्त समर्थन की नैतिक रूप से रक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन दिए गए मामले में राजा के सौदे को स्वीकार नहीं करने के कृत्य का नैतिक रूप से बचाव किया जा सकता है।

14. पूर्ण शराबबंदी वाले राज्य में एक मंत्री का बेटा बहुत ही उतावले और अनियमित तरीके से वाहन चला रहा था। ट्रैफिक चौराहे पर ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कांस्टेबल ने वाहन को रोका। यह संदेह करते हुए कि गाड़ी चलाने वाला लड़का और उसके साथी यात्री संभवतः नशे में हैं, वह गश्ती दल को बुलाता है। वे आए और लड़के और अन्य यात्रियों को ब्रीद एनालाइजर से परीक्षण किया, शक सच निकला, सभी नशे में थे। इस सारी कार्यवाही में करीब एक घंटे का समय लगा। इस बीच जब लड़का नखरे कर रहा था और पिता के पद की धमकी दे रहा था तब उसने कुछ फोन भी किए और ड्यूटी पर तैनात सिपाही को थप्पड़ मारने की कोशिश की। लेकिन ड्यूटी पर तैनात सिपाही शांत और निडर रहा। थाने पहुंचने पर, जहां आप एसएचओ हैं, आपने स्थिति पर ध्यान दिया, लेकिन मामला दर्ज करने से ठीक पहले, आपको अपने वरिष्ठ से लड़के और उसके दोस्तों को बिना किसी गिरफ्तारी या जुर्माना के रिहा करने का फोन आता है।

(a) इसमें शामिल नैतिक मुद्दे और दुविधाएं क्या हैं?

(b) दी गई स्थिति में कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका क्या है और क्यों?

(c) पुलिस को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और कर्त्तव्यनिष्ठ बनाने के उपाय सुझाएं।

उत्तरः

दिए गए मामले में बड़ी संख्या में नैतिक मुद्दों और दुविधाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। अधिकांश पुलिस अधिकारियों के लिए ये मुद्दे और दुविधाएं बहुत आम हैं। वे हैं:

a. एसएचओ के रूप में मेरे लिए ईमानदारी और कर्त्तव्य बनाम मेरा व्यक्तिगत लाभ।
b. कानून के शासन के प्रति कर्त्तव्य बनाम परिवार के सदस्यों की देखभाल करने का कर्तव्य।
c. संहिताबद्ध नियमों और कानूनों को कायम रखना बनाम वरिष्ठ अधिकारी के आदेश।
d. अधीनस्थ कर्मचारियों की प्रेरणा को बनाए रखने और उनका मनोबल बढ़ाने का कर्त्तव्य।
e. विपरीत परिस्थितियों में अडिग और अभिन्न रहना।
f. अधीनस्थों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए नेतृत्व का प्रदर्शन।
g. विभाग में सही मिसाल और बाद की कार्य संस्कृति का मुद्दा।
h. संबंधित मंत्री की गरिमा।
i. वरिष्ठों की सत्यनिष्ठा और नैतिक अधिकार।
j. सार्वजनिक रूप से शराबबंदी जैसे कानूनों के प्रति सम्मान की कमी और विशेष रूप से अमीर और शक्तिशाली के बीच।

एक एसएचओ होने के नाते मेरा सबसे पहला कर्त्तव्य विधि के शासन को बनाए रखना है ताकि समाज में व्यवस्था बनाए रखी जा सके। इस परिदृश्य में मेरे लिए यह विवेकपूर्ण और अनिवार्य होगा कि मैं मंत्री के बेटे और उनके दोस्तों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराऊं और कानून द्वारा आवश्यक कार्यवाही करूं। उस के कारण हैंः

i) यह एसएचओ के सेवा नियमावली के तहत आचार संहिता और अन्य दिशानिर्देशों के अनुरूप है।
ii) यह मेरा कर्त्तव्य है कि कानून को अपना काम करने दें और कानून के समक्ष समानता स्थापित करें। अधिमान्य उपचार की कोई गुंजाइश नहीं है, यह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत वर्जित है।
iii) एक पुलिस अधिकारी होने के नाते, मुझे लगातार वरिष्ठों और राजनीतिक प्रतिनिधियों की ऐसी अनुचित मांगों और आदेशों का प्रबंधन करना होगा । इसलिए ऐसे दबावों को दूर करने की कला सीखनी चाहिए।
iv) पदानुक्रम और आदेश का सम्मान करने का मतलब वरिष्ठों के अवैध और गैरकानूनी आदेशों के आगे झुकना नहीं है।
v) अधीनस्थ कर्मचारी और वह भी यातायात कर्मचारी हमेशा अत्यधिक दबाव में और प्रतिकूल वातावरण में रहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में लोक सेवा के प्रति उनके समर्पण को बनाए रखने के लिए, मुझे एक एसएचओ के रूप में मंत्री के बेटे के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।
vi) यह एक सही मिसाल कायम करेगा और ऐसे शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ एक निवारक के रूप में कार्य करेगा।
vii) स्वस्थ कार्य संस्कृति की स्थापना के लिए पद पर बैठे

लोगों को कुछ व्यक्तिगत नुकसान की कीमत पर भी कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता होती है।

viii) इसमें राज्य में शराब की अवैध तस्करी का बड़ा मुद्दा शामिल है जिसके प्रति जीरो टॉलरेंस की आवश्यकता है।

ix) मंत्री के बेटे के खिलाफ कार्यवाही नहीं करने की खबर अगर जनता तक पहुंचे तो पुलिस प्रशासन पर से उनका विश्वास उठ जाएगा।

इस प्रकार, उपरोक्त तर्क के आलोक में, भले ही वरिष्ठ अधिकारी उन्हें रिहा करने के लिए जोर देते हैं, मुझे एसएचओ के रूप में वरिष्ठ से एक लिखित आदेश मांगना चाहिए। यह ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए आचार संहिता में प्रदान किए गए एसओपी के अनुरूप कार्य सही होगा। इससे विभाग के अन्य लोगों को भी स्पष्ट संदेश जाएगा कि कानून सबके लिए समान है।

पुलिस को अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और कर्तव्यनिष्ठ बनाने के उपाय:

- प्रकाश सिंह मामले के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों को लागू करना जैसे:
  - » पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा अनुचित राजनीतिक दबाव को दूर करने के लिए स्थानान्तरण, पदस्थापन एवं नियुक्ति हेतु।
  - » पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त करने के लिए एक शिकायत प्राधिकरण की स्थापना करें।
- पुलिस अधिकारियों को उनकी शक्तियों, नियमों और विनियमों आदि से अवगत कराने के लिए उनका निरंतर अत्याधुनिक प्रशिक्षण होना चाहिए।
- मौजूदा व्यवस्था में वरिष्ठों द्वारा रैखिक मूल्यांकन की तुलना में पुलिस अधिकारियों का 360-डिग्री प्रदर्शन मूल्यांकन होना चाहिए।
- पुलिस सेवाओं में अधिकार आधारित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए पुलिस स्टेशनों और विभागों के लिए एक नागरिक चार्टर तैयार करना।
- आम जनता में उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता का स्तर बढ़ाना।
- पुलिस प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी का एकीकरण। उदाहरण के लिए प्राथमिकी दर्ज करना, शिकायतें, मामले की विकास रिपोर्ट का आकलन करना आदि जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं।

इस प्रकार के अक्सर मामले प्रतिकूल वातावरण और दबाव की प्रकृति को उजागर करते हैं जिसके तहत पुलिस प्रशासन को काम करना पड़ता है। यह पुलिस अधिकारी हैं जो प्रशासन का सबसे महत्त्वपूर्ण तत्व हैं जो समाज में शांति, सद्भाव और कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करते हैं। इसलिए उपरोक्त सुधारों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और कानून के शासन को बनाए रखने की उनकी क्षमता में सुधार के लिए अपनाया जाना चाहिए।

15. एक विशेष राज्य की सरकार ने 5 साल के भीतर प्रत्येक बच्चे के स्कूल में दाखिले का लक्ष्य रखा है। आप पिछले कुछ वर्षों से एक शिक्षा आधारित गैर-सरकारी संगठन का संचालन कर रहे हैं। आपको अपने जिले में स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों में मुख्य बाधाओं की पहचान करने का कार्य सौंपा गया है। आपने व्यापक सर्वेक्षण किया और दो प्रमुख कारणों का पता लगाया-(1) अच्छी तरह से प्रशिक्षित और प्रेरित शिक्षकों की कमी, (2) पीने के पानी, शौचालय, खेल का मैदान, पुस्तकालय आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव। जिलाधिकारी ने आपको बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देने के लिए कहा। पहलू, जबकि शिक्षक प्रशिक्षण का कार्य अन्य अधिकारियों को सौंपा गया था। आपने पूरे मन से सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया। हालांकि, आपको एक ठेकेदार ढूंढना मुश्किल हो रहा है जो निर्धारित समय और धन के भीतर कार्य को पूरा कर सके।

एक दिन आप अपने मित्र मिस्टर वाई से मिले जो पिछले कुछ वर्षों से निजी स्कूलों में अनुबंध के आधार पर शौचालय, पीने के पानी की सुविधा आदि का निर्माण कर रहे हैं। जब श्री वाई को आपके प्रोजेक्ट के बारे में पता चला, तो उन्होंने दिलचस्पी दिखाई और इन सुविधाओं के निर्माण के लिए अपनी कीमत का हवाला दिया। उनका कोटेशन वहनीय लग रहा था और उन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर काम पूरा करने का भी वादा किया। हालाँकि, कुछ दिनों के बाद आपको पता चला कि मिस्टर वाई घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग करते हैं और यहाँ तक कि बाल श्रम भी करते हैं।

(a) उपरोक्त मामले में आपके सामने आई नैतिक दुविधा की पहचान करें।

(b) क्या आप मिस्टर वाई के खिलाफ शिकायत करेंगे? अपने उत्तर का औचित्य सिद्ध करें।

(c) परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे?

(d) क्या हम कह सकते हैं कि निजी मूल्यों और सार्वजनिक मूल्यों के बीच शाश्वत संघर्ष है?

उत्तरः

शिक्षा भविष्य में सफलता की कुंजी है और हमारे जीवन में कई अवसरों का आधार है। लोगों के लिए शिक्षा के कई फायदे हैं। उदाहरण के लिए, यह व्यक्ति के मन और सोच को प्रकाशित करता है। यह छात्रों को विश्वविद्यालय से स्नातक होने के दौरान काम की योजना बनाने या उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करता है। इसलिए शिक्षा, विशेष रूप से बाल शिक्षा को समग्र रूप से प्रदान किया जाना चाहिए।

एक नैतिक दुविधा एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक विकल्प, निर्णय, कार्य / क्रिया का समाधान शामिल होता है या जिसमें एक अप्रिय समस्या या स्थिति शामिल हो सकती है जहां आपको लगता है कि आप नहीं जानते कि क्या करना उचित है या किस तरह से स्थिति का सामना किया जाए? नैतिक दुविधा हमेशा ''सही बनाम गलत'' का मामला नहीं है क्योंकि कार्यवाही या निर्णय के दोनों पक्ष नैतिक या सही लग सकते हैं।

(a) उपरोक्त मामले में नैतिक दुविधा की स्थिति-

एक तरफ मुझे निम्नस्तरीय सामग्री और बाल श्रम के बारे में पता चला। इसका बच्चों पर दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता है - निम्नस्तरीय सामग्री भविष्य के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है और बाल श्रम प्रत्येक बच्चे को स्कूल में प्रवेश के हमारे मूल उद्देश्य के विरूद्ध है।

दूसरी ओर, मुझे यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों हेतु इसे और अधिक अनुकूल बनाने के लिए स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और मुझे इसे एक विशेष समय सीमा के साथ-साथ निर्धारित फंड (वित्त) के भीतर करना होगा। चूंकि मुझे अपने बजट के भीतर ठेकेदार को खोजने में कठिनाई का सामना करना पड़ा था, श्रीमान वाई कार्य को पूरा करने के लिए केवल एक संभावित आशा प्रतीत होते हैं। साथ ही काम पूरा होने के बाद बड़ी संख्या में लोगों को बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा, श्रीमान वाई मेरे मित्र हैं इसलिए मैं उन्हें स्पष्ट रूप से अनदेखा नहीं कर सकता।

इस प्रकार यहाँ संघर्ष में विभिन्न मूल्य हैं, उदाहरण के लिए:

- **दक्षता बनाम प्रभावशीलताः** दिए गए कार्य को दिए गए समय और धन के भीतर पूरा करना है या यह सुनिश्चित करना है कि नैतिक साधनों को नियोजित करते हुए कार्य टिकाऊ है।
- **साधन बनाम परिणामः** प्रक्रिया (उचित साधन) या परिणाम (स्कूल में सुविधाओं को पूरा करने) में किसे प्राथमिकता देना है?
- **बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यकः** स्कूल में प्रवेश लेने वाले बच्चों की तुलना में बाल मजदूरों की संख्या कम है।
- **सार्वजनिक बनाम निजी जिम्मेदारीः** मिस्टर वाई दोस्त हैं और दोस्त के प्रति व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। क्या सार्वजनिक जिम्मेदारी के लिए दोस्त की उपेक्षा कर सकता है?

(b) श्री वाई के खिलाफ शिकायत करें-

मिस्टर वाई मेरे दोस्त होने के नाते मैं पहले उन्हें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए चेतावनी दूंगा-बच्चों को काम पर रखने और सामग्री की खराब गुणवत्ता का उपयोग करने से बचें। अगर वह अपने व्यवहार को ठीक करने के लिए सहमत हो जाता है और भविष्य में इसे नहीं दोहराने का वादा करता है, तो मैं शिकायत नहीं कर सकता। हालांकि, अगर वह अपने व्यवहार को ठीक करने के लिए सहमत नहीं हुआ तो मैं निश्चित रूप से उसके खिलाफ शिकायत करूंगा।

इसके पीछे तर्क-

''गलती करना मानव स्वभाव है, क्षमा करना दिव्य है'' - **अलेक्जेंडर पोप**

चूंकि मुझे यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि काम समय पर पूरा हो जाए, इसलिए मैं सबसे पहले श्री वाई को चेतावनी दे सकता हूं ताकि चल रहे प्रोजेक्ट में बाधा न आए। लेकिन अगर व्यवहार दोहराया जाता है तो शिकायत करना जरूरी है क्योंकि श्री वाई के कार्यों के नकारात्मक भविष्य के परिणाम हो सकते हैं। अगर सुविधाओं की सुरक्षा से समझौता किया गया तो यह बच्चों को खतरे में डाल सकता है। इसके अलावा, घटिया गुणवत्ता को बार-बार मरम्मत की आवश्यकता होगी जिसमें फिर से समय और पैसा खर्च होगा।

जिस परियोजना के लिए श्री वाई लगे हुए हैं वह यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चे स्कूल जाएं। बाल श्रम को नियोजित करके श्री वाई स्वयं उद्देश्य के विरूद्ध कार्य कर रहे हैं।

(c) परियोजना का समय पर पूरा होना-

केस 1: यदि श्री वाई अपने व्यवहार को सही करने का वादा करते हैं, तो परियोजना को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं।

- चूंकि श्री वाई घटिया सामग्री का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और वे उसका उपयोग करें।
- श्री वाई को बाल श्रमिकों को नियमित श्रमिकों से बदलना चाहिए जो अधिक कुशल और विशेष रूप से नौकरी के लिए उपयुक्त हैं।

केस 2: यदि श्री वाई ने अनुपालन करने से इंकार कर दिया और उनके खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज की गई है। तब चूंकि यह कार्य प्रगति को प्रभावित करेगा, इसके लिए निम्न चरणों की आवश्यकता होगी:

- मैं सार्वजनिक उत्साही व्यक्तियों को नौकरी के लिए स्वयंसेवकों के रूप में शामिल कर सकता हूं। इस बीच, मैं वैकल्पिक ठेकेदार की भी तलाश करूंगा।

- मैं दी गई स्थिति में सहायता प्रदान करने के लिए अन्य नागरिक समाज समूहों से सहायता मांग सकता हूं।
- मैं मामले को पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ तरीके से स्पष्ट करते हुए जिलाधिकारी के समक्ष भी उठा सकता हूं और कुछ और समय मांग सकता हूं। हम परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए प्रतिस्पर्धी बोली की व्यवस्था भी कर सकते हैं।

(d) निजी बनाम सार्वजनिक मूल्य-

निजी मूल्य में व्यक्ति द्वारा अपने व्यक्तिगत व्यवहार के दौरान अपनाए गए नैतिक मूल्य शामिल होते हैं। निजी संबंध प्रकृति में अनौपचारिक होते हैं। वे किसी औपचारिक प्रक्रिया के बजाय भावनात्मक बंधनों पर आधारित होते हैं जो उन्हें नियंत्रित करती हैं।

सार्वजनिक मूल्य उस नैतिकता को संदर्भित करते हैं जिसका एक व्यक्ति अपने पेशेवर जीवन में अपनी बातचीत और व्यावसायिक व्यवहार के संबंध में पालन कर सकता है।

सार्वजनिक जीवन नैतिक ढांचे में होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के लिए कुछ विशेष नैतिकता होनी चाहिए। इसलिए सार्वजनिक जीवन में लोगों के लिए नैतिक ढांचा तैयार किया गया है। उन्हें उस नैतिक ढांचे द्वारा सख्ती से निर्देशित किया जाना चाहिए।

उपरोक्त मामले में, श्री वाई के साथ निजी संबंध सार्वजनिक मूल्यों के विरोध में है। अक्सर ऐसा परिदृश्य उत्पन्न होता है जब निजी और सार्वजनिक मूल्यों के बीच संघर्ष होता है। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक कार्यालय में प्रवेश करते समय अपने पूर्वाग्रहों को पूरी तरह से नहीं छोड़ सकता है, आखिरकार वह उन प्राथमिकताओं और पूर्वाग्रहों का उत्पाद है। यह निजी और सार्वजनिक मूल्यों के बीच घर्षण पैदा करता है।

लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि वे शाश्वत संघर्ष में हैं। निजी और सार्वजनिक जीवन के बीच कोई स्पष्ट रेखा नहीं खींची जा सकती। सार्वजनिक मूल्य बनाने वाले तत्व निजी मूल्यों के लिए भी महत्त्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए-विश्वास निजी और सार्वजनिक जीवन दोनों के लिए महत्त्वपूर्ण है। इसी तरह, जिम्मेदारी, पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा आदि ऐसे मूल्य हैं जो सार्वजनिक और निजी नैतिकता दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। उपरोक्त मामले ने शिक्षा, विश्वास, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी आदि से संबंधित कुछ वास्तविक प्रश्न खड़े किए थे। इन मूल्यों को प्राप्त करने के लिए हमें गांधीवादी दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है जो दोनों साधनों के साथ-साथ परिणाम को भी महत्त्व देता है। सही परिणाम के लिए गलत साधनों को सही नहीं ठहराया जा सकता। घटिया सामग्री या बाल श्रम का उपयोग कर स्कूल की सुविधाओं के उन्नयन का कोई औचित्य नहीं है।

16. उत्तर प्रदेश के रहने वाले आदित्य 25 साल की उम्र के एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं। लेकिन उनका परिवार आदित्य की पहचान को मानने को तैयार नहीं था। आदित्य थोपी गई मर्दाना पहचान और साथ ही अपनी स्वायत्तता पर प्रतिबंध से खुश नहीं था। इसलिए, वह अपने घर से भाग गया और दिल्ली में स्थित गरिमा गृह में शरण ली। गरिमा गृह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बेसहारा और परित्यक्त ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल, कौशल विकास और मनोरंजन जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित आश्रय गृह है। आदित्य के परिवार ने आदित्य को जबरदस्ती हिरासत में लेने के लिए शेल्टर होम के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत के आधार पर यूपी पुलिस ने दिल्ली पुलिस की मिलीभगत से बिना किसी वारंट के आधी रात को गरिमा गृह में जबरदस्ती प्रवेश किया है। फिर वे जबरदस्ती आदित्य को ले गए। जब प्रबंधन और अन्य ट्रांसजेंडर व्यक्ति आदित्य के बारे में पूछताछ करने के लिए बगल के थाने पहुंचे तो पुलिस अधिकारियों ने उनके साथ बदसलूकी की, उनकी पिटाई की गई, भद्दी टिप्पणियों के साथ मौखिक रूप से दुर्व्यवहार किया गया एवं शारीरिक एवं यौन उत्पीड़न किया गया।

मामले में शामिल नैतिक मुद्दे क्या हैं? क्या आपको लगता है कि ट्रांसजेंडर समुदाय को परिवार के साथ-साथ समाज में भी इतनी दुर्व्यवहार/दुश्मनी का सामना करना पड़ता है? ट्रांसजेंडर व्यक्ति के प्रति सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बदलाव लाने के उपाय भी सुझाएं।

उत्तर:

मामले में उल्लिखित आदित्य, ऐसे कई अन्य ट्रांसजेंडरों का प्रतिनिधि है जिन्हें न केवल समाज में बल्कि परिवार में भी अपनी पहचान की स्वीकृति नहीं मिलती है। मामले में अन्य हितधारक हैं:

- गरिमा गृह के अन्य साथी सदस्य जिन्हें पुलिस के हाथों दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का सामना करना पडा है।
- आदित्य के परिजन उसकी पहचान मानने को तैयार नहीं हैं।
- पुलिस कर्मियों द्वारा ट्रांसजेंडरों के अधिकारों का उल्लंघन ।
- समाज बड़े पैमाने पर यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी समान इंसान हैं और उन्हें हर वह अधिकार है जिसका हम सभी आनंद लेते हैं।

शामिल नैतिक मुद्दे:

यह मामला एक विशिष्ट रूढ़िवादी भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें पुरुष और महिला के रूप में केवल संकीर्ण लिंग पहचान की स्वीकृति है। इस तरह के ट्रांसजेंडरों को समाज द्वारा निम्न स्तरीय व्यक्ति माना जाता है इसी प्रकार का व्यवहार उनके अपने परिवार में भी किया जाता है । मामले में शामिल अन्य नैतिक मुद्दे हैं:

i) ट्रांसजेंडरों की गरिमा, पहचान और स्वाभिमान के लिए परिवार और समाज में सम्मान की कमी।

ii) ट्रांसजेंडरों के संबंध में रूढ़ियों और कलंक की स्वीकृति।

iii) परिवार से ट्रांसजेंडरों पर अनुचित दबाव और सीमाएं, ऐसे व्यक्ति की स्वायत्तता और शारीरिक गरिमा का भी उल्लंघन।

iv) सामान्य तौर पर पुलिस कर्मियों के भीतर ट्रांसजेंडरों के प्रति सहानुभूति और करुणा की कमी।

v) पुलिस कर्मियों द्वारा स्वयं ट्रांसजेंडरों के कानूनी और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन जो उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हैं।

vi) पुलिस कर्मियों की ओर से अनुशासनहीनता और कानून के शासन के प्रति सम्मान की कमी का मामला प्रस्तुत करता है।

vii) लिंग और पहचान की उभरती समझ के अनुसार अपनी नैतिक समझ विकसित करने में समाज की विफलता।

viii) पुलिस द्वारा अनुचित बल का प्रयोग, सत्ता के दुरुपयोग को दर्शाता है।

ट्रांसजेंडर लोगों द्वारा सामना की जाने वाली शत्रुता के कारण हैं:

- समाज की विषम लिंग समझ को द्विआधारी – पुरुष और महिला के रूप में ही स्वीकृति मिली है। इस प्रकार, ट्रांसजेंडर को रोगग्रस्त स्थिति और कमतर इंसान के रूप में माना जाता है।
- ट्रांसजेंडर लोगों से जुड़े कलंक जैसे कि वे असामाजिक हैं, उनके साथ संपर्क से बाँझपन फैल सकता है।
- रूढ़िवादी नैतिकता जहां गैर-द्विआधारी लिंग पहचान को अनैतिक माना जाता है।
- भारतीय समाज की ओर से इस बात की सराहना करने के लिए तर्कसंगतता की कमी कि ट्रांसजेंडर लोग किसी भी अन्य पुरुष और महिला की तरह ही प्राकृतिक इंसान हैं।
- रोजगार के अवसरों की कमी के कारण भीख मांगने में ट्रांसजेंडरों की पारंपरिक भागीदारी लोगों के संशयपूर्ण रवैये के लिए जिम्मेदार है।
- जनता के बीच लैंगिक जीव विज्ञान के बारे में जागरूकता और वैज्ञानिक समझ का अभाव।
- लंबे समय से ट्रांसजेंडरों के अधिकारों के साथ-साथ पहचान की पर्याप्त कानूनी मान्यता का अभाव।
- ट्रांसजेंडरों में साक्षरता का निम्न स्तर एक कारण और साथ ही उनके प्रति शत्रुता का परिणाम भी है।
- पुलिस प्रशासन भी उन्हें असामाजिक मानता है और उनके साथ अमानवीय व्यवहार करता है।

ट्रांसजेंडरों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाने के उपाय हैं:

- शुरुआत में ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता देने के संबंध में जागरूकता बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। जागरूकता फैलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करते हुए प्रचारित करना और इसे पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में पढ़ाने के उपाय शुरू किए जा सकते हैं।
- केवल ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम के अधिकारों का अधिनियमन पर्याप्त नहीं है। जमीनी स्तर पर इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए समर्पित मशीनरी होनी चाहिए।
- धार्मिक और प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से नागरिक समाज में बौद्धिक अपील की जा सकती है ताकि ट्रांसजेंडर को प्राकृतिक व्यक्ति के रूप में स्वीकार करें।
- साक्षरता का स्तर बढ़ाना और उन्हें आजीविका के वैकल्पिक साधन प्रदान करना, ट्रांसजेंडरों से जुड़े कलंक को तोड़ने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।
- ट्रांसजेंडरों को भीख मांगने का त्याग करने को प्रोत्साहित करें और अपने जीवन में सुधार के लिए गरिमा गृह जैसी योजनाओं का उपयोग करें। इससे ट्रांसजेंडर व्यक्ति की गरिमा और स्वाभिमान को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
- ट्रांसजेंडरों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए जमीनी स्तर की पुलिस और अन्य नागरिक प्रशासन को प्रशिक्षित और संवेदनशील बनाना।
- यह सही समय है जब सरकार को शैक्षिक , संस्थागत और सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में ट्रांसजेंडर को आरक्षण देने के लिए कार्य करना चाहिए।
- सफल ट्रांसजेंडर व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का ब्रांड एंबेसडर बनाना ताकि धारणा बदली जा सके। उदाहरण के लिए-जोयिता मंडल (प्रथम ट्रांसजेंडर जज), पृथिका यशिनी (पहली ट्रांसजेंडर पुलिस)

आदि।

ट्रांसजेंडर समुदाय को बहुत लंबे समय तक नफरत और भेदभाव का सामना करना पड़। है। इस प्रकार, एक सभ्य और लोकतांत्रिक राष्ट्र के नागरिक के रूप में यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम ट्रांसजेंडरों के प्रति वैज्ञानिक सोच विकसित करें और सम्मानजनक जीवन के उनके अधिकार का सम्मान करें। राज्य और नागरिक समाज को सक्षम वातावरण बनाने की आवश्यकता है ताकि ट्रांसजेंडर केवल लाभार्थी न रहें बल्कि विकास की कहानी में भागीदार बनें।

17. एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) ने दो सब-इंस्पेक्टर रैंक के पुलिसकर्मियों द्वारा बलात्कार के मामले में जांच की योग्यता पर टिप्पणी की। न्यायाधीश ने पुलिसकर्मियों के मातहत समेत बड़ी संख्या में लोगों के सामने कोर्ट में उन पुलिसकर्मियों को कड़ी चेतावनी दी। जज थोड़ा बहक गए और उनसे पूछा कि अगर उनकी ही बेटी के साथ बलात्कार होता तो वे क्या प्रतिक्रिया देते? दो पुलिसकर्मियों ने इसे अपमान के रूप में लिया।

एक दिन पहले दोनों पुलिसकर्मियों ने गाली दी और फिर जज के साथ मारपीट की। हाथापाई की आवाज सुनकर आसपास मौजूद वकील और न्यायिक कर्मचारी जज के कक्ष में पहुंचे, उसे बचाया, पुलिसकर्मियों की पिटाई की और उन्हें बंधक बना लिया। यह खबर फैलते ही, राज्य और जिले के वरिष्ठ अधिकारी स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश में मौके पर पहुंच गए। स्थानीय बार एसोसिएशन ने इस घटना की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया और इसे प्रशासन द्वारा न्यायपालिका पर हमला करार दिया। वहीं पुलिस ने कहा कि जज को पुलिसकर्मियों की बेटी का उदाहरण नहीं देना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि किसी ने नहीं देखा कि जज के साथ क्या हुआ? लेकिन पुलिसकर्मियों की वर्दी पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे और अदालत परिसर में पुलिस की पिटाई करने वालों को सजा मिलनी चाहिए

(a) किसकी कार्यवाही अधिक न्यायसंगत है- पुलिसकर्मी या न्यायाधीश या न्यायिक कर्मचारी या उनमें से कोई नहीं? अपने उत्तर के समर्थन में ठोस तर्क दीजिए।

(b) यदि आपको दिए गए मामले में मध्यस्थता करनी हो, तो आप क्या कदम उठाएंगे?
आपके अनुसार क्या न्यायिक शाखा को मामलों का न्यायनिर्णयन करते समय अधिक सहानुभूतिपूर्ण और भावनात्मक होना चाहिए? उपयुक्त तर्क दीजिए।

उत्तरः

मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था कि ''हिंसा के बदले हिंसा, हिंसा को कई गुना बढ़ा देती है। पहले से ही सितारों से रहित रात में गहरा अंधेरा जोड़ देती है।'' यह उन लोगों के मामले में अधिक सच्चाई रखता है जो आपराधिक न्याय प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। न्यायाधीशों, पुलिस और वकीलों के बीच प्रतिद्वंद्विता नागरिकों की भलाई पर कहर बरपा सकती है।

(ए) न्यायसंगत कौन है?

उपरोक्त मामले में किसी के भी कार्यों को न्यायसंगत और नैतिक नहीं कहा जा सकता है। प्रत्येक ने न केवल अपने कानूनी कर्त्तव्य बल्कि समाज की सामान्य नैतिकता का भी उल्लंघन किया।

- कोई भी निर्णय देते समय न्यायाधीश को वस्तुनिष्ठ रहना चाहिए। पीड़ित के साथ सहानुभूति अच्छी है लेकिन सहानुभूति की अधिकता तर्कसंगत निर्णय को धूमिल कर सकती है। किसी विशेष मामले में पुलिस कर्मियों पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना न्यायोचित नहीं है। अगर जांच में कोई दिक्कत थी तो इसे और पेशेवर तरीके से निपटाया जाना चाहिए था।
- जज को कथित तौर पर पीटने वाले पुलिसकर्मी किसी भी तरह से कानून या नैतिकता के दायरे में नहीं थे। भले ही न्यायाधीश ने व्यक्तिगत टिप्पणी की हो पर वे अपने मुद्दे को हल करने के लिए दूसरा रास्ता अपना सकते थे। हिंसा से हिंसा होती है। हालांकि यह स्वाभाविक है कि पुलिसकर्मियों में नैतिक आक्रोश है, लेकिन बदला इसका सही प्रतिउत्तर नहीं है। वे अधिक विनम्र तरीके से न्याय करने के लिए व्यक्तिगत रूप से अपनी चिंता व्यक्त कर सकते थे। यदि कानून का पालन करने वाला कानून तोड़ने वाला बन जाता है तो कोई भी समाज फल-फूल नहीं सकता।
- न्यायिक कर्मचारियों के कार्य पहली बार में सही साबित हो सकते हैं क्योंकि वे न्यायाधीश को बचा रहे थे। हालांकि, उन्हें अपराध रोकने के लिए अपराध करने का कोई अधिकार नहीं था। गांधीजी हमेशा साधनों की पवित्रता पर जोर देते थे। परिणाम साधनों को सही नहीं ठहरा सकता। पुलिसकर्मियों की बेरहमी से पिटाई से न केवल पुलिसकर्मियों की गरिमा को ठेस पहुंचती है बल्कि इससे पुलिस विभाग के मनोबल में भी गिरावट आती है। भविष्य में, वे बिना किसी भय के कार्य नहीं कर सकते जो आपराधिक न्याय

प्रणाली से समझौता करने वाला होगा।

'न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए'। यदि न्याय प्रदान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति स्वयं अन्याय के लिए जिम्मेदार है तो यह पाखंड का एक उत्कृष्ट मामला बनाता है।

(ख) मध्यस्थता कैसे करें?

चूंकि स्थिति बढ़ गई है, इसलिए इसमें शामिल प्रत्येक पक्ष का दृष्टिकोण लेने के बाद ही निर्णय लेना होगा है। दिए गए मामले में विभिन्न हितधारक निम्नलिखित हैं:

- **जज:** अगर पुलिसकर्मी ने जज के साथ मारपीट की है तो भविष्य में ऐसी स्थिति नहीं दोहरानी चाहिए।
- **पुलिसकर्मी:** जज को धमकी देने की उनकी कार्यवाही की जांच की जानी चाहिए और साथ ही न्यायिक कर्मचारियों द्वारा दुर्व्यवहार को भी न्याय के दायरे में लाने की जरूरत है।
- अंत में, न्यायिक कर्मचारियों के कार्यों को भी न्यायिक जांच के दायरे में लाने की आवश्यकता है।

इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

- यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए कि प्रत्येक पक्ष को न्याय दिया जाएगा। आपसी बातचीत के लिए दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को बुलाया जा सकता है। यह उन्हें कुछ समय के लिए शांत कर सकता है।
- हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में न्यायाधीश किसी पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी न करें। हालांकि जज के खिलाफ जांच करना बहुत दूर की बात होगी। हम कम से कम जज की तरफ से गलती की स्वीकृति की मांग तो कर ही सकते हैं। खुद की गलती मान लेने से इंसान और भी मजबूत हो जाता है।
- दिए गए मामले में न्यायिक जांच की जा सकती है। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि क्या पुलिसकर्मियों ने वास्तव में न्यायाधीश पर हमला किया है या नहीं? उन न्यायिक कर्मचारियों की भी जांच करने की जरूरत है जो पुलिसकर्मियों पर हमला करने में शामिल थे।

  अंत में, हमें कदम उठाने की जरूरत है ताकि भविष्य में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं न हों। यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि:
- जजों को इमोशनल मैनेजमेंट और ऐसे ही अन्य पहलुओं के बारे में मिड-कैरियर ट्रेनिंग दी जाए।
- यह सुनिश्चित करना कि न्यायाधीशों का सुरक्षा ढांचा मजबूत हो। सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए, अधिक संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए जा सकते हैं आदि।
- न्यायिक कर्मचारियों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए ताकि भविष्य में वे इस तरह की हरकत न दोहराएं।

(सी) क्या न्यायपालिका को अधिक सहानुभूतिपूर्ण या भावनात्मक होना चाहिए?

भावना मानव अस्तित्व का एक मूलभूत पहलू है। सामान्य, स्वस्थ लोगों में, विकल्पों के बारे में भावनाएँ चुनाव पर एक शक्तिशाली प्रभाव डालती हैं। आंतरिक भावनाओं पर शोधों से पता चलता है कि लोग उन लोगों के प्रति अधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं या जिनके लिए वे सहानुभूति महसूस करते हैं। दूसरों की तुलना में जिन्हें वे नापसंद करते हैं या जिनके लिए वे घृणा महसूस करते हैं।

एक न्यायाधीश के पास 'न्यायिक स्वभाव' होना चाहिए जिसका अर्थ है कि पद पर रहते हुए एक न्यायाधीश कार्य करता है और निष्पक्ष रूप से सोचता है, कानून का तर्कसंगत क्रियान्वयन करता है और भावनात्मक मामलों में भटकता नहीं है। क्योंकि न्यायाधीश कानून और राज्य के नाम पर निर्णय लेते हैं, जो सामान्य अच्छे का प्रतिनिधित्व करता है, वह विशेष मामले की मार्मिक कहानियों से प्रभावित नहीं हो सकता है।

न्यायाधीशो में केवल इमोशन की नहीं बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के दो क्षेत्र हैं-व्यक्तिगत क्षमता और सामाजिक क्षमता। व्यक्तिगत क्षमता न्यायाधीशों को किसी भी मामले पर निर्णय देते समय अपनी भावनाओं और व्यवहारों का प्रबंधन करने की मांग करती है। जबकि न्यायाधीशों के लिए सामाजिक क्षमता का अर्थ होगा कि वे दूसरों की भावनाओं को कैसे प्रबंधित करते हैं और न्यायाधीश और न्यायपालिका में विश्वास का निर्माण करते हैं?

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. चर्चा में रहा Tu-160 क्या है?

A- लंपी स्किन डिजीज के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी टीका
B- स्ट्रैटजिक बमवर्षक लड़ाकू विमान
C- कछुए की एक नई प्रजाति
D- ट्यूलिप नामक फूल की एक नई प्रजाति

उत्तर: B

2. हाल में सुर्खियों में रहे दुनिया के सबसे ऊंचे सिंगल-आर्च रेलवे ब्रिज के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है?

A- इसे जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौड़ी के बीच बनाया गया है।
B- इसका निर्माण कोंकण रेलवे उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत किया जा रहा है।
C- इस रेल ब्रिज की नदी तल से ऊंचाई 259 मीटर है।
D- इस पुल को बनाने का लक्ष्य जम्मू कश्मीर घाटी में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है।

उत्तर: C

3. "ब्लॉकचेन तकनीकी' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. एस्टोनिया देश को दुनिया की ब्लॉकचेन राजधानी कहा जाता है।
2. ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग क्रिप्टोकरेंसी में किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

A- केवल 1
B- केवल 2
C- 1 और 2
D- न तो 1, न ही 2

उत्तर: C

4. हाल ही में किस राज्य ने 'Medicine From The Sky' नामक कार्यक्रम शुरू किया है?

A- राजस्थान
B- अरुणाचल प्रदेश
C- तमिलनाडु
D- दिल्ली

उत्तर: B

5. हाल ही में 'हर घर जल' प्रमाणित होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है?

A- राजस्थान
B- गोवा
C- बिहार
D- उत्तर प्रदेश

उत्तर: B

6. चर्चा में रहा 'एक्वा बाजार' क्या है?

A- एक तरह का समुद्री उद्यान।
B- मत्स्यसेतु मोबाइल ऐप में ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर।
C- कछुए के निर्यात संबंधी एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस।
D- मैंग्रोव वनों से उत्पादित औषधियों को बेचने के लिए एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस।

उत्तर: B

7. हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा 'राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल' की शुरूआत की गई है?

A- केंद्रीय वित्त मंत्रालय
B- केंद्रीय गृह मंत्रालय
C- केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
D- केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय

उत्तर: B

8. हाल ही में अंतिम पंघल चर्चा में रही। यह कौन हैं?

A- तुर्कमेनिस्तान में भारत की नयी राजदूत।
B- कोलकाता उच्च न्यायालय की नयी मुख्य न्यायाधीश।
C- अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता महिला।
D- इंडिया ओपन-2022 की महिला एकल वर्ग विजेता।

उत्तर: C

9. उल्ची (Ulchi) फ्रीडम शील्ड युद्धाभ्यास के संबंध में निम्न. लिखित में कौन सा/से कथन सत्य हैं?

1. यह युद्ध अभ्यास दक्षिण कोरिया और भारत के वायु सेनाओं के बीच किया जा रहा है।
2. इसका उद्देश्य उत्तर कोरिया से होने वाले संभावित खतरे को संतुलित करना है।

विकल्प

A- केवल 1
B- केवल 2
C- 1 और 2 दोनों

D- इनमें से कोई नहीं

उत्तर: B

10. शंघाई सहयोग संगठन अर्थात SCO के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक (2022) कहाँ आयोजित की जा रही है?

A- जयपुर
B- शंघाई
C- इस्लामाबाद
D- ताशकंद

उत्तर: D

11. वर्तमान में फहमीदा अजीम चर्चा में हैं। यह कौन हैं?

A- पुलित्जर पुरस्कार (2022) के लिए चुनी जाने वाली चित्रकार।
B- 2022 लिबर्टी मेडल से सम्मानित नेत्री।
C- अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता महिला।
D- यूक्रेन की रक्षामंत्री जो एक हालिया हमले में मारी गई।

उत्तर: A

12. टोमेटो फ्लू बीमारी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है?

A- इसे हैंड फूट एंड माउथ डिजीज भी कहते हैं।
B- इसमें शरीर पर टमाटर के आकार जैसे फफोले हो जाते हैं।
C- यह कॉक्ससैकी वायरस A16 के कारण होता है।
D- यह संक्रामक रोग आँतों के वायरस के कारण होता है जो वयस्कों में ज्यादा होता है।

उत्तर- B

13. निम्नलिखित में से किसे 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?

A- पत्रकार रामकृपाल सिंह
B- पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल
C- स्कॉट मॉरिसन
D- इल्हाम इलीएव

उत्तर: B

14. वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. यह योजना 2 अक्टूबर, 2021 से पूरे देश में लागू है।
2. सार्वजनिक तथा निजी उर्वरक कंपनियों के ब्रांड नाम अलग-अलग निर्धारित हैं।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

A- केवल 1
B- केवल 2
C- 1 और 2
D- न तो 1, न ही 2

उत्तर: D

15. एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया रिपोर्ट, 2022 (एनसीआरबी) के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. कुल आत्महत्याओं में दैनिक वेतन भोगी मजदूरों का प्रतिशत 25.6 है।
2. मार्च, 2022 में NCRB ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

A- केवल 1
B- केवल 2
C- 1 और 2
D- न तो 1, न ही 2

उत्तर: C

16. एनसीआरबी कि रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है?

A- 15.0 प्रतिशत
B- 15.1 प्रतिशत
C- 15.2 प्रतिशत
D- 15.3 प्रतिशत

उत्तर: D

17. हाल ही में किस राज्य के पुलिस प्रशासन ने जे.के. ई-कॉप एप लांच किया है?

A- उत्तर प्रदेश
B- महाराष्ट्र
C- केरल
D- जम्मू-कश्मीर

उत्तर: D

जयंती विशेष : टी प्रकाशम ''आंध्र केसरी''

भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ऐसे कई नायक उभर कर सामने आए जो अपने-अपने क्षेत्रों की पहचान बने। तेलुगु अस्मिता से जुड़े एक ऐसे ही नायक थे तंगुटूरी प्रकाशम। टी प्रकाशम आंध्र केसरी के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी प्रकाशम जिले के देवरामपाडू में नमक सत्याग्रह को नेतृत्व प्रदान किया था।

1928 में उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था और ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें निशाना बनाया। साइमन कमीशन के विरोध के कारण हुई लाठीचार्ज में भी उन्होंने प्रदर्शन जारी रखा। इस साहस के कारण ये **"आंध्र केसरी"** के नाम से प्रसिद्ध हुए ।

1946 में संयुक्त मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री बने। इससे पूर्व 1937 में जब देश में पहले कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ। तो टी. प्रकाशम, राजगोपालाचारी के मंत्रिमंडल में राजस्व मंत्री के रूप में शामिल हुए।

जब 1953 में मद्रास प्रेसीडेंसी से हटाकर आंध्र प्रदेश बनाया गया तब वह उसके पहले मुख्यमंत्री बने।

प्रकाशम का जन्म मद्रास प्रेसीडेंसी (अब प्रकाशम जिला, आंध्र प्रदेश) स्थित विनोदरयुनिपलेम गांव के सुब्बाम्मा और गोपाल कृष्णय्या नामक तेलुगु नियोगी ब्राह्मण परिवार में हुआ था।

कानूनी अध्ययन के लिए उन्होंने 1904 ई. में इंग्लैंड जाने का फैसला किया।

इंग्लैंड में वे रॉयल इंडिया सोसाइटी में शामिल हो गए। बैरिस्टरी की पढ़ाई पूरी करके प्रकाशम स्वदेश लौटे तो मद्रास हाई कोर्ट में कई बड़े मामलों में कानूनी पक्षकार बने। वह इस क्षेत्र में सफल होने वाले तेलुगू बैरिस्टरों में से केवल एक थे क्योंकि तब तक अधिकांश सफल वकील या तो यूरोपीय या तमिल थे।

उन्होंने कुछ दिनों तक लॉ टाइम्स नामक पत्र का संपादन भी इसी समय किया था। प्रिवी काउंसिल में मुकदमा लड़ने के लिए दो बार इंग्लैंड गए थे।

बिपिन चंद्र पाल जब मद्रास पहुंचे तो उन्होंने आगे बढ़कर उनके कार्यक्रम की अध्यक्षता की। राजद्रोह के भय से तब ऐसा करने के लिए कोई भी सामने आने को तैयार नहीं था।

इसके बाद से वे कांग्रेस पार्टी और स्वाधीनता आंदोलन की गतिविधियों के साथ जुड़ते चले गए। 1921 में उन्होंने सत्याग्रह प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किया और वकालत छोड़ दिया। 1921 से 13 वर्षों तक वे आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष रहे।

31 साल की उम्र में राजामहेंद्रवरम के नगरपालिका अध्यक्ष चुने गए थे। उन्होंने 'स्वराज' अखबार के कार्यकारी संपादक के तौर पर तेलुगु भाषियों के साथ पूरे दक्षिण भारत में स्वाधीनता आंदोलन का अलख जगाया। यह अखबार तेलुगु के साथ तमिल और अंग्रेजी में एक साथ प्रकाशित होता था। वे 1921 में कांग्रेस पार्टी के महासचिव चुने गए थे।

असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने गुंटूर में तीस हजार कांग्रेस स्वयंसेवकों के साथ, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन किया।

प्रकाशम की प्रतिष्ठा और स्वीकृति इतनी बड़ी थी कि 5 मई, 2000 को संसद भवन परिसर में उनके नौ फीट ऊंचे चित्र का तत्कालीन राष्ट्रपति केआर नारायण ने अनावरण किया।

उन पर 'आंध्र केसरी' नाम से एक फिल्म भी बन चुकी है जिसे प्रसिद्ध फिल्मकार विजय चंदर ने निर्देशित किया है।
20 मई 1957 को उनका निधन हो गया था ।
'द जर्नी ऑफ माय लाइफ' नाम से उनकी आत्मकथा है।

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

DHYEYA IAS®
most trusted since 2003

ANNUAL SUBSCRIPTION OF PERFECT 7 CURRENT AFFAIRS MAGAZINE (FORTNIGHTLY)

About Perfect 7:

The role of Current Affairs in Civil Services has tremendously increased, in all the subjects of General Studies like Economy, Polity, Science and Technology, International Relations, Environment, etc.

Need: Knowledge of Current Affairs

Inadequate Solution: Monthly Magazines available in the Market.

Why Inadequate?

- All magazines are monthly: This means that you get to know about the event after more than one month and students are unable to match the pace with newspaper and other media.
- Not suitable for Civil Services: Events are not analyzed as these magazines also cater to the one day exams and hence they provide only factual information's.
- Too much to read in one go: A student is suddenly burdened to cover too many events in a short time which leads to stress.

Solution to all the above three issues is PERFECT 7 Magazine by Dhyeya IAS.

- Released Fortnightly: A student is abreast with the current events of the month, near real time.
- Detailed Analysis of every event: Civil Services demands a deeper understanding of events, concepts and its analyses and not just know the event and its date.
- Easy to study: Since the magazine is fortnightly, a student is saved from Information overload and can relate with the newspaper, TV and other media coverages with a profound understanding of the current happenings.

Features of PERFECT 7

Important conditions for an IAS/PCS centered magazine		PERFECT 7	OTHERS
• Fortnightly	Hindi	✓	×
	English	✓	×
• Civil Services Exam centered	Hindi	✓	*
	English	✓	*
• Micro-Analysis of current issues & not a mere compilation of facts	Hindi	✓	*
	English	✓	*
• Brain boosters for important issues	Hindi	✓	×
	English	✓	×
• Multiple choice questions & their solution based on brain boosters	Hindi	✓	×
	English	✓	×
• Case studies with model answers for Ethics	Hindi	✓	×
	English	✓	×
• Explanation of important theories through pictures & graphics.	Hindi	✓	×
	English	✓	×

(* some institutes)

Annual Subscription Fee along with Courier Charges:

Cost of the Magazine:	45 x 24 = Rs 1080
Price After 25% Discount	Rs 810
Courier Charges:	30 X 24 = Rs 720
Total Charges:	**Rs 1530**

BANK ACCOUNT DETAILS

Account Holder:-	**Trueword Publication Private Limited**
Bank A/C -	**50200032675602**
IFSC:-	**HDFC0000609**

Annual Subscription Fee for Student Collecting Magazine form Mukherjee Nagar Centre:

Cost of the Magazine:	45 x 24 = Rs 1080
Price After 25% Discount	Rs 810
Total Charges:	**Rs 810**

Terms and Condition:

1. Fee submitted one will not be refunded or adjusted in any condition.
2. Dhyeya IAS ensures no damage or delay during transit however some unavoidable circumstances are beyond our control. responsibility for the delay in delivery,
3. W put best efforts to make the Magazine reach to the subscribers by 10th & 25th of every month.
4. If due to COVID-19 Pandemic or any unforeseen natural disaster or by an act of God, Dhyeya IAS is not able to print the Magazine then the duration of subscription will be increased to compensate for the same.

Whatsapp: ***9205184003***

dhyeyaias.com

AN INTRODUCTION

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

Dhyeya IAS, two decades old institution, was founded by Mr.Vinay Singh and Mr. Q. H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential aspirants realize their dreams which is evident from the success stories of the previous years.

As the nation progresses, the young generations become more conscious and aware about their career options. There is plethora of jobs and one among them is civil services, the most prestigious service in the country, which needs no introduction. It attracts many young minds hailing from almost all spectra of academic disciplines. The popular belief that the examination for this service is only meant for the brilliant lots has become a taboo as it also attracts the hardworking, sincere and disciplined minds. The saying- "In the end passion and hard work can substitute natural talent" holds true. It gives immense power and opportunity for young folks to bring about the positive changes in the society which would bring harmony and development. It inculcates values, moral, ethos and feeling of national integrity.

Quite a large number of students desirous of building a career for themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vastly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move may invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. Classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals' capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything, you can only help him find it within himself.

We feel that despite brilliance and diligence, most of the students are lacking proper guidance and aptitude needed to clear Civil Services Examination. This is why, we at Dhyeya IAS amalgamated the traditional as well as modern approach of teaching by incorporating best educators of the industry ably supported by Academic Associates, Class Notes and printed Study Material, routine as well as surprise Tests. Due to its arduous efforts, Dhyeya IAS is able to carve a niche among all the civil services coaching institutes in India. Access to an institution is as important as the quality of Institution. Our faith in this philosophy made us grow. With 12 Face to Face Centers located in different parts in India, Distance Learning Program , Live Streaming Centers and Residential Academy, we have made truly pan India presence. Ever since the foundation the institute has produced a heavy pool of bureaucrats both at central and state level. Dhyeya IAS not only aims at imparting the content of civil services in best way but also nurturing the aspirants as leaders of tomorrow who have a responsibility of fulfilling the dreams of around 1.4 billion Indians. Dhyeya IAS has guided over 50,000 aspirants with more than 4500 selections in civil services. Our journey is a small contribution for the development of the society and nation by nurturing the potential civil services aspirants.

Considering the toughness of Civil Services Exam, where success rate is a meager 0.1 percent, Dhyeya IAS has continuously produced phenomenal results over the years. Year after Year Dhyeya IAS is being recognized for imparting guidance to civil services aspirants using benchmarked quality practices. On the basis of scalability, innovation, achievements, impact potential our efforts and contribution have been acknowledged and rewarded with Education Excellence Awards by ET NOW, Brands Academy, Times of India, etc. This has enhanced motivation, pride and self-esteem of entire Dhyeya family.

₹ 45

For feedback write to us at :-
perfect7magazine@gmail.com

dhyeyaias.com

Face to Face Centres

North Delhi : A 12, 13, Ansal Building, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009, Ph: 9205274741/42/44 I **Laxmi Nagar :** 1/53, 2nd floor, Lalita Park, Near Gurudwara, Opposite Pillar no.23, Laxmi Nagar, Delhi -110092, Ph: 9205212500/9205962002 I **Greater Noida :** 4th Floor Veera Tower, Alpha 1 Commercial Belt., Greater Noida, UP - 201310, Ph: 9205336037/38 I **Prayagraj :** II & III Floor, Shri Ram Tower, 17C, Sardar Patel Marg, Civil Lines, Prayagraj, UP - 211001, Ph: 0532-2260189/8853467068 I **Lucknow (Aliganj) :** A-12, Sector-J, Aliganj, Lucknow, UP- 226024, Ph: 0522-4025825/9506256789 I **Lucknow (Gomti Nagar) :** CP-1, Jeewan Plaza, Viram Khand-5, Near Husariya Chauraha, Gomti Nagar, Lucknow, UP - 226010, Ph: 7234000501/ 7234000502 I **Lucknow (Alambagh) :** 58/1 , Sector-B Opposite Phoenix Mall Gate No. 3, L.D.A Colony , Alambagh Lucknow,, Ph: 7518373333, 7518573333 | **Kanpur :** 113/154 Swaroop Nagar, Near HDFC Bank, Kanpur, UP - 208002, Ph: 7887003962/7897003962 I **Gorakhpur :** Narain Tower, 2nd floor, Gandhi Gali, Golghar, Gorakhpur, Uttar Pradesh 273001, Ph: 7080847474 I **Bhubaneswar :** OEU Tower, Third Floor, KIIT Road, Patia, Bhubaneswar, Odisha -751024, Ph: 9818244644/7656949029

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 9205274741, 9205274742, 9205274744